



राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड
National Horticulture Board

वार्षिक प्रतिवेदन Annual Report

2023-24



राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड
National Horticulture Board

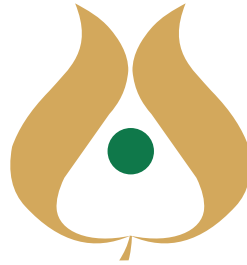
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार
Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, Govt. of India



राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड

NATIONAL HORTICULTURE BOARD

वार्षिक प्रतिवेदन Annual Report 2023-24



राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड
National Horticulture Board

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार
Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, Govt. of India
प्लॉट नं. 85, सेक्टर-18, इंस्टीट्यूशनल एरिया, गुरुग्राम-122015 (हरियाणा)
Plot No. 85, Sector-18, Institutional Area, Gurugram – 122015 (Haryana)
दूरभाष/Ph.: 0124-2342992, Fax : 0124-2342991
वेबसाइट/Website : www.nhb.gov.in

विषय-सूची

प्रस्तावना

1. परिचय

- 1.1 दृष्टिकोण
- 1.2 मिशन
- 1.3 उद्देश्य

2. संगठन

- 2.1 निदेशक मंडल
- 2.2 प्रबंध समिति

3. संसाधन

- 3.1 हमारे लोग
- 3.2 हमारा नेटवर्क
- 3.3 हमारी अवसंरचना

4. वित्त-पोषण

5. योजनाएँ / कार्यक्रम

5.1 उत्पादन तथा फसल-कटाई उपरांत प्रबंधन के माध्यम से वाणिज्यिक बागवानी का विकास

- 5.1.1 परियोजना मोड पर खुला क्षेत्र परिस्थितियों में वाणिज्यिक बागवानी विकास
- 5.1.2 परियोजना मोड पर संरक्षित कवर में वाणिज्यिक बागवानी विकास
- 5.1.3 एकीकृत फसल-कटाई उपरांत प्रबंधन परियोजनाएँ
- 5.1.4 उपलब्धियाँ

5.2 बागवानी उत्पादों हेतु शीत संग्रहगारों तथा संग्रहगारों के निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए पूंजी निवेश सहायिकी योजना

- 5.2.1 कोल्ड स्टोरेज इकाई टाइप-1-एकल तापमान जोन के साथ मूल प्रकार
- 5.2.2 कोल्ड स्टोरेज इकाई टाइप-2-बहु तापमान जोनों और मूल सामग्री प्रहस्तन उपस्कर के साथ
- 5.2.3 कोल्ड स्टोरेज इकाई टाइप-2-नियंत्रित वातावरण के लिए एडऑन प्रौद्योगिकी सहित
- 5.2.4 प्रौद्योगिकी समावेशन और कोल्ड चेन का आधुनिकीकरण
- 5.2.5 उपलब्धियाँ

5.3 बागवानी के संवर्धन हेतु प्रौद्योगिकी विकास तथा हस्तांतरण

5.3.1 उद्देश्य

5.3.2 घटकों और सहायता का तरीका

5.3.3 उपलब्धियाँ

5.4 बागवानी फसलों के लिए बाजार सूचना सेवा

5.5. बागवानी संवर्धन सेवाएँ/विशेषज्ञ सेवाएँ और रा.बा.बो. की क्षमताओं का सुदृढ़ीकरण

मुख्य विशेषताएँ : 2023–24

1. वाणिज्यिक बागवानी का संवर्धन

क) वाणिज्यिक बागवानी –खुले क्षेत्र में खेती

ख) वाणिज्यिक बागवानी– फूलों और सब्जियों की संरक्षित खेती

ग) फसल–कटाई उपरांत प्रबंधन हेतु सहायता

घ) अनुपूरक गतिविधियाँ

2. कोल्ड स्टोरेज क्षमता का सृजन

3. बागवानी के संवर्धन हेतु प्रौद्योगिकी विकास एवं हस्तांतरण

क) क्षमता निर्माण कार्यक्रम

ख) गुणवत्तायुक्त रोपण सामग्री

4. हिंदी पखवाड़ा और हिंदी प्रतियोगिताओं के लिए पुरस्कार वितरण समारोह

रिपोर्ट की अवधि के दौरान रा.बा.बो. द्वारा की गई नई पहल:

i. बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम

ii. इंडिया कोल्ड चेन कॉन्क्लेव (5 अप्रैल कुल्लू, हिमाचल)

iii. सीडीपी के तहत एक बहु-घटक कच्छ क्लस्टर विकसित करना।

iv. महबूबनगर आम क्लस्टर

v. भारत का स्वच्छ पौधा कार्यक्रम (सीपीपी) निर्माण

अनुलग्नक

i. राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के उद्देश्य

ii. राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के निदेशक मंडल की सूची – 31-03-2024 को

iii. स्टॉफ स्थिति – 31-03-2024 को

iv. राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों की सूची उनके सम्पूर्ण पते सहित

v. वर्ष 2023–24 के बोर्ड के वार्षिक लेखे

प्रस्तावना

यह गर्व की बात है कि 2023–24 के दौरान देश में बागवानी क्षेत्र ने 355.48 मीट्रिक टन का उत्पादन दर्ज किया है, जो भारतीय बागवानी के इतिहास में अब तक का सबसे अधिक है। भारत ने विश्व स्तर पर फलों और सब्जियों के दूसरे सबसे बड़े उत्पादक के रूप में अपनी स्थिति बरकरार रखी है। यह जल्द खराब होने वाले बागवानी उत्पादों के उत्पादन के कार्य को पूरा करने और राष्ट्र की खाद्य तथा पोषण सुरक्षा में योगदान करने के लिए भारतीय किसानों की इच्छा एवं उद्यमिता को दर्शाता है।

एनएचबी ने अपनी व्यापक उद्यमी संचालित अभिनव योजनाओं के माध्यम से बेहतर गुणवत्ता उत्पादन, फसल कटाई के बाद प्रबंधन और मूल्य संवर्धन के लिए किसानों और उद्यमियों को सहायता प्रदान करके इस मील के पथर को हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 1984 में अपनी स्थापना के बाद से, एनएचबी ने 1993 के दौरान सुलभ ऋण योजनाओं की शुरुआत और वर्ष 2000 में क्रेडिट लिंकड बैंक एंड सब्सिडी योजनाओं की शुरुआत करके उच्च तकनीक वाणिज्यिक बागवानी और कोल्ड चेन बुनियादी ढांचे के विकास की अपनी प्रारंभिक यात्रा के साथ वाणिज्यिक बागवानी क्षेत्र में अत्यधिक योगदान दिया है। वर्ष 2014–15 से, एनएचबी को एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) के अंतर्गत लाया गया है ताकि देश में वाणिज्यिक बागवानी और फसल कटाई उपरांत प्रबंधन अवसंरचना के नियोजित विकास में तेजी लाई जा सके।

वर्ष के दौरान एनएचबी से वित्तीय सहायता से बागवानी विकास की कुछ मुख्य विशेषताओं में 652.16 हेक्टेयर क्षेत्र में 398 वाणिज्यिक बागवानी परियोजनाओं की स्थापना, 14 फसल कटाई उपरांत प्रबंधन और हाई-टेक वाणिज्यिक इकाइयों की स्थापना तथा 4.84 लाख मीट्रिक टन की भंडारण क्षमता के साथ 75 कोल्ड स्टोरेज इकाइयों की स्थापना शामिल है।

चुनौतियों का समाधान करने और भारतीय बागवानी क्षेत्र की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम (सीडीपी) शुरू किया है। यह एक केन्द्रीय क्षेत्र का कार्यक्रम है जिसे राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य पहचान किए गए बागवानी क्लस्टरों की समग्र वृद्धि और विकास को सक्षम करना है ताकि उन्हें वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके और उन्हें राष्ट्रीय एवं वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में शामिल किया जा सके।

इसके अलावा, केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने किसानों को रोग मुक्त गुणवत्तायुक्त बागवानी रोपण सामग्री तक पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कृषि एवं किसान मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाने वाला स्वच्छ पौधा कार्यक्रम (सीपीपी) अनुमोदित किया है। इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए एनएचबी को नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। एनएचबी ने योजना कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देश, एसओपी, कार्यक्रम का परिचालन मैनुअल आदि तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

मैं यह बताना चाहता हूँ कि बागवानी के क्षेत्र में बोर्ड की पहल और उपलब्धियां माननीय केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री एवं बोर्ड के अध्यक्ष श्री नरेंद्र सिंह तोमर और एनएचबी के निदेशक मंडल के सभी सदस्यों के दूरदर्शी मार्गदर्शन के बिना संभव नहीं थीं। मैं विशेष रूप से श्री मनोज आहूजा, सचिव डीए एंड एफडब्ल्यू एवं प्रबंध समिति के अध्यक्ष तथा इसके सदस्यों को उनके नियमित मार्गदर्शन और सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूँ। मैं बोर्ड के उद्देश्यों को प्राप्त करने में एनएचबी के अधिकारियों और कर्मचारियों की टीम द्वारा प्रदान किए गए उत्कृष्ट सहयोग की भी सराहना करता हूँ।



(प्रिय रंजन)
प्रबंध निदेशक

1. परिचय

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनएचबी) की स्थापना अप्रैल 1984 में भारत सरकार द्वारा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक स्वायत्त संगठन के रूप में की गई थी और सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत एक सोसायटी के रूप में पंजीकृत किया गया था तथा इसका मुख्यालय गुरुग्राम में है। वर्तमान में, एनएचबी के देश भर में 29 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। बोर्ड के व्यापक प्रयोजन और उद्देश्य एकीकृत उच्च-वाणिज्यिक बागवानी के लिए उत्पादन क्लस्टर/हब विकसित करना, कटाई उपरांत और पुरानी श्रृंखला के बुनियादी ढांचे का विकास करना, गुणवत्ता रोपण सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करना और हाई-टेक वाणिज्यिक बागवानी आदि के लिए नई प्रौद्योगिकियों/उपकरणों/तकनीकों को अपनाने को बढ़ावा देना है।

1.1 दृष्टिकोण

- इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कि वाणिज्यिक बागवानी न केवल भोजन तथा पोषण सुरक्षा मुहैया करवाती है बल्कि बेहतर आर्थिक लाभ तथा किसानों के लिए जोखिम के अल्पीकरण हेतु फसल विविधता के लिए मार्ग भी प्रशस्त करती है, वाणिज्यिक बागवानी परियोजनाओं के माध्यम से निजी निवेश हेतु समन्वित प्रयासों द्वारा इस क्षेत्र को बढ़ावा देने की आवश्यकता की परिकल्पना की गई है।
- देश में इस क्षेत्र में वाणिज्यिक बागवानी परियोजनाओं के अंतर्गत क्षेत्र का विस्तार; कटाई उपरांत प्रबंधन से संबंधित अवसंरचना का सृजन, प्रौद्योगिकी विकास तथा अंतरण के सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के प्रयास, उत्पाद संवर्धन, विपणन तथा निर्यात शामिल हैं।
- इस दृष्टिकोण के साथ, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड संसाधनों के बेहतर उपयोग, प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण तथा पैमाने में वृद्धि का लाभ उठाने हेतु उत्पादक किसानों को एकत्र करके संभावित समूहों में वाणिज्यिक बागवानी के विकास की प्रक्रिया में तेजी लाने का प्रयास कर रहा है।

1.2 मिशन

- उत्पादक केंद्रों के विकास और गुणवत्ता वाली पौधरोपण सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने के माध्यम से वाणिज्यिक बागवानी को बढ़ावा देना।
- कटाई उपरांत प्रबंधन तथा शीत श्रृंखला अवसंरचना में निवेश को बढ़ावा देना।
- गुणवत्तायुक्त उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी के विकास एवं हस्तांतरण को बढ़ावा देना।
- उत्पादकों, किसानों, विस्तार कामगारों, अनुसंधान संगठनों, निजी हितधारकों और ऋण संस्थानों के बीच परस्पर सहयोग के माध्यम से उत्पाद संवर्धन, बाजार विकास और निर्यात संवर्धन।

1.3 उद्देश्य

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के मुख्य उद्देश्य बागवानी उद्योग के समेकित विकास में सुधार करना है और फलों तथा सब्जियों के उत्पादन एवं प्रसंस्करण को बनाए रखने के लिए समन्वयन में सहायता प्रदान करना है। बोर्ड के विस्तृत उद्देश्य **अनुलग्नक-I** में दिए गए हैं।

2. संगठन

2.1 निदेशक मंडल

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के सभी क्रियाकलापों का प्रबंधन एक शीर्ष निकाय “निदेशक मंडल” द्वारा किया जाता है जिसके प्रमुख इसके अध्यक्ष के रूप में माननीय केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं तथा माननीय केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री इसके उपाध्यक्ष हैं। निदेशक मंडल का संघटन इस प्रकार है:

क्र.स.	सदस्य का पदनाम	पद
1.	केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री	अध्यक्ष (पदेन)
2.	केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री	उपाध्यक्ष (पदेन)
3.	केंद्रीय सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग	सदस्य (पदेन)
4.	महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्	सदस्य (पदेन)
5.	अपर सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग	सदस्य (पदेन)
6.	अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग	सदस्य (पदेन)
7.	संयुक्त सचिव एवं मिशन निदेशक (एमआईडीएच), कृषि एवं किसान कल्याण विभाग	सदस्य (पदेन)
8.	बागवानी आयुक्त, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग	सदस्य (पदेन)
9.	सलाहकार (कृषि), नीति आयोग	सदस्य (पदेन)
10.	अध्यक्ष, कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा)	सदस्य (पदेन)
11.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) का एक प्रतिनिधि अथवा किसी अन्य मंत्रालय का एक प्रतिनिधि जिसे विशेषतः अध्यक्ष महोदय की अनुमति से आमंत्रित किया जा सकता है	सदस्य (पदेन)
12.	बागवानी उद्योग के 11 प्रतिनिधि जो सहकारी समितियों के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले, प्रख्यात बागवानी-विशेषज्ञ तथा बागवानी उत्पाद के अग्रणी निर्यातक होंगे। (केंद्रीय सरकार द्वारा नामित किया जाएगा)	गैर-सरकारी सदस्य
13.	प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड	सदस्य सचिव (पदेन)

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के निदेशक मंडल के सदस्यों की सूची, 31-03-2024 के अनुसार, **अनुलग्नक-II** में दी गई है।

2.2 प्रबंध समिति

केंद्रीय सचिव (कृषि एवं किसान कल्याण), राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की प्रबंध समिति के अध्यक्ष के रूप में इसके प्रमुख हैं। इस समिति को बोर्ड के मामलों एवं कार्यों के सामान्य अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का कार्य सौंपा गया है। प्रबंध समिति का संघटन इस प्रकार है:

क्र.स.	सदस्य का पदनाम	पद
1.	केंद्रीय सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग	अध्यक्ष (पदेन)
2.	अपर सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग	सदस्य (पदेन)
3.	अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग	सदस्य (पदेन)
4.	संयुक्त सचिव एवं मिशन निदेशक (एमआईडीएच), कृषि एवं किसान कल्याण विभाग	सदस्य (पदेन)
5.	बागवानी आयुक्त, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग	सदस्य (पदेन)
6.	अध्यक्ष, कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा)	सदस्य (पदेन)
7.	महाप्रबंधक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक	सदस्य (पदेन)
8.	किसानों का एक प्रतिनिधि (केंद्रीय सरकार द्वारा नामित किया जाएगा)	सदस्य
9.	प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड	सदस्य सचिव (पदेन)

3. संसाधन

3.1 हमारे लोग

प्रबंध निदेशक, इस बोर्ड के प्रधान कार्यपालक हैं जिनके सहायतार्थ तकनीकी एवं प्रशासनिक प्रभाग हैं। स्वीकृत किए गए और भरे गए पदों के ब्योरे **अनुलग्नक-III** में दिए गए हैं।

3.2 हमारा नेटवर्क

इस बोर्ड का मुख्य कार्यालय गुरुग्राम, हरियाणा में स्थित है। इसके अतिरिक्त, देश के विभिन्न भागों में बोर्ड के 29 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। हमारे क्षेत्रीय कार्यालयों की सूची **अनुलग्नक-IV** में दी गई है।

3.3 हमारी अवसंरचना

- 5.4 एकड़ में फैला हुआ एक बहुत ही सुव्यवस्थित हरा-भरा परिसर।
- प्रधान कार्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालयों में भी पूर्णतः कम्प्यूटरीकृत कार्य वातावरण।

3. बागवानी प्रकाशनों की व्यापक श्रृंखला के साथ एक सुसज्जित पुस्तकालय।
4. प्रधान कार्यालय में समिति हॉल तथा कैंटीन सुविधाएँ।

4. वित्त-पोषण

बोर्ड के कार्यकलापों का वित्त-पोषण पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा प्रदत्त सहायता अनुदान के माध्यम से किया जाता है। वर्ष 2023-24 के दौरान विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त निधियों तथा किए गए व्यय के ब्योरे निम्नलिखित हैं:-

(राशि लाख रु. में)

क्र.स.	योजना का नाम	प्राप्त अनुदान	अव्ययित शेष (01.04.2023 को)	कुल उपलब्ध निधि	किया गया व्यय
1.	एन.एच.बी.	23525.00	6244.86	29769.86	25987.54
2.	एन.एच.एम. (टीएसजी)	375.00	54.44	429.44	322.64
3.	एन.बी.एम. (टीएसजी)	-	12.75	12.75	12.41

*वर्ष 2023-24 के दौरान राशि रु. 2230.81 लाख डीए एंड एफडब्लू को वापिस की गई थी (2022-23 से पहले अव्ययित शेष के कारण, कॉल बैक सब्सिडी और अर्जित ब्याज)।

5. योजनाएँ / कार्यक्रम

अपने प्रारंभ काल से ही, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड ने बागवानी फसलों में पद्धतियों तथा प्रसंस्करण/मूल्य संवर्धन के आधुनिक पैकेज के बड़े पैमाने पर अंगीकरण को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रम/योजनाएं चलाई हैं। योजनाओं का वर्तमान सार-संग्रह उच्च गुणवत्ता वाले वाणिज्यिक उत्पादन को अर्जित करने, फसल-कटाई उपरांत अवसंरचना तथा शीत श्रृंखला सुविधाएँ सृजित करने और उत्पादन तथा फसल-कटाई उपरांत प्रबंधन हेतु प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण को बढ़ावा देने के लिए मध्यवर्तन का एक सैट है। योजनाओं की मुख्य विशेषताएँ और वर्ष 2023-24 के दौरान अर्जित की गई उपलब्धियाँ नीचे दी गई हैं:-

5.1 उत्पादन तथा फसल-कटाई उपरांत प्रबंधन के माध्यम से वाणिज्यिक बागवानी का विकास

इस घटक के अंतर्गत, खुला क्षेत्र में एवं संरक्षित परिस्थितियों के अधीन वाणिज्यिक उत्पादन इकाईयों की स्थापना के लिए परियोजनाएं, फसल-कटाई उपरांत प्रबंधन तथा प्राथमिक प्रसंस्करण इकाई वित्तीय सहायता के लिए पात्र हैं।

घटकों का विवरण और सहायता का तरीका

क्र.सं.	विवरण	वर्णन	सहायता का तरीका
5.1.1	परियोजना मोड पर खुला क्षेत्र परिस्थितियों में वाणिज्यिक बागवानी विकास	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड परियोजना मोड पर खुला क्षेत्र परिस्थितियों में 2 हैक्टेयर (5 एकड़) से अधिक क्षेत्र कवर करने वाली परियोजनाओं हेतु एकीकृत वाणिज्यिक बागवानी विकास परियोजनाओं पर विचार करता है जिसमें रोपण सामग्री, वृक्षारोपण, सिंचाई, फर्टिगेशन, मशीनीकरण, उम्दा खेती, जी.ए.पी. आदि शामिल हैं। मशरूम और ऊतक संवर्धन पर एकीकृत उत्पादन इकाई भी इस घटक के अधीन सहायता के लिए पात्र हैं। उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए फार्म मशीनरी और पी.एच.एम. अवसंरचना, सिंचाई एवं सूक्ष्म सिंचाई आदि जैसे घटक भी योजना के अधीन मौजूदा/नए बगीचों/परियोजनाओं में सहायता के लिए पात्र हैं।	क्रेडिट लिंक्ड बैंक—एन्डिड सहायिकी सामान्य क्षेत्रों में कुल परियोजना लागत के 40 प्रतिशत की दर से अधिकतम रु. 30.00 लाख प्रति परियोजना और उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों, पहाड़ी राज्यों तथा अनुसूचित क्षेत्रों में कुल परियोजना लागत के 50 प्रतिशत की दर से अधिकतम रु0 37.50 लाख प्रति परियोजना है।
5.1.2	परियोजना मोड पर संरक्षित कवर में वाणिज्यिक बागवानी विकास	यह बोर्ड 2500 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए परियोजना मोड पर संरक्षित कवर के अधीन वाणिज्यिक बागवानी विकास परियोजनाएं शुरू करेगा जिसमें रोपण सामग्री, वृक्षारोपण, सिंचाई, फर्टिगेशन, मशीनीकरण आदि शामिल होंगे। ग्रीन हाऊसों, शेड नेट हाऊसों के निर्माण, प्लास्टिक मल्टिंग, और प्लास्टिक सुरंग, पक्षी/पत्थर को रोकने वाले जालों आदि जैसी गतिविधियाँ सहायता के लिए पात्र हैं। तथापि, सहायिकी प्राप्त करने के लिए, सभी सामग्री/प्रौद्योगिकी निर्धारित मानकों के अनुसार होनी चाहिए।	क्रेडिट लिंक्ड बैंक—एन्डिड सहायिकी स्वीकार्य लागत मानकों के अनुसार कुल परियोजना लागत के 50 प्रतिशत की दर से अधिकतम रु. 56.00 लाख प्रति परियोजना है। (बोर्ड को उत्तर-पूर्वी राज्यों में 1000 वर्ग मी. और अधिक क्षेत्र में संरक्षित खेती के अधीन परियोजनाएँ लेने की अनुमति दी गई है।)
5.1.3	एकीकृत फसल—कटाई उपरांत प्रबंधन परियोजनाएं	i) पैक हाऊस, राइपनिंग चैम्बर, प्रशीतन वैन, खुदरा आउटलेटों, प्री-कूलिंग इकाई, प्राथमिक प्रसंस्करण आदि से संबंधित एकीकृत फसल—कटाई उपरांत प्रबंधन परियोजनाओं को इस घटक के अधीन सहायता प्रदान की जाती है। रा.बा.बो. घटक मोड में पी.एच.एम. घटकों की अकेले चल सकने योग्य परियोजनाएं भी स्वीकार करता है।	क्रेडिट लिंक्ड बैंक—एन्डिड सहायिकी सामान्य क्षेत्रों में कुल परियोजना लागत के 35 प्रतिशत की दर से अधिकतम रु. 50.75 लाख प्रति परियोजना और उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों, पहाड़ी राज्यों तथा अनुसूचित क्षेत्रों में पिछड़े और आगे की कड़ी की सुनिश्चितता हेतु कुल परियोजना लागत के 50 प्रतिशत की दर से अधिकतम रु0 72.50 लाख प्रति परियोजना है।

क्र.सं.	विवरण	वर्णन	सहायता का तरीका
		ii) केवल फलों, सब्जियों, फूलों, काजू और सुगन्धित पौधों की प्राथमिक प्रसंस्करण इकाईयां	क्रेडिट लिंकड बैंक-एन्डिड सहायिकी सामान्य क्षेत्रों में कुल परियोजना लागत के 35 प्रतिशत की दर से अधिकतम रु0 8.75 लाख प्रति परियोजना और उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों, पहाड़ी राज्यों तथा अनुसूचित क्षेत्रों में पिछड़े और आगे की कड़ी की सुनिश्चितता सहित कुल परियोजना लागत के 50 प्रतिशत की दर से अधिकतम रु0 12.50 लाख प्रति परियोजना है।

5.1.4 उपलब्धियाँ

इस योजना के अंतर्गत, बोर्ड ने रिपोर्टाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान 419 परियोजनाएं मंजूर की थीं जिनमें रु. 10715.89 लाख की सहायिकी दी गई। परियोजनाओं में हाई-टेक बागवानी फसलें, ऊतक संवर्धन इकाईयां, पुष्पोत्पादन इकाईयां, मशरूम खेती, पैक हाऊस और ग्रेडिंग केन्द्रों की स्थापना, राइपनिंग चैम्बर, रीफर वैन, प्री-कूलिंग इकाईयां, कोल्ड रूम, प्राथमिक प्रसंस्करण इकाईयां आदि शामिल हैं।

खुले क्षेत्र में खेती



महाराष्ट्र में अंगूर की खेती की रा.बा.बो. से सहायता प्राप्त परियोजना



उत्तराखंड में मशरूम की खेती की रा.बा.बो. से सहायता प्राप्त परियोजना

संरक्षित खेती



महाराष्ट्र में जरबेरा की खेती की रा.बा.बो. से सहायता प्राप्त परियोजना



महाराष्ट्र में शिमला मिर्च की खेती की रा.बा.बो. से सहायता प्राप्त परियोजना

संरक्षित खेती



कर्नाटक में आर्किड की खेती की रा.बा.बो. से सहायता प्राप्त परियोजना



मध्य प्रदेश में गुलाब की खेती की रा.बा.बो. से सहायता प्राप्त परियोजना

5.2 बागवानी उत्पादों हेतु शीत संग्रहगारों तथा संग्रहगारों के निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए पूंजी निवेश सहायिकी योजना

नियंत्रित वातावरण (सी.ए.) सहित शीत संग्रहगारों और उनके आधुनिकीकरण से संबंधित क्रेडिट लिंकड परियोजनाएं इस घटक के अधीन सहायता के लिए पात्र हैं।

घटकों का विवरण और सहायता का तरीका

क्र.सं.	विवरण	मर्दे	सहायता का तरीका
5.2.1	कोल्ड स्टोरेज यूनिट टाइप 1 – मूल मेजेनाइन संरचना बड़े चैम्बर (> 250 मी.ट) सहित एकल तापमान जोन के साथ	रा.बा.बो. 5000 मी.ट. से अधिक 10000 मी.ट. तक की क्षमता वाली परियोजनाओं पर निम्नलिखित दरों के अनुसार विचार करता है: • @रु. 8000/मी.ट. 5000 मी.ट. तक की क्षमता के लिए • @रु. 7600/मी.ट. 5001 से 6500 मी.ट. के बीच की क्षमता के लिए • @रु. 7200/मी.ट. 6501 से 8000 मी.ट. के बीच की क्षमता के लिए • @रु. 6800/मी.ट. 8001 से 10000 मी.ट. के बीच की क्षमता के लिए	क्रेडिट लिंकड बैंक—एन्डिड सहायिकी 5000 मी.ट. से अधिक की क्षमता के लिए परियोजना की लागत के 35 प्रतिशत (उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों, पहाड़ी राज्यों तथा अनुसूचित क्षेत्रों में 50 प्रतिशत) की दर से। क्षमता की गणना के लिए 3.4 घन मीटर (घ.मी.) (120 घन फीट {घ.फी.} चैम्बर मात्रा 1 मी.ट. क्षमता के समकक्ष मानी जाएगी। (बोर्ड को 1000 मीट्रिक टन अथवा अधिक क्षमता के लिए उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में कोल्ड स्टोरेज परियोजनाएँ लेने की अनुमति दी गई है।) हालांकि, सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए सभी सामग्री/प्रौद्योगिकी को निर्धारित मानकों के अनुरूप होना चाहिए।
5.2.2	कोल्ड स्टोरेज यूनिट टाइप 2 – पीईबी टाइप बहु तापमान और उत्पाद उपयोग के लिए, < 250 मी.ट. के 6 चैम्बरों से अधिक और मूल सामग्री प्रहस्तन उपस्कर के साथ	रा.बा.बो. 5000 मी.ट. से अधिक 10000 मी.ट. तक की क्षमता वाली परियोजनाओं पर निम्नलिखित दरों के अनुसार विचार करता है: • @रु. 10000/मी.ट. 5000 मी.ट. तक की क्षमता के लिए • @रु. 9500/मी.ट. 5001 से 6500 मी.ट. के बीच की क्षमता के लिए • @रु. 9000/मी.ट. 6501 से 8000 मी.ट. के बीच की क्षमता के लिए • @रु. 8500/मी.ट. 8001 से 10000 मी.ट. के बीच की क्षमता के लिए	
5.2.3	कोल्ड स्टोरेज यूनिट टाइप 2 – नियंत्रित वातावरण के लिए एडऑन प्रौद्योगिकी सहित	रा.बा.बो. 5000 मी.ट. से अधिक 10000 मी.ट. तक की क्षमता वाली परियोजनाओं पर ऊपर दी गई टाइप 2 दरों के अनुसार विचार करता है। अतिरिक्त रु. 10,000/मी.ट. नियंत्रित वातावरण प्रौद्योगिकी के एडऑन घटकों के लिए घटक वार लागत के अनुसार।	

5.2.4	प्रौद्योगिकी समावेशन और कोल्ड चेन का आधुनिकीकरण	• @रु. 5000/मी.ट. क्षमता 5001 से 10000 मी.ट. के बीच के लिए • आधुनिकीकरण के घटकों में शामिल हैं – पीएलसी घटक, पैकिंग लाइन, डॉक लेवलर, एडवांस ग्रेडर्स, वैकल्पिक प्रौद्योगिकियाँ, स्टेकिंग प्रणाली, इन्स्यूलेशन और रेफरिज़रेशन का आधुनिकीकरण आदि।	
-------	---	--	--

5.2.5 उपलब्धियाँ

इस योजना के अधीन, बोर्ड ने रिपोर्टाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान कोल्ड स्टोरेजों/सीए स्टोरेजों की 75 परियोजनाओं को मंजूरी दी है जिसमें 483898.54 मी.ट. की क्षमता के सृजन के लिए रु. 12209.72 लाख की सब्सिडी दी गई है।

कोल्ड स्टोरेज



तेलंगाना में रा.बा.बो. से सहायता प्राप्त कोल्ड स्टोरेज परियोजना



तेलंगाना में रा.बा.बो. से सहायता प्राप्त कोल्ड स्टोरेज परियोजना

5.3 बागवानी के संवर्धन हेतु प्रौद्योगिकी विकास तथा हस्तांतरण

5.3.1 उद्देश्य

वाणिज्यिकीकरण/अंगीकरण के लिए चिह्नित नई प्रौद्योगिकियों/औजारों/तकनीकों को लोकप्रिय बनाने हेतु परियोजनाएँ निम्नलिखित उप-घटकों के माध्यम से चलाई जाएंगी:

5.3.2 घटक और सहायता का तरीका

क्र.सं.	घटक	सहायता का तरीका
i	ब्लॉक/मदर प्लांट तथा रूट स्टॉक नर्सरी की स्थापना (क्षेत्र 4 है० से अधिक)	परियोजना आधारित – 100 प्रतिशत और वायरस इंडेक्सिंग, ऊतक संवर्धन प्रयोगशाला आदि सहित प्रभावी नर्सरी क्षेत्र के लिए रु. 100.00 लाख/है० की दर से केवल सरकारी अभिकरण/सार्वजनिक क्षेत्र के माध्यम से।
ii	बागवानी फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए मूल्यांकन और व्यापक बहुलीकरण हेतु अन्य देशों से रोपण सामग्री के आयात सहित प्रौद्योगिकियों का अभिग्रहण।	परियोजना आधारित – 100 प्रतिशत और केवल सरकारी अभिकरण/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के माध्यम से रु. 50.00 लाख/परियोजना की दर से।
iii	प्रदर्शित करने के प्रयोजन के लिए बागवानी हेतु मशीनों तथा औजारों का आयात/खरीद।	रु. 50.00 लाख/मशीन। कुल लागत का 100 प्रतिशत और केवल सरकारी अभिकरण/सार्वजनिक क्षेत्र के माध्यम से। रा.बा.बो. द्वारा संवर्धित उत्पादक संघों और सहकारी सोसाइटियों तथा किसान उत्पादक संगठन के प्रस्तावों पर भी निदेशक मंडल के निदेशानुसार गुण-दोष पर विचार किया जा सकता है।
iv	प्रौद्योगिकी का विकास एवं हस्तांतरण:— (i) उच्च गुणवत्तायुक्त वाणिज्यिक उत्पादन के संवर्धन या उत्पादकता में वृद्धि के लिए नए फार्म आगत के प्रारम्भ और उपयुक्त प्रौद्योगिकियों इत्यादि के लिए प्रायोगिक परियोजना। (ii) पीएचएम, कोल्ड चेन, प्राथमिक प्रसंस्करण, जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित नए प्रोटोकॉल का विकास और परिचय तथा पीएचएम, स्टोरेज कोल्ड चेन सिस्टम सहित और हैंडलिंग के लिए नए औजारों/उपस्करणों/मशीनरियों का परिचय। (iii) उत्पादन, पीएचएम, पैकेजिंग, स्टोरेज, हैंडलिंग तथा परिवहन से संबंधित विशिष्ट समस्याओं के समाधान के लिए आर एंड डी परियोजनाएं।	कुल लागत का 100 प्रतिशत रु. 25.00 लाख/परियोजना तक और केवल सरकारी अभिकरण/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के माध्यम से।
v	लम्बी दूरी के परिवहन और रेल के माध्यम से बागवानी उत्पादों के थोक आवागमन को सुगम बनाने के लिए लम्बी दूरी परिवहन समाधान घटक।	परियोजना आधारित रु. 2000.00 लाख।

vi	उत्पाद संवर्धन और बाज़ार विकास सेवाएँ – हार्टि-फेअर	रु. 25.00 लाख – केन्द्रीय नोडल अभिकरण द्वारा लागत का 100 प्रतिशत।
vii	किसानों की एक्सपोजर यात्रा (राज्य के बाहर)	परियोजना आधारित – लागत के वास्तविक 100 प्रतिशत के अनुसार।
viii	सरकारी अधिकारियों के लिए विदेश दौरा	रु. 6.00 लाख प्रति प्रतिभागी – हवाई/रेल यात्रा तथा पाठ्यक्रम शुल्क का 100 प्रतिशत।
ix	बागवानी के विकास के लिए संगोष्ठियों/ कार्यशालाओं/प्रदर्शिनियों आदि का आयोजन/ भागीदारी।	(i) वित्तीय सहायता अंतरराष्ट्रीय आयोजन (3–5 दिन) के लिए रु. 10.00 लाख, राष्ट्रीय आयोजन के लिए रु. 5.00 लाख, राज्य–स्तरीय आयोजन के लिए रु. 3.00 लाख और जिला–स्तरीय आयोजन के लिए रु. 0.50 लाख तक सीमित होगी। (ii) अल्पावधि (1–2) संगोष्ठियों के मामले में, वित्तीय सहायता निम्नानुसार सीमित होगी: - रु. 1.00 लाख प्रति राज्य–स्तरीय आयोजन के लिए; - रु. 2.00 लाख प्रति राष्ट्रीय–स्तरीय आयोजन के लिए, और - रु. 3.00 लाख प्रति अंतरराष्ट्रीय आयोजन के लिए (भारत के भीतर अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन/भागीदारी)।
x	फल और सब्जी नर्सरियों का प्रमाणन और रेटिंग	रु. 1.00 लाख/नर्सरी – केन्द्रीय नोडल अभिकरण (रा.बा.बो.) द्वारा।

5.3.3 उपलब्धियाँ

इस योजना के तहत, रा.बा.बो. ने नई प्रौद्योगिकी की शुरुआत, प्रगतिशील किसानों के दौरो, हार्टि संगम, संगोष्ठियों/गोष्ठियों/प्रदर्शिनियों के आयोजन/भागीदारी, प्रौद्योगिकी जागरूकता, मदर प्लांट नर्सरियों आदि के लिए 30 परियोजनाओं/कार्यक्रमों को सहायता प्रदान की है और रु. 108.69 लाख की वित्तीय सहायता राशि जारी की है।



रा.बा.बो. देहरादून ने दिनांक 30.11.2023 को जीपीपीयू एंड टी पंतनगर में किसानों के लिए जागरूकता कार्यक्रम में भाग लिया



रा.बा.बो. देहरादून ने 01 से 03 मार्च 2024 तक राजाभवन देहरादून में आयोजित हॉर्टी एक्सपो में भाग लिया

फल और सब्जी नर्सरियों का प्रमाणन तथा रेटिंग



जिला नवसारी (गुजरात) में फल पौध नर्सरी



जिला बनासकांठा (गुजरात) में सब्जी की नर्सरी

फल और सब्जी नर्सरियों का प्रमाणन तथा रेटिंग



उत्तराखंड में जिला उत्तरकाशी में सेब नर्सरी

5.4 बागवानी फसलों के लिए बाज़ार सूचना सेवा

इस योजना के अंतर्गत कम्प्यूटरीकरण, प्रौद्योगिकी पैकेज का विकास, डेटा फीडिंग, प्रचार के माध्यम से सूचना प्रसार, मुद्रित साहित्य, स्थानीय विज्ञापनों आदि का कार्य होता है। इस योजना में एमआईडीएच के टीएसजी घटक के अंतर्गत आवश्यकता अनुसार अनुमोदित दरों पर आउटसोर्स स्टाफ जैसे वरिष्ठ प्रोग्रामर, प्रोग्रामर, डाटा एंट्री ऑपरेटरों और बागवानी सहायकों को लगाने की व्यवस्था है। इस योजना के तहत मिशन प्रबंधन और प्रशासनिक व्यय सहित एन.एच.बी. केन्द्रों हेतु राशि रु. 903.24 लाख का व्यय हुआ है।

5.5 बागवानी संवर्धन सेवाएँ/विशेषज्ञ सेवाएँ और रा.बा.बो. की क्षमताओं का सुदृढ़ीकरण

इस घटक के अधीन, विशेष तरह के अध्ययन और सर्वेक्षण किए जाएंगे और अध्ययन/सर्वेक्षण प्रतिवेदन लक्षित लाभार्थियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने के लिए पेश किए जाएंगे। इसके अलावा, तकनीकी प्रयोगशालाएँ स्थापित की जाएंगी अथवा ध्येय स्थापित किया जाएगा और सलाहकारी एवं परामर्श सेवाओं सहित तकनीकी सेवाएँ भी उपलब्ध करवाई जाएंगी।

रा.बा.बो. द्वारा यह कार्य अपनी मैनपावर और आउटसोर्स विशेषज्ञों की सेवाओं के साथ किया जाता है और इस योजना के अधीन, नोडल संगठनों अर्थात् स्वयं रा.बा.बो., राज्य सरकारें/संघ शासित क्षेत्र और इसके अधीन संगठन, केन्द्रीय सरकार के संगठनों/अभिकरणों और अन्य संगठनों जैसे भारतीय गुणवत्ता परिषद्/एन.एच.आर.डी.एफ., आदि के माध्यम से 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

बागवानी संवर्धन सेवा योजना के तहत रु. 1363.03 लाख और मिशन प्रबंधन तथा प्रशासनिक व्यय के तहत रु. 324.55 लाख की राशि मुख्यालय हेतु व्यय की गई है।

मुख्य विशेषताएँ : 2023-24

1. वाणिज्यिक बागवानी का संवर्धन

- क) **वाणिज्यिक बागवानी – खुले क्षेत्र में खेती:** विभिन्न फलों, मसालों, सुगंधित पौधों की परियोजना मोड में खुले क्षेत्र परिस्थितियों वाली 103 वाणिज्यिक बागवानी परियोजनाओं के लिए रु. 788.855 लाख की सब्सिडी उपलब्ध करवाई गई है जिसमें 1158.87 एकड़ क्षेत्र शामिल है।
- ख) **वाणिज्यिक बागवानी – फूलों और सब्जियों की संरक्षित खेती:** फूलों और सब्जियों की संरक्षित परिस्थितियों वाली 295 परियोजनाओं के लिए रु. 6762.323 लाख की सब्सिडी उपलब्ध करवाई गई है जिसमें 452.63 एकड़ क्षेत्र शामिल है।
- ग) **फसल-कटाई उपरांत प्रबंधन हेतु सहायता:**
- (i) ग्रेडिंग पैकिंग इकाईयाँ, पैक हाऊस, कोल्ड रूम आदि के सृजन हेतु 14 परियोजनाएँ जिसमें रु. 210.741 लाख की सब्सिडी उपलब्ध करवाई गई है।
- (ii) प्राथमिक प्रसंस्करण इकाई के सृजन हेतु 01 परियोजना जिसमें रु. 8.75 लाख की राशि उपलब्ध करवाई गई है।
- घ) **अनुपूरक गतिविधियाँ:** मशरूम इकाईयों की 08 परियोजनाएं जिसमें रु. 377.955 लाख की सब्सिडी उपलब्ध करवाई गई है।

2. कोल्ड स्टोरेज क्षमता का सृजन

- क) एन.एच.बी. ने 483898.54 मी.ट. क्षमता के सृजन के लिए 75 कोल्ड स्टोरेजों/सीए स्टोर्स को रु. 102.02 करोड़ की सब्सिडी उपलब्ध करवाई है।

3. बागवानी के संवर्धन हेतु प्रौद्योगिकी विकास एवं हस्तांतरण

- क) **क्षमता निर्माण कार्यक्रम :** विभिन्न गतिविधियों जैसे संगोष्ठियों/गोष्ठियों/प्रदर्शिनियों में भागीदारी, प्रौद्योगिकी जागरूकता, मदर प्लांट नर्सरियों के 30 कार्यक्रम आयोजित किए गए/सहयोग प्रदान किया गया।
- ख) **गुणवत्ता रोपण सामग्री :** फल एवं सब्जी नर्सरी के प्रमाणन तथा मूल्यांकन की प्रणाली 2008-09 से शुरू की गई है। 2023-24 के दौरान, बोर्ड ने 433 नर्सरियों को प्रमाणित किया है।



4. हिंदी पखवाड़ा और हिंदी प्रतियोगिताओं के लिए पुरस्कार वितरण समारोह



रिपोर्ट की अवधि के दौरान रा.बा.बो. द्वारा की गई नई पहल:

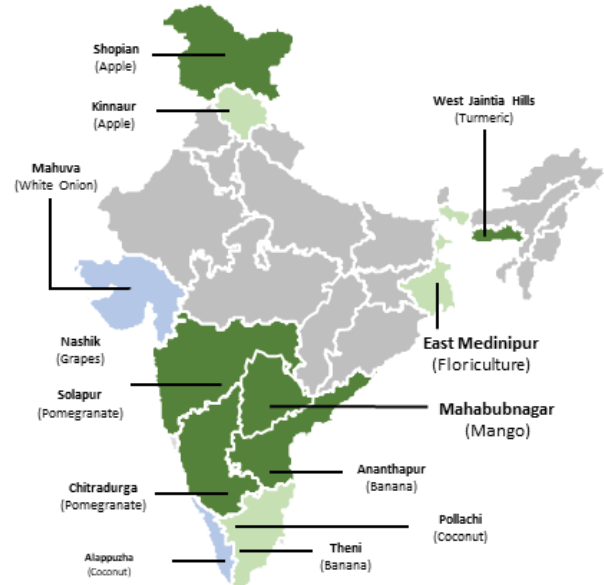
I. बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम

बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम (सीडीपी) का उद्देश्य पहचान किए गए बागवानी क्लस्टरों की समग्र उन्नति और विकास को सक्षम करना है ताकि उन्हें विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके तथा उन्हें राष्ट्रीय एवं वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में शामिल किया जा सके। यह कार्यक्रम बागवानी क्लस्टरों की भौगोलिक विशेषज्ञता का लाभ उठाने और पूर्व-उत्पादन, उत्पादन, फसल कटाई उपरांत, लॉजिस्टिक्स, विपणन और ब्रांडिंग गतिविधियों के एकीकृत तथा बाजार के नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है।

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनएचबी) ने कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी होने के नाते कार्यक्रम को चलाने और इसके कार्यान्वयन में सहायता के लिए कार्यक्रम प्रबंधन इकाई के रूप में मै. ग्रांट थॉर्नटन भारत एलएलपी को नियुक्त किया है। फील्ड दौरों और मूल्य श्रृंखला के विभिन्न हितधारकों से प्राप्त व्यापक फीडबैक के आधार पर, बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम के लिए परिचालन दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं और उन्हें अंतिम रूप दिया गया है। इसके अलावा, कार्यक्रम के पायलट चरण को शुरू में शॉर्टलिस्ट किए गए 12 क्लस्टरों के साथ लागू करने का निर्णय लिया गया है और पायलट चरण से मिली सीख के आधार पर कार्यक्रम को सभी 55 क्लस्टरों को कवर करने के लिए बढ़ाया जाएगा।

कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं:—

- घरेलू और निर्यात बाजारों में प्रतिस्पर्धात्मकता में तेजी लाने के लिए पूर्व-उत्पादन, उत्पादन, फसल-कटाई उपरांत प्रबंधन और मूल्य संवर्धन से लेकर लॉजिस्टिक्स, विपणन और ब्रांडिंग तक बागवानी मूल्य श्रृंखला की चिंताओं का एकीकृत तरीके से समाधान करना।
- उत्पाद के फसल-कटाई उपरांत प्रहस्तन, मूल्य संवर्धन और बाजार संपर्कों के लिए अवसंरचना का विकास/विस्तार/अपग्रेड करते हुए फसल-कटाई और फसल-कटाई उपरांत नुकसानों को कम करना।
- फोकस क्लस्टर फसलों की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए नवीन प्रौद्योगिकियों और प्रथाओं की शुरुआत को सुगम बनाना।
- वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में हितधारकों को शामिल करने के लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं के अभिसरण सहित संसाधनों के समन्वय को सुगम बनाना।
- ब्रांड प्रमोशन सहित क्लस्टर-विशिष्ट मध्यवर्तनों से हितधारक क्षमता का निर्माण और किसानों की आय में वृद्धि करना।



पायलट चरण के कलस्टरों में सेब के लिए शोपियां (जम्मू एवं कश्मीर) और किन्नौर (हिमाचल प्रदेश), आम के लिए लखनऊ (उत्तर प्रदेश), कच्छ (गुजरात) और महबूबनगर (तेलंगाना), केले के लिए अनंतपुर (आंध्र प्रदेश) और थेनी (तमिलनाडु), अंगूरों के लिए नासिक (महाराष्ट्र), अनानास के लिए सिपाहीजाला (त्रिपुरा), अनार के लिए शोलापुर (महाराष्ट्र) और चित्रदुर्ग (कर्नाटक) तथा हल्दी के लिए पश्चिम जयंतिया हिल्स (मेघालय) शामिल हैं। कलस्टर नामतः लखनऊ और कच्छ आम के लिए तथा सिपाहीजाला अनानास के लिए को नारियल के लिए पोलाची (तमिलनाडु) और अलेप्पी (केरल) से और पुष्पोत्पादन कलस्टरों के लिए पूर्व में मेदिनीपुर से बदला गया है।

दिशानिर्देशों में निर्धारित कार्यान्वयन ढांचे के अनुसार, कमियों का विस्तृत विश्लेषण करने और कलस्टरों में अभिनव मध्यवर्तनों की गुंजाइश का निर्धारण करने के लिए प्रत्येक अभिचिह्नित कलस्टर के लिए कलस्टर विकास एजेंसी (सीडीए) की नियुक्ति की गई है। सभी सीडीए द्वारा प्रस्तुत कलस्टर कमी मूल्यांकन रिपोर्टों (सीजीएआर) के आधार पर सीडीपी के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्षेत्रों के कार्यान्वयन के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों (आईए) के चयन हेतु तथा सीडीए द्वारा प्रस्ताव अनुरोध (आरएफपी) मांगे/प्रकाशित किए गए थे और संभावित आईए के साथ एक से एक बैठक आयोजित की गई थी।

सभी कलस्टरों में कार्यान्वयन एजेंसियों के चयन के लिए प्रकाशित प्रस्तावों के अनुरोध (आरएफपी) के प्रत्युत्तर में, कार्यान्वयन एजेंसियों को पांच (5) कलस्टरों अर्थात् महबूबनगर (आम) के लिए मैसर्स प्रसाद सीड्स प्राइवेट लिमिटेड, शोपियां (एप्पल) के लिए मैसर्स एफआईएल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, नासिक (अंगूर) के लिए मैसर्स सहयाद्री फार्म्स पोस्ट हार्वेस्ट केयर लिमिटेड, पश्चिम जयंतिया हिल्स (हल्दी) के लिए मैसर्स मेघालय बेसिन प्रबंधन एजेंसी और चित्रदुर्ग (अनार) के लिए मैसर्स एसोसिएटिड इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन में परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों को अंतिम रूप दिया गया है। शेष सात (7) कलस्टर प्रगति पर हैं।

इन 5 परियोजनाओं के लिए लगभग 700 करोड़ रुपये के निवेश को अनुमोदन प्रदान किया गया है, जिसमें लगभग 440 करोड़ रुपये का निजी योगदान और उनके कार्यान्वयन के लिए लगभग 260 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता शामिल है। अब तक, कलस्टरों में कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा लगभग 40 करोड़ रुपये का व्यय भी किया गया है





चूंकि कार्यान्वयन 5 क्लस्टरों में पहले से ही शुरू किया जा चुका है, इसलिए बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम के भीतर निगरानी, प्रलेखन, प्रबंधन और निधि संवितरण प्रक्रियाओं के लिए मै. ग्रांट थॉर्नटन द्वारा सीडीपी-सुरक्षा (क्लस्टर विकास कार्यक्रम- एकीकृत संसाधन आंबटन ज्ञान और सुरक्षित बागवानी सहायता के लिए प्रणाली) पोर्टल विकसित किया जा रहा है। पोर्टल हितधारकों के बीच सुव्यवस्थित सहयोग, उन्नत परिचालन और सूचित निर्णय लेने की सुविधा प्रदान करेगा। इसके अतिरिक्त, जीआईएस और जियो-टैगिंग क्षमताओं का एकीकरण बागवानी क्लस्टरों की व्यापक समझ प्रदान करेगा, जिससे उन्नति क्षेत्रों की पहचान करने और संसाधन उपयोग का आकलन करने में सहायता मिलेगी।

II. इंडिया कोल्ड चेन कॉन्क्लेव (5 अप्रैल कुल्लू, हिमाचल)

हिमाचल में समग्र कोल्ड चेन प्रणाली के महत्व और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, एनसीसीडी ने आईएसएचआरएई के साथ हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में एक दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया। इस एक दिवसीय कार्यक्रम में क्षेत्र के विशेषज्ञों, सरकारी निकायों, किसानों आदि ने साझा मंच पर विचार साझा किए। इस क्षेत्र में एक मजबूत और प्रभावी कोल्ड चेन बुनियादी ढांचे के विकास का समर्थन करने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ-जिसमें कोल्ड स्टोरेज सुविधाएं, अच्छी तरह से जुड़े परिवहन नेटवर्क और कोल्ड चेन आपूर्ति प्रणाली के अन्य आवश्यक घटकों की स्थापना शामिल है, एक दिवसीय कार्यक्रम कुल्लू-हिमाचल प्रदेश में स्माइल रिजॉर्ट में आयोजित किया गया था।



इस सत्र में डॉ. विजय कुमार दोहरे, उप प्रबंध निदेशक-एनएचबी और श्री आशीष फोतेदार, सीओओ-एनसीसीडी ने देश में कोल्ड चेन बुनियादी ढांचे के विकास और सुदृढ़ीकरण में विभिन्न सरकारी पहलों पर अपने विचार साझा किए। इस सत्र में कोल्ड स्टोर स्थापित करते समय सब्सिडी का लाभ उठाने के बारे में किसानों द्वारा पूछे गए विभिन्न प्रश्नों को भी संबोधित किया गया। श्री संजय गुप्ता, डीडीएच मंडी ने हिमाचल प्रदेश सरकार के प्रयासों पर जोर दिया, विशेष रूप से एचपीएचडीपी और एचपी शिवा पहलों का उल्लेख किया। उन्होंने हिमाचल प्रदेश

में उत्पादकता बढ़ाने के उद्देश्य से एचपी शिवा के हिस्से के रूप में पांच वर्षों में 4000 एकड़ में सात चिह्नित फसलों के 50 लाख रोपण की योजना पर चर्चा की।



डॉ. विजय कुमार दोहरे (उप प्रबंध निदेशक—एनएचबी) ने एनएचबी की प्रमुख पहल क्लस्टर विकास कार्यक्रम के बारे में चर्चा की। उन्होंने एनएचबी के नेतृत्व वाली परियोजना पर एक बहुत ही सूचनाप्रद प्रस्तुति साझा की, जिसकी खूब सराहना की गई।

III. सीडीपी के तहत एक बहु-घटक कच्छ क्लस्टर विकसित करना।

18/07/2024 को, प्रबंध निदेशक, जीएआईसी, गांधीनगर की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई, ताकि सीडीपी के तहत एक बहु-घटक कच्छ क्लस्टर विकसित करने की संभावना का पता लगाया जा सके। नामित अधिकारियों और सीडीए, एनएचबी, पीएमयू टीम, एफपीओ, गुजरात राज्य सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (गुजरात कं. मसोल), निजी प्लेयरों आदि के प्रतिनिधियों ने भी बैठक में सक्रिय रूप से भाग लिया।

एनएचबी टीम ने विभिन्न हितधारकों के साथ भी बातचीत की और कच्छ तथा महुआ दोनों क्लस्टरों की चुनौतियों और अवसरों पर चर्चा की।

पीएमयू टीम ने कच्छ आम और अन्य संभावित घटकों जैसे खजूर और अनार के वर्तमान परिदृश्य के साथ कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया। इसके अलावा, महुआ सफेद प्याज क्लस्टर को लेकर भी चर्चा हुई।



विस्तृत विचार-विमर्श किए गए, और हितधारकों से प्राप्त इनपुट और सुझावों से यह देखा गया कि कच्छ को एक बहु-घटक क्लस्टर माना जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, महुआ एक संभावित क्लस्टर है जिसका दौरा किया जा सकता है, और क्लस्टरों को अंतिम रूप देने के लिए किसानों के साथ एक बैठक आयोजित की जा सकती है।

बैठक के बाद, एनएचबी और पीएमयू टीमों ने नरोदा में जीएआईसी द्वारा बनाई गई बहु-घटक उपयोग के लिए सुविधा (छंटार्ह, ग्रेडिंग लाइन, कोल्ड स्टोरेज और राइपनिंग चेम्बर्स) का दौरा किया। यह सुविधा प्राइम फ्रेश लिमिटेड को लीज पर दी गई है।

निष्कर्ष: कच्छ क्लस्टर को आम, खजूर और अनार के लिए एक बहु-घटक क्लस्टर माना जा सकता है। महुआ क्लस्टर का दौरा करने की आवश्यकता है, जो जुलाई के अंतिम सप्ताह में आयोजित किया जा सकता है।

IV. महबूबनगर आम क्लस्टर

5 सितंबर को, श्रीमती एस.के. यासमीन बाशा, आईएएस, बागवानी एवं रेशन उत्पादन, तेलंगाना सरकार की अध्यक्षता में टीएसएचडीसीएल, हैदराबाद के कार्यालय में एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

सीडीए, एनएचबी (राज्य से), आईए, पीएमयू, एपीडा, एनएबीसीओएनएस से संबद्ध अधिकारियों/प्रतिनिधियों और किसानों ने भौतिक रूप से भाग लिया।



पीएमयू ने कार्यक्रम के संक्षिप्त विवरण, उद्देश्य और समग्र स्थिति तथा आईए के चयन तक अपनाई गई प्रक्रियाओं के साथ बैठक की शुरुआत की। इसके अलावा, क्लस्टर में हुई प्रगति पर आईए द्वारा प्रस्तुती दी गई।

इसके अलावा, कृषि स्तर के मध्यवर्तनों पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। बैठक के दौरान किसानों द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं का समाधान किया गया। आईए को ब्लॉक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने की सलाह दी गई है ताकि किसानों/लाभार्थियों को कार्यक्रम और लाभों के बारे में पता चल सके। इसके अलावा, आईए को ऐसा करने की सलाह दी गई है—

किसानों की पहचान और पंजीकरण, क्षमता निर्माण, फलों की देखभाल से संबंधित गतिविधियों के साथ आईएनएम और आईपीएम।

V. भारत का स्वच्छ पौधा कार्यक्रम (सीपीपी) निर्माण

1. पृष्ठभूमि और सीपीपी की आवश्यकता

फलों के पौधों में वायरस और वायरस जैसे रोगजनकों की उपस्थिति के गंभीर परिणाम होते हैं, जो न केवल उपज को प्रभावित करते हैं बल्कि उपज की गुणवत्ता, स्वाद, आकार और पोषण मूल्य को भी प्रभावित करते हैं। ये हानिकारक प्रभाव उत्पादकों के लिए महत्वपूर्ण आर्थिक नुकसान में परिवर्तित हो जाते हैं और बाजार में मूल्य उतार-चढ़ाव में योगदान करते हैं, साथ ही साथ खराब फल की गुणवत्ता के कारण उपभोक्ताओं में असंतोष भी होता है।

फलों की फसलों के लिए भारत की वर्तमान रोपण सामग्री उत्पादन प्रणाली मुख्य रूप से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के फसल-विशिष्ट संस्थानों/राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्रों (एनआरसी) और राज्य

कृषि विश्वविद्यालयों (एसएयू) पर निर्भर करती है। ये संस्थान विभिन्न प्रकार के विकास, परीक्षण और नर्सरियों को मदर सामग्री की आपूर्ति के लिए अनुसंधान एवं विकास में लगे हुए हैं। हालांकि, इन अनुसंधान एवं विकास प्रयासों के बावजूद, रोग और वायरस मुक्त वाणिज्यिक पैमाने पर उत्पादन और आपूर्ति सुनिश्चित करने में एक उल्लेखनीय कमी है। इन चुनौतियों में स्वच्छ मदर ब्लॉक और नर्सरी जवाबदेही की कमी, अपर्याप्त परीक्षण सुविधाएं, प्रमाणन और पता लगाने की क्षमता के लिए कानूनी ढांचे की अनुपस्थिति और कृषक समुदाय के बीच जागरूकता की कमी शामिल है।

आर्थिक नुकसानों को रोकने, उपज के नुकसानों को कम करने, गुणवत्ता और बाजार प्रतिस्पर्धा की रक्षा करने, नए क्षेत्रों में विस्तार की सुविधा प्रदान करने तथा चिरस्थायी खेती प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले रोपण सामग्री की महत्वपूर्ण मांग को पूरा करने के लिए भारत में स्वच्छ पौधा कार्यक्रम की आवश्यकता है। सीपीपी का प्राथमिक मिशन पहचानी गई फसलों के रोगजनक-परीक्षण प्रसार सामग्री का उत्पादन, रखरखाव और वितरण करना है।

2. सीपीपी के लिए दृष्टिकोण

स्वच्छ पौधा कार्यक्रम के लिए प्रस्तावित दृष्टिकोण निम्नानुसार है:

- सरकारी संस्थान आईसीएआर प्रणाली के भीतर प्रस्तावित स्वच्छ पौधा केंद्रों (सीपीसी) के माध्यम से नाभिक/मदर प्लांट सामग्री (जी-1) पर नियंत्रण रखेंगे।
- बड़े पैमाने पर नर्सरियों को सीपीसी (जी 2 और जी 4) से रोपण सामग्री को गुणा करने के लिए उपयुक्त बुनियादी ढांचे के विकास और स्थापना के लिए समर्थन प्राप्त होगा।
- एक राष्ट्रीय प्रमाणन प्रणाली शुरू की जाएगी।
- मौजूदा बीज अधिनियम के तहत सीपीसी और केंद्रीय प्रमाणन प्रणाली के लिए एक कानूनी ढांचे का प्रावधान किया जाएगा।

3. स्वच्छ पौधा कार्यक्रम के तहत आउटपुट

स्वच्छ पौधा कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित तीन आउटपुट हैं:

आउटपुट 1— संस्थागत और नियामक ढांचे, और स्वच्छ पौधा कार्यक्रम के लिए ज्ञान नेटवर्क स्थापित और संचालित करना

आउटपुट 2— स्वच्छ पौधा केंद्र (सीपीसी) स्थापित और प्रचालित किए गए। प्रस्तावित सीपीसी और लक्षित फसलों में शामिल हैं:—

क्र. सं.	आईसीएआर संस्थान	सीपीसी का स्थान	प्रस्तावित लक्ष्य फसलें	बैंक-अप जी1 ब्लॉक
1	राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केन्द्र (एनआरसीजी)	पुणे, महाराष्ट्र	अंगूर	(आईआईएचआर में)
2	भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान (आईआईएचआर)	बेंगलूर, कर्नाटक	आम, अमरुद, ड्रेगन फ्रूट, एवोकाडो	अंगूर, नींबू वर्गीय फल (सीआईएसएच के लिए बैंकअप)
3	केन्द्रीय नींबू वर्गीय फल अनुसंधान संस्थान (सीसीआरआई)	नागपुर, महाराष्ट्र	नींबू वर्गीय फल	(आईआईएचआर में)

4	केन्द्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान (सीआईटीएच)	मुक्तेश्वर, उत्तराखंड	सेब, बादाम, अखरोट, बेरी, अन्य शीतोष्ण फल	(जम्मू एवं कश्मीर में)
5	राष्ट्रीय अनार अनुसंधान केन्द्र (एनआरसीपी)	शोलापुर, महाराष्ट्र	अनार	—
6	केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान (सीआईएसएच)	लखनऊ, उत्तर प्रदेश	आम, अमरुद, लीची	एवोकाडो (आईआईएचआर के लिए बैकअप)
7	केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान (सीआईएएच)	बीकानेर, राजस्थान	नींबू वर्गीय फल	सीसीआरआई नागपुर / आईआईएचआर
8	आईसीएआर — पूर्वी भारत बागवानी केन्द्र	पश्चिम बंगाल / झारखंड	ऊष्णकटिबंधीय और उपोष्ण फसलें	सीआईएसएच, लखनऊ
एमआईडीएच के बजट आबंटन से एडीबी ऋण सहयोग के बिना				
9	केन्द्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान (सीआईटीएच)	जम्मू एवं कश्मीर	सेब, बादाम, अखरोट, बेरी, अन्य शीतोष्ण फल	(मुक्तेश्वर में)

आउटपुट 3— मान्यता प्राप्त नर्सरियों द्वारा उत्पादित प्रमाणित स्वच्छ रोपण सामग्रियां।

4. सीपीपी से अपेक्षित परिणाम:—

- व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण फलों की फसलों के लिए वायरस मुक्त रोपण सामग्री के प्रसार को एक मजबूत कानूनी ढांचे के तहत विनियमित किया जाएगा। यह ढांचा गुणवत्ता और विश्वसनीयता के उच्च मानकों की गारंटी देते हुए, सभी रोपण सामग्रियों का पूर्ण प्रमाणीकरण और पता लगाने की क्षमता सुनिश्चित करेगा।
- कृषक समुदाय को टू-टू-टाइप, वायरस-मुक्त रोपण सामग्रियों के उत्पादन और वितरण करने के लिए बड़ी तथा मध्यम आकार की नर्सरियां विकसित की जाएंगी।
- पहले छह वर्षों के भीतर, स्वच्छ रोपण सामग्री के उत्पादन के लिए एक व्यापक ढांचा स्थापित किया जाएगा। इस अवधि के अंत तक, यह अनुमान लगाया गया है कि किसानों की रोपण सामग्री की आवश्यकताओं का 30% इस प्रणाली के माध्यम से उत्पादित वायरस मुक्त सामग्री से पूरा किया जाएगा। अगले दस वर्षों में, कार्यक्रम का उद्देश्य पहचान की गई वाणिज्यिक रूप से महत्वपूर्ण फसलों के लिए रोपण सामग्री की आवश्यकताओं का 80-90% पूरा करना है। वर्तमान में, इस कार्यक्रम के तहत पहचान की गई फल फसलों के लिए लक्षित क्षेत्र लगभग 4.5 मिलियन हेक्टेयर को कवर करता है। प्रारंभिक चरण में, कार्यक्रम का लक्ष्य इस क्षेत्र के 30% को लक्षित करना है, जिससे लगभग 1.5 मिलियन किसान परिवारों को लाभ होगा। जैसे-जैसे कार्यक्रम पूर्ण रूप से कार्यान्वित होगा, यह अनुमान लगाया गया है कि उन्नत पौध रोपण सामग्री उत्पादन प्रणाली से लगभग 5 मिलियन कृषक परिवार लाभान्वित होंगे।

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के उद्देश्य

- i) चिह्नित क्षेत्रों में उच्च-प्रौद्योगिकी वाणिज्यिक बागवानी का विकास और ऐसे क्षेत्रों को बागवानी गतिविधि से गुंजायमान करना जो बाद में बागवानी के विकास के लिए केन्द्रों के रूप में कार्य करेंगे।
- ii) क्षेत्र विस्तार परियोजनाओं के समग्र भाग के रूप में या परियोजनाओं के समूह के लिए सामान्य सुविधाओं के रूप में आधुनिक कटाई-उपरांत प्रबंधन की अवसंरचना का विकास करना।
- iii) ताजे बागवानी उत्पाद के लिए एकीकृत, ऊर्जा कार्यक्षम शीत श्रृंखला अवसंरचना का विकास करना।
- iv) प्रौद्योगिकी और जरूरत निर्धारण करने के पश्चात् वाणिज्यिकरण/अंगीकरण हेतु चिह्नित नई प्रौद्योगिकियों/औजारों/तकनीकों का प्रचार-प्रसार करना।
- v) कलम तथा प्रकंदन बैंकों/मदर प्लांट नर्सरियों की स्थापना का संवर्धन करते हुए और बागवानी नर्सरियों के प्रत्यायन/मूल्यांकन करते हुए तथा रोपण सामग्री के आवश्यकता आधारित आयातों द्वारा गुणवत्तायुक्त रोपण सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने में सहायता प्रदान करना।
- vi) ताजे बागवानी उत्पादों को बढ़ावा देना तथा बाजार का विकास करना।
- vii) नए विकसित/आयातित रोपण सामग्री और अन्य कृषि निवेशों, उत्पादन प्रौद्योगिकी, पी.एच.एम. प्रोटोकॉल्स, आई.एन.एम. तथा आई.पी.एम. प्रोटोकॉल्स के फील्ड परीक्षणों को बढ़ावा देना तथा उद्गम प्रौद्योगिकी के वाणिज्यिकरण हेतु अनुप्रयुक्त अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा देना।
- viii) लेबर लागत कम करने और बागवानी फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए बागवानी में फार्म मशीनीकरण को इसके प्रदर्शन और किसानों के खेतों में इसके उपयोग के माध्यम से बढ़ावा देना।
- ix) पी.एच.एम. प्रोटोकॉलों के लिए अनुप्रयुक्त अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना, ताजे बागवानी उत्पाद के लिए महत्वपूर्ण भंडारण परिस्थितियां निर्धारित करना, शीत श्रृंखला अवसंरचना के लिए तकनीकी मानकों के तलचिह्न स्तर निर्धारित करना आदि।
- x) उत्पादकों/किसानों तथा सेवा प्रदाताओं जैसे बागबानों, मालियों, फार्म स्तर पर कुशल कामगारों, कोल्ड स्टोरेजों में परिचालक, ताजे बागवानी उत्पाद के प्रसंस्करण सहित फसल-कटाई उपरांत प्रबंधन करने वाले कार्यबल और मास्टर प्रशिक्षकों को प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण।
- xi) बागवानी उत्पाद और उत्पादों के उपभोग को बढ़ावा देना।
- xii) रेल आदि के माध्यम से बागवानी उत्पाद के थोक आवागमन के लिए लम्बी दूरी परिवहन समाधान को बढ़ावा देना।
- xiii) बागवानी के व्यवस्थित विकास के लिए अल्पावधि और दीर्घावधि रणनीतियाँ विकसित करने और अवरोधों की पहचान करने के लिए अध्ययन और सर्वेक्षण करना तथा सलाहकारी एवं परामर्श सेवाओं सहित तकनीकी सेवाएं उपलब्ध करवाना।

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के निदेशक मंडल की सूची (31.03.2024 के अनुसार)

क्र. सं.	आधिकारिक सदस्य का नाम, पदनाम, दूरभाष नं. और ईमेल आईडी	पदनाम
1	माननीय केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार कृषि भवन, नई दिल्ली दूरभाष: 011-23383370 / 23782691 / 23384129 ईमेल: agrimin.india@gmail.com	पदेन अध्यक्ष
2	माननीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार कृषि भवन, नई दिल्ली दूरभाष: 011-23782343 / 23782565 ईमेल: mosafwooffice@gmail.com	पदेन उपाध्यक्ष
3	सचिव कृषि एवं किसान कल्याण विभाग कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार कृषि भवन, नई दिल्ली दूरभाष: 011-23382651 / 23388444 ईमेल: secy-agri@gov.in	पदेन सदस्य
4	सचिव खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई), पंचशील भवन, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली- 110049 दूरभाष: 011-26493225, 26493012(का.), 24106327(आ.) ईमेल: secy.mofpi@nic.in	पदेन सदस्य
5	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग (डीएआरई) सह महानिदेशक (डीजी) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि भवन, नई दिल्ली दूरभाष: 011-23382629-476 / 25841976 / 23386711 / 25843190 (आ.) ईमेल: dg.icar@nic.in	पदेन सदस्य
6	अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार कृषि भवन, नई दिल्ली दूरभाष: 011-23381363 / 23382532 ईमेल: asfa-agri@nic.in	पदेन सदस्य

क्र. सं.	आधिकारिक सदस्य का नाम, पदनाम, दूरभाष नं. और ईमेल आईडी	पदनाम
7	अपर सचिव (बागवानी), कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार कृषि भवन, नई दिल्ली दूरभाष: 011-23381503 ईमेल: ascc-agri@nic.in	पदेन सदस्य
8	संयुक्त सचिव एवं मिशन निदेशक, एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार कृषि भवन, नई दिल्ली दूरभाष: 011-23382444 / 23073779 ईमेल: jsmidh-agri@gov.in	पदेन सदस्य
9	बागवानी आयुक्त, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार कृषि भवन, नई दिल्ली दूरभाष: 011-23381012 / 23383712 ईमेल: hort.comm-agri@gov.in	पदेन सदस्य
10	सलाहकार (कृषि), नीति आयोग, संसद मार्ग, नई दिल्ली दूरभाष: 011-23096630 / 011-23096613 (पीएस-सलाहकार) 2598, मो0 : 9868060359 ईमेल: adviser.agri-pc@nic.in	पदेन सदस्य
11	अध्यक्ष कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा), सिरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, तीसरी मंजिल, एनसीयूआई भवन, अगस्त क्रान्ति मार्ग, नई दिल्ली दूरभाष: 011-26513167 / 26526187 / 41486020 ईमेल: chairman@apeda.gov.in	पदेन सदस्य
12	श्री राजीब बोरदोलोई म.नं. — 47, आनंदा नगर छह मील, खानापाडा, गुवाहाटी— 781022 मो0: 9706042456 / 9706063243 ईमेल: rajib.bordoloi29@gmail.com	गैर-सरकारी सदस्य

क्र. सं.	आधिकारिक सदस्य का नाम, पदनाम, दूरभाष नं. और ईमेल आईडी	पदनाम
13	श्री मृगेन्द्र कुमार ग्राम — मनोरा, पोस्ट— ओबरा, जिला— औरंगाबाद बिहार— 824124 मो0: 9934635843 / 8709828047 ईमेल: mrigendamanora@gmail.com	गैर—सरकारी सदस्य
14	श्री भीमसेन महादेवप्पा कोकरे के.सी. नगर, डीसीसी बैंक, सोलापुर रोड विजयपुरा, कर्नाटक — 586103 मो0: 9448143656 ईमेल: kokarebm@gmail.com	गैर—सरकारी सदस्य
15	श्री धरुमन ए. 3/111, एब्बानाडु, एब्बानाडु पोस्ट, नीलगिरी, ऊटी, तमिलनाडु — 643206 मो0: 9443522730 ईमेल: adharuman@gmail.com	गैर—सरकारी सदस्य
16	श्री एम. के. एकिलन, कैमलागम, 12, थर्ड क्रॉस बालाजी नगर, ओलगरेट, पुदुच्चेरी—605005 मो0: 9843112121 / 8072256505 ईमेल: akilan.kannan@gmail.com	गैर—सरकारी सदस्य
17	श्री वाणीपल्ली श्रीनिवास रेड्डी 6-3-1360, एनजीओ कॉलोनी, वनस्थलीपुरम, आईबी नगर, हैदराबाद, तेलंगाना— 500070 मो0: 9676000776 ईमेल: srinivasvanipally@gmail.com	गैर—सरकारी सदस्य
18	श्री सिंगम सोमशेखर रेड्डी म. नं.—2-1-1 ए, गोकुलापाडु गांव कल्लूर मंडल, कुरनूल जिला आंध्र प्रदेश — 518467 मो0: 9866839242 ईमेल: singam.somashekarreddy@gmail.com	गैर—सरकारी सदस्य
19	श्री आनंद आ श्री एट — उप्पल्ली, पोस्ट— मदासुर लिंगदहल्ली, सागर तालुक, शिमोगा, जिला — कर्नाटक — 577434 मो0: 09448204831 / 08183-296500 ईमेल: anand_kpp@rediffmail.com	गैर—सरकारी सदस्य

क्र. सं.	आधिकारिक सदस्य का नाम, पदनाम, दूरभाष नं. और ईमेल आईडी	पदनाम
20	श्री शिखर मालानी, सुपुत्र श्री संजीव मालानी, रामनगर झंडा चौक, बनखेडी, जिला — नर्मदापुरम, मध्य प्रदेश — 461990 मो0: 9425409118 ईमेल: ecshikhar@gmail.com	गैर—सरकारी सदस्य
21	श्री संदीप यशवंत राणे 1/203, पांडुरंग कृपा नाथ पाल नगर ए/पी— तालुका/कांकावली, जिला— सिंधुदुर्ग, महाराष्ट्र— 416602 मो0: 9420306306/9890874779 ईमेल: sandeepprane4104@gmail.com	गैर—सरकारी सदस्य
22	श्री बिरेन्द्र जुयाल ग्राम + पोस्ट — काराकोट, जिला — पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड—246159 मो0: 9811025779 ईमेल: birendrajuyal60@gmail.com	गैर—सरकारी सदस्य
23	श्री प्रिय रंजन, प्रबंधक निदेशक राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार 85, संस्थानिक क्षेत्र, सेक्टर—18, गुरुग्राम—122015 (हरियाणा) दूरभाष: 0124—2342992, 2347441, 2342989—90 ईमेल: md@nhb.gov.in	पदेन सदस्य सचिव

अनुलग्नक-III

प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के मुख्य कार्यकारी हैं। श्री प्रिय रंजन 01-04-2022 से 31-03-2023 के दौरान बोर्ड के प्रबंध निदेशक रहे। प्रबंध निदेशक को तकनीकी और प्रशासनिक प्रभागों द्वारा सहयोग प्रदान किया जाता है। बोर्ड में कुल नियमित स्वीकृत पदों की संख्या 155 है।

31-03-2024 को स्वीकृत, भरे हुए और रिक्त पदों के ब्योरे

क्र. सं.	पदनाम	7वें सीपीसी वेतन स्तर एवं वेतन मैट्रिक्स के अनुसार		वर्तमान स्थिति				
		वेतन स्तर (7वें सीपीसी के अनुसार)	वेतन मैट्रिक्स	स्वीकृत पदों की सं०	भरे गये पद	रिक्त पद	रिक्त पद 5 वर्ष से अधिक	कुल पद

समूह "क"

1.	प्रबंध निदेशक	14	144200-218200	1	-	1	-	1*
2.	उप प्रबंध निदेशक	13-ए	131100-216600	1	1	-	-	-
3.	निदेशक (कार्मिक)	12	78800-209200	1	-	-	1**	1
4.	संयुक्त निदेशक	11	67700-208700	5	2	3	-	3
5.	संयुक्त निदेशक (वित्त एवं लेखा)	11	67700-208700	1	-	1	-	1
6.	उप निदेशक	10	56100-177500	30	19	11	-	11
7.	उप निदेशक (सूचना प्रणाली)	10	56100-177500	1	1	-	-	-
				40	23	16	1	17

समूह "ख"

1.	लेखा अधिकारी	7	44900-142400	1	1	-	-	-
2.	राजभाषा अधिकारी	7	44900-142400	1	1	-	-	-
3.	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	7	44900-142400	3	2	1	-	1
4.	तकनीकी अधिकारी (कम्प्यूटर)	7	44900-142400	2	2	-	-	-
5.	कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी	6	35400-112400	1	-	1	-	1
6.	वरिष्ठ बागवानी अधिकारी (एसएचओ-18 और एचओ-17 के विलय के बाद)	6	35400-112400	35	1	25	9**	34
7.	प्रशासनिक अधिकारी	6	35400-112400	1	-	0	1**	1

8.	वरिष्ठ लेखाकार	6	35400-112400	2	2	-	-	-
9.	कनिष्ठ लेखाकार	6	35400-112400	2	2	-	-	-
				48	11	27	10	37

समूह "ग"

1.	निजी कार्यपालक	4	25500-81100	5	1	2	2**	4
2.	कम्प्यूटर कार्यपालक	4	25500-81100	7	4	3	-	3
3.	अवर श्रेणी लिपिक	2	19900-63200	5	3	1	1**	2
4.	हिंदी टंकक	2	19900-63200	1	1	-	-	-
5.	चालक	2	19900-63200	3	-	2	1**	3
6.	इलेक्ट्रीशियन	2	19900-63200	1	1	-	-	-
7.	संदेशवाहक / एमटीएस	1	18000-56900	40	28	9	3**	12
8.	माली	1	18000-56900	5	3	2	-	2
				67	41	19	7	26

सार

क्र.सं.	वर्ग	स्वीकृत पदों की सं.	भरे गये पद	रिक्त पद	रिक्त पद 5 वर्ष से अधिक	कुल पद
1.	समूह "क"	40	23	16	1	17
2.	समूह "ख"	48	11	27	10	37
3.	समूह "ग"	67	41	19	7	26
	कुल	155	75	62	18	80

*संयुक्त सचिव (एमआईडीएच), कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय को वर्तमान में एनएचबी के प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।

**एनएचबी ने पांच वर्ष से अधिक समय से रिक्त पदों को पुनर्जीवित (रिवाइव) करने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के समक्ष पहले ही प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा चुका है। वर्तमान में यह प्रस्ताव डीए एंड एफडब्ल्यू के सक्रिय विचाराधीन है।

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों की सूची उनके सम्पूर्ण पते सहित

क्र.सं.	राज्य	केन्द्रों के नाम एवं पता
1	आंध्र प्रदेश	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड इंदिरा गांधी म्यूनिसिपल स्टेडियम परिसर, पहली मंजिल, गेट नंबर-3, लाबीपेट बाउदर रोड, विजयवाड़ा - 520010 (अ.प्र.) टेली/फैक्स: 0866-2473351 ई-मेल: ap.nhb@gov.in/avanishk.sharma79@nhb.gov.in
2	असम	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड छिब्र हाउस, चतुर्थ तल, दिसपुर पी.ओ., गुवाहाटी-781005 टेली/फैक्स: 0361-2343719, 2340695 ई-मेल: assam.nhb@gov.in/navnitab.mahanta69@nhb.gov.in
3	बिहार	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड वर्मा सेंटर, कमरा नं. 501, 502, 5वां तल, बोरिंग कैनाल रोड, पटना - 800001 टेली/फैक्स: 0612-2541218, 2541128 ई-मेल: bihar.nhb@gov.in/ss.purti82@nhb.gov.in
4	चंडीगढ़	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड एस.सी.ओ.-85, द्वितीय तल, सैक्टर-40 सी, चंडीगढ़ - 160047 टेली/फैक्स: 0172-2625249, 2625269 ई-मेल: chd.nhb@gov.in/sk.dubey76@nhb.gov.in
5	छत्तीसगढ़	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड म.नं. 42, प्रथम तल, जल विहार कॉलोनी, निकट रोटरी क्लब ऑफ इण्डिया, तेलीबंदा, रायपुर - 492001 टेली/फैक्स: 0771-2423992 ई-मेल: cg.nhb@gov.in/ss.purti82@nhb.gov.in
6	दिल्ली	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड 19-22 (गैराज), कृषि भवन, नई दिल्ली - 110001 टेली/फैक्स: 011-23097015, 23073019 ई-मेल: delhi.nhb@gov.in/pawan.kr2047@nhb.gov.in
7	गुजरात	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड 416, देवनन्दन, संन्यास आश्रम के सामने, इल्लिस ब्रिज, आश्रम रोड, अहमदाबाद - 380006 (गुजरात) टेली/फैक्स: 079-29705413, 26585413 ई-मेल: gj.nhb@gov.in/ravindras.rana64@nhb.gov.in
8	हिमाचल प्रदेश	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड एचपीएमसी, द्वितीय तल, निगम विहार, शिमला - 171002 टेलीफोन/फैक्स: 0177-2622908/2623801 ई-मेल: hp.nhb@gov.in/sk.dubey76@nhb.gov.in
9	जम्मू एवं कश्मीर (श्रीनगर)	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड हार्टिकल्चर कॉम्प्लैक्स राजबाग, श्रीनगर - 190008 टेली/फैक्स: 0191-2474349/2474112 ई-मेल: jk.nhb@gov.in/sansar.ahmed69@nhb.gov.in
10	जम्मू व कश्मीर (जम्मू)	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड हॉल नं. 307, ए-2, तृतीय तल, साउथ ब्लॉक, बाहु प्लाजा, रेल हेड कॉम्प्लेक्स, जम्मू- 180004 टेली/फैक्स: 0191-2474349, 2474112 ई-मेल: jk.nhb@gov.in/sansar.ahmed69@nhb.gov.in

क्र.सं.	राज्य	केन्द्रों के नाम एवं पता
11	झारखंड	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड लक्ष्मी निवास, कृषि भवन, कांके रोड, रांची-834008 टेली/फैक्स: 0651-2230132, 2233832 ई-मेल: jh.nhb@gov.in / ss.purti82@nhb.gov.in
12	कर्नाटक	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड नं. 14/43, दूसरा तल, प्रथम व द्वितीय स्टेज इंडस्ट्रीयल सबअर्ब, तुमकुर रोड, यशवंतपुर, बैंगलोर - 560022 टेली/फैक्स: 080-23371935, 23374149 ई-मेल: ktk.nhb@gov.in / b.raja77@nhb.gov.in
13	केरल	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड नं. यूआर-10, उप्पलम रोड, स्टेच्यू, तिरुवनंतपुरम - 695001 टेली/फैक्स: 0471-2470505, 2470506 ई-मेल: kerala.nhb@gov.in / b.raja77@nhb.gov.in
14	मध्य प्रदेश (भोपाल)	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड आर-24, द्वितीय तल, निकट हिंदुस्तान टाइम्स, एमपी नगर, जोन - 1, भोपाल - 462011 टेली/फैक्स: 0755-2761741 ई-मेल: mp.nhb@gov.in / anilkumar.2025@nhb.gov.in
15	मध्य प्रदेश (ग्वालियर)	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड कृषि परिसर, मेला मैदान के सामने, रैस कोर्स रोड, ग्वालियर - 474002 टेली/फैक्स: 0751-2930606 ई-मेल: gwlr.nhb@gmail.com / anilkumar.2025@nhb.gov.in
16	महाराष्ट्र (नवी मुंबई)	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड कमरा नं० 317, चतुर्थ तल, सैन्ट्रल फैसिलिटी बिल्डिंग, एपीएमसी फ्रूट मार्केट कॉम्प्लेक्स, सेक्टर-19, तुरभे वाशी नवी मुंबई - 400703 टेली/फैक्स: 022-27830107 ई-मेल: mh.pune.nhb@gov.in / pawan.kr2047@nhb.gov.in
17	महाराष्ट्र (नागपुर)	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड 401, चतुर्थ तल, लोटस प्लाजा, निकट लक्ष्मी भवन, ओल्ड पोस्ट ऑफिस रोड, गोकुलपेठ, नागपुर - 440010 टेली/फैक्स: 0712-2525030, 2523110 ई-मेल: mh.ngp.nhb@gov.in / satishk.sharma66@nhb.gov.in
18	महाराष्ट्र (नाशिक)	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड एस.सी. पंवार मार्केट यार्ड, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स नं. 1, पेठ रोड, पंचवटी, नाशिक- 422003 टेली/फैक्स: 0253-2974558, 2533715 ई-मेल: mh.nsk.nhb@gov.in / satishk.sharma66@nhb.gov.in
19	महाराष्ट्र (पुणे)	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड एमसीएईआर बिल्डिंग, 132/बी, भामभुरदा भोंसले नगर, पुणे -411007 टेली/फैक्स: 020-25528582/83 ई-मेल: mh.pune.nhb@gov.in / pawan.kr2047@nhb.gov.in
20	ओडिशा	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड एन-1/7, आई.आर.सी. गांव, नयापल्ली, सी.आर.पी.एफ गेट के सामने, भुवनेश्वर - 751015 टेली/फैक्स: 0674-2558134, 2559620 ई-मेल: odisha.nhb@gov.in / navnitab.mahanta69@nhb.gov.in

क्र.सं.	राज्य	केन्द्रों के नाम एवं पता
21	राजस्थान	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वितीय तल, मोदक प्रियाय, प्लॉट सं. 16 एवं 17, नियर न्यू आतिश मार्किट शिप्रा पथ, मानसरोवर, जयपुर – 302020 टेली / फ़ैक्स: 0141-2399405, 2390818 ई-मेलरू rj.nhb@gov.in / ravindras.rana64@nhb.gov.in
22	सिक्किम	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड चांग चूप भवन, निकट नायुमा टेलीविजन, तिब्बत रोड, गंगटोक – 737101 टेली / फ़ैक्स: 03592-208453, 220975 ई-मेल: sikkim.nhb@gov.in / navnitab.mahanta69@nhb.gov.in
23	तमिलनाडु	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड मोडयूल नं. 37, द्वितीय तल, सिडको रेडिमेड गारमेन्ट कॉम्प्लेक्स, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गुड्डीड, चेन्नई-600032 टेली / फ़ैक्स: 044-22501151 / 22500965 ई-मेलरू tn.nhb@gov.in / b.raja77@nhb.gov.in
24	तेलंगाना	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड नं. 2, 5-9-195, विलियम निवास चिराग अली लेन, आबिड्स, हैदराबाद – 500001 टेली / फ़ैक्स: 040-23200806, 23201140 ई-मेल: ts.nhb@gov.in / avanishk.sharma79@nhb.gov.in
25	उत्तर प्रदेश (लखनऊ)	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा – बागवानी निदेशक 2, सप्रु मार्ग, उद्यान भवन, लखनऊ – 226001 टेली / फ़ैक्स: 0522-2623374 / 2202420, 4072096 ई-मेल: up.lko.nhb@gov.in / iswarn.sahai67@nhb.gov.in
26	उत्तर प्रदेश (वाराणसी)	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वितीय तल, सी.टी.ओ. बिल्डिंग, तार घर (बी.एस.एन.एल.), कैन्ट, नदेसर, वाराणसी – 221002 टेली / फ़ैक्स: 0542-2508756 ई-मेल: up.var.nhb@gov.in / iswarn.sahai67@nhb.gov.in
27	उत्तर प्रदेश (बड़ौत)	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा – क्षेत्रीय ग्रामीण विकास संस्थान दिल्ली – सहारनपुर रोड, बड़ौत-250611 ई-मेल: up.var.nhb@gov.in / iswarn.sahai67@nhb.gov.in
28	उत्तराखंड	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड नवीन सब्जी मण्डी स्थल, कृषि उत्पादन मण्डी समिति, निरंजनपुर, देहरादून – 248171 टेली / फ़ैक्स: 0135-2761922, 2762767, 2725517 ई-मेल: uk.nhb@gov.in / meenakshi.tiwari82@nhb.gov.in
29	पश्चिम बंगाल	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड मयूख भवन, द्वितीय तल, सॉल्ट लेक, सेक्टर-2, कोलकाता – 700091 टेली / फ़ैक्स: 033-29861049, 23211259 ई-मेल: wb.nhb@gov.in / navnitab.mahanta69@nhb.gov.in

वर्ष 2023–24 के लिए राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के वार्षिक लेखे



भारतीय लेखापरीक्षा तथा लेखा विभाग
कार्यालय प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय), चण्डीगढ़
Indian Audit & Accounts Department
Office of The Principal Director of Audit (Central),
Chandigarh



सं०/No: पी. डी. ए. (सी)/के. व्यय/SAR NHB-2023-24/ 528

दि०/Dated: ०७-१०-२०२४.

मेना मे

सचिव,
कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
(Ministry of Agriculture and Farmers Welfare),
भारत सरकार,
कृषि भवन,
नई दिल्ली - 110001

विषय: National Horticulture Board, Gurugram के वर्ष 2023-24 के लेखाओं पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

महोदय/महोदया,

कृपया National Horticulture Board, Gurugram के वर्ष 2023-24 के लेखाओं पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (Separate Audit Report) संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु संलग्न पाएं। संसद में प्रस्तुत होने तक प्रतिवेदन को गोपनीय रखा जाए।

संसद में प्रस्तुत करने के उपरांत प्रतिवेदन की पांच प्रतियाँ इस कार्यालय को भी भेज दी जाएं।

कृपया इस पत्र की पावती भेजें।

संलग्न: उपरोक्त अनुसार

भवदीय,

- हस्ता-

प्रधान निदेशक

✓ उपरोक्त की प्रतिलिपी वर्ष 2023-24 की पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्रति सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु Managing Director, National Horticulture Board, 85, Institutional Area, Sector 18, Gurugram - 122015 (Haryana) को प्रेषित की जाती है।


भवदीय,
उप निदेशक (केन्द्रीय व्यय)

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, गुरुग्राम के 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट

हमने राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, गुरुग्राम के 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के तुलन-पत्र, उस तारीख को समाप्त वर्ष के आय एवं व्यय लेखा तथा प्राप्ति एवं भुगतान लेखा की लेखापरीक्षा, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 20 (1) के अंतर्गत की है। 2022-23 से 2026-27 तक की अवधि के लिए लेखापरीक्षा कार्य सौंपा गया है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की 29 प्रचालन लेखाकरण शाखा इकाईयाँ हैं जिसमें से 10 शाखा इकाईयों का वर्ष 2023-24 के दौरान लेखापरीक्षा किया गया था। ये वित्तीय विवरण राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के प्रबन्धन का उत्तरदायित्व है। हमारा उत्तरदायित्व इन वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर मत प्रकट करना है।

2. इस पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उत्तम लेखाकरण नीतियों, लेखाकरण मानकों तथा प्रकटीकरण मानकों इत्यादि से अनुरूपता, वर्गीकरण से सम्बन्धित केवल लेखाकरण प्रतिपादन पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी.ए.जी.) की टिप्पणियाँ समाविष्ट हैं। कानून, नियम एवं विनियम (औचित्य एवं नियमितता) तथा दक्षता-सह-निष्पादन पहलूओं इत्यादि, यदि कोई हों, कि अनुपालना से सम्बन्धित वित्तीय सम्पादनों पर लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ पृथकतः निरीक्षण रिपोर्टों/सी.ए.जी. की लेखापरीक्षा रिपोर्टों के माध्यम से सूचित किए जाते हैं।

3. हमने अपनी लेखापरीक्षा भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार की है। ये मानक अपेक्षा करते हैं कि हम, ये उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए कि क्या वित्तीय विवरण भौतिक अयथार्थ विवरणों से मुक्त हैं, लेखापरीक्षा आयोजन तथा सम्पन्न करें। लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में राशियों और प्रकटन का समर्थन करने वाले साक्ष्यों की, जांच आधार पर, परीक्षा करना शामिल होता है। लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतिकरण के मूल्यांकन के अतिरिक्त प्रबन्धन द्वारा उपयोग किए गए लेखाकरण सिद्धांतों का निर्धारण तथा प्रबन्धन द्वारा बनाए गए महत्वपूर्ण आकलन भी शामिल होते हैं। हम विश्वास करते हैं कि हमारी लेखापरीक्षा हमारे मत को उचित आधार प्रदान करती है।

4. हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि:—

- हमने सभी सूचनाएं तथा स्पष्टीकरण, जो हमारी जानकारी तथा विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्यों के लिए आवश्यक थे, प्राप्त कर लिए हैं;
- इस रिपोर्ट से संव्यवहारित तुलन-पत्र, आय एवं व्यय लेखा तथा प्राप्ति एवं भुगतान लेखा, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित प्रारूप में तैयार किए गए हैं।
- हमारी राय में, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, गुरुग्राम द्वारा लेखाओं की समुचित बहियाँ तथा अन्य संबंधित अभिलेख अनुरक्षित किए गए हैं जैसा कि ये, ऐसी बहियों की हमारी जांच से प्रकट होते हैं।

iv) हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:

क. सहायता-अनुदान

वर्ष 2023-24 के लिए सहायता अनुदान की स्थिति निम्नानुसार है:-

अनुदान का नाम	एनएचबी	एनएचएम	एनबीएम	एनएमएस	कुल
प्रारंभिक जमाशेष 01.04.2023 तक	6244.86	54.44	12.75	46.17	6358.22
प्राप्त अव्ययित शेष राशि	287.36	1.80	0.10	1.18	290.44
2023-24 के दौरान प्राप्त अनुदान	23525.00	375.00	-	-	23900.00
कुल उपलब्ध अनुदान	30057.22	431.24	12.85	47.35	30548.66
घटाया: व्यय किया गया / उपयोग किया गया	25987.54	322.64	12.41	6.73	26329.32
घटाया: सरकार को वापिस की गई निधियां	2230.81	2.24	0.29	-	2233.34
अंत जमाशेष 31.03.2024 तक	1838.87	106.36	0.15	40.62	1986.00

ख. प्रबंधन पत्र

वे कमियाँ जिन्हें लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है, इसके बारे में उपचारात्मक/सुधार कार्रवाई के लिए अलग-से जारी किए गए प्रबंधन पत्र के माध्यम से बोर्ड के प्रबंधन की जानकारी में लाया गया है।

- v) पूर्ववर्ती अनुच्छेदों में दी गई हमारी टिप्पणियों के अधीन, हम रिपोर्ट करते हैं कि इस रिपोर्ट से संव्यवहारित तुलन-पत्र, आय एवं व्यय लेखा तथा प्राप्ति एवं भुगतान लेखा बही खातों के अनुसार हैं।
- vi) हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी में और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, लेखाकरण नीतियां और लेखों पर टिप्पणियों के साथ पठित उक्त वित्तीय विवरण, उपर्युक्त महत्वपूर्ण मामलों और इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुलग्नक में उल्लिखित अन्य मामलों के अधीन, भारत में सामान्यतः स्वीकार किए गए लेखाकरण सिद्धांतों की पुष्टि करते हुए सत्य और सही मत देते हैं:

क. जहां तक 31 मार्च, 2024 को राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, गुरुग्राम के कार्यों की स्थिति का तुलन-पत्र से संबंध है; और

ख. जहां तक यह उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के कमी के आय एवं व्यय लेखा से संबंधित है।

कृते और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से

ह0 /—

महानिदेशक लेखापरीक्षा
(केन्द्रीय), चण्डीगढ़

स्थान : चण्डीगढ़

दिनांक: 07-10-2024

पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट का अनुलग्नक

1. आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता

आंतरिक लेखापरीक्षा विंग की स्थापना नहीं की गई, तथापि, आंतरिक लेखापरीक्षा सनदी लेखाकारों की फर्म द्वारा की जा रही है।

2. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता

निम्नलिखित के मद्देनजर आंतरिक नियंत्रण को अपर्याप्त माना गया है:

- i. बोर्ड ने अपना लेखाकरण मैनुअल तैयार नहीं किया है।
- ii. राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के नियमों एवं विनियमों के नियम 7 के अनुसार, निदेशक मंडल की प्रत्येक वर्ष कम से कम एक बार बैठक होगी जिसे निदेशक मंडल की वार्षिक सामान्य बैठक कहा जाएगा। नियम 10 में आगे यह भी प्रावधान है कि प्रबंध समिति की बैठक प्रत्येक तीन माह में कम से कम एक बार होगी तथा अन्यथा ऐसे समय और ऐसे स्थान पर होगी जैसा कि अध्यक्ष या प्रबंध समिति द्वारा यथा निर्धारित किया जाएगा। तथापि, वर्ष 2023-24 के दौरान शासी निकाय/निदेशक मंडल की कोई बैठक नहीं हुई और प्रबंध समिति की केवल एक बैठक हुई, जो बोर्ड के नियमों और विनियमों का उल्लंघन है।
- iii. ग्वालियर केन्द्र द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट के प्रत्येक बिन्दु के सामने अनुवर्ती रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई।

3. पुस्तकालय की पुस्तकों से इतर अचल परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन

ग्वालियर केन्द्र को छोड़कर वर्ष 2023-24 के लिए अचल सम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन किया गया।

4. पुस्तकालय की पुस्तकों का भौतिक सत्यापन

पुस्तकालय की पुस्तकों का भौतिक सत्यापन किया गया।

5. वस्तुसूची का भौतिक सत्यापन

ग्वालियर केन्द्र को छोड़कर वर्ष 2023-24 के लिए वस्तुसूची का भौतिक सत्यापन किया गया।

6. सांविधिक देयताओं के भुगतान में नियमितता

बही खातों के अनुसार, बोर्ड सांविधिक देयताओं को जमा करने में नियमित था।

ह0/—

उप निदेशक

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड
गुरुग्राम
31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए तुलन पत्र

(राशि रुपये में)

विवरण	अनुसूची सं.	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
समग्र/पूंजी निधि तथा देयताएँ			
समग्र/पूंजी निधि	1	2,142,224,947	2,412,837,386
आरक्षित और अधिशेष	2	-	-
अभिचिह्नित/संचयी निधि	3	14,714,008	11,336,088
सुरक्षित ऋण तथा उधारियां	4	-	-
असुरक्षित ऋण तथा उधारियां	5	-	-
आस्थागित साख देयताएं	6	-	-
वर्तमान देयताएं तथा प्रावधान	7	359,684,936	390,638,623
योग		2,516,623,891	2,814,812,097
परिसंपत्तियां			
अचल परिसंपत्तियां	8	34,007,875	33,787,460
निवेश—अभिचिह्नित/संचयी निधि से	9	-	-
निवेश—अन्य	10	-	-
वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण तथा अग्रिम	11	2,482,616,016	2,781,024,637
विविध व्यय (बट्टे खाते अथवा समायोजित नहीं किया)		-	-
योग		2,516,623,891	2,814,812,097
महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां	24		
लेखाओं पर आकस्मिक देयताएं तथा टिप्पणियां	25		

स्थान: गुरुग्राम

दिनांक: 19.06.2024

हस्ता./—

प्रबंध निदेशक

हस्ता./—

उप प्रबंध निदेशक

हस्ता./—

संयुक्त निदेशक (वित्त एवं लेखा)

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड
गुरुग्राम
31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए आय तथा व्यय लेखा

(राशि रुपये में)

विवरण	अनुसूची सं.	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
आय			
बिक्री और सेवाओं से आय	12	15,348,003	20,495,536
अनुदान/सहायिकी	13	2,352,500,000	2,183,000,000
शुल्क/अभिदान	14	-	-
निवेशों से आय (अभिचिह्नित/संचयी निधियों से अंतरित निधियों से निवेश पर आय)	15	-	-
रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय	16	-	-
अर्जित ब्याज	17	158,932,867	118,696,211
अन्य आय	18	10,149,917	3,968,876
तैयार माल के स्टॉक में वृद्धि/(कमी) तथा डब्ल्यूआईपी	19	-	-
योग (क)		2,536,930,787	2,326,160,623
व्यय			
स्थापना व्यय	20	90,365,096	89,870,308
अन्य प्रशासनिक खर्च इत्यादि	21	24,443,179	22,343,858
अनुदान, सहायिकी आदि पर व्यय	22	2,456,775,137	1,980,382,759
ब्याज	23	-	-
आवेदन निधि और योजना ब्राउशर हेतु व्यय	12ए	28,974,866	32,865,874
मूल्यहास (वर्ष के अंत में शुद्ध जोड़ —अनुसूची 8 के अनुसार)	8	5,330,999	5,248,401
योग (ख)		2,605,889,277	2,130,711,200
व्यय से आय अधिक होने पर शेष (क-ख)			
— आवेदन तथा प्रक्रिया शुल्क की लागत के अलावा निधियां हेतु		(55,331,627)	207,819,761
— आवेदन एवं प्रक्रिया शुल्क की लागत		(13,626,863)	(12,370,338)
संदिग्ध ऋणों के प्रावधान हेतु अंतरित (पिछला भाग)			
आवेदन फार्म एवं योजना ब्राउशर राशि से इतर के लिए समग्र/पूंजीगत निधि में जमा किया गया शेष अधिशेष/(घाटा)		(55,331,627)	207,819,761
आवेदन एवं प्रक्रिया शुल्क राशि के लिए समग्र/पूंजीगत निधि में जमा किया गया शेष अधिशेष/(घाटा)		(13,626,863)	(12,370,338)
महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां	24		
लेखाओं पर आकस्मिक देयताएं तथा टिप्पणियां	25		

स्थान: गुरुग्राम

हस्ता./—

हस्ता./—

हस्ता./—

दिनांक: 19.06.2024

प्रबंध निदेशक

उप प्रबंध निदेशक

संयुक्त निदेशक (वित्त एवं लेखा)

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्तियां एवं भुगतान

(राशि रुपयों में)

प्राप्तियां	2023-24 वर्तमान वर्ष	2022-23 पिछला वर्ष	भुगतान	2023-24 वर्तमान वर्ष	2022-23 पिछला वर्ष
1. प्रारंभिक शेष			1. व्यय (मिशन प्रबंधन व प्रशासनिक व्यय के बजट से)		
क) हाथ में रोकड़	126,061	75,829	क) स्थापना व्यय -मुख्यालय	109,607,814	93,828,451
ख) बैंक जमाशेष			ख) प्रशासनिक व्यय -मुख्यालय	23,729,589	22,539,879
1) चालू खातों में	-	-			
2) जमा खातों में	1,294,700,000	1,233,800,000	2. विभिन्न योजनाओं की निधियों के समक्ष किए गये भुगतान		
3) बचत खातों में	321,481,646	567,968,125	रा.बा.बो. की योजनाएं		
4) जमा खातों में (प्रक्रिया शुल्क/ आवेदन फार्म एवं योजना ब्राउशर खाते की लागत)	433,400,000	427,900,000	1) उत्पादन एवं फसल कटाई उपरांत प्रबंधन के माध्यम से वाणिज्यिक बागवानी का विकास		
			- सहायिकी	1,070,898,200	817,041,548
2. प्राप्त अनुदान			- विधिक एवं व्यावसायिक खर्च	691,000	174,000
क) भारत सरकार से			योग	1,071,589,200	1,071,589,200
1) रा.बा.बो. की योजनाओं के लिए			2) बागवानी उत्पाद के लिए शीतागारों तथा संग्रहगारों के		
- रा.बा.बो. के बजट से	2,852,500,000	1,783,000,000	निर्माण/आधुनिकीकरण/विस्तारण के लिए पूंजी निवेश सहायिकी	1,220,971,600	1,026,537,500
			3) बागवानी के संवर्धन के लिए प्रौद्योगिकी विकास एवं हस्तान्तरण	10,868,887	7,333,644
2) एनएचएम की योजनाओं के लिए:			4) बागवानी फसलों के लिए बाजार सूचना सेवा	-	168,700
- टीएसजी घटक के लिए	37,500,000	26,000,000	5) बागवानी संवर्धन सेवाएं/विशेषज्ञ सेवाएं	32,454,861	26,062,877
			6) मिशन प्रबंधन व प्रशासनिक व्यय	-	-

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्तियां एवं भुगतान

(राशि रुपये में)

प्राप्तियां	2023-24 वर्तमान वर्ष	2022-23 पिछला वर्ष	भुगतान	2023-24 वर्तमान वर्ष	2022-23 पिछला वर्ष
3) एनबीएम की योजनाओं के लिए	-	1,388,849	क. स्थापना व्यय – केन्द्र	58,706,269	60,254,176
			ख. प्रशासनिक व्यय – केन्द्र	30,797,135	29,501,989
ख) राज्य सरकार से	-	-	योग	89,503,404	
3. निम्नवत निवेशों पर आय			7) राष्ट्रीय बम्बू मिशन (सहयोगी सेवाएं)	1,240,566	1,381,354
क) अभिचिह्नित / संचयी निधियाँ	-	-			
ख) स्वामित्व निधिया (अन्य निवेश)	-	-	8) राष्ट्रीय बागवानी मिशन (टीएसजी)	32,264,445	26,500,938
4. प्राप्त ब्याज			9) राष्ट्रीय केसर मिशन	672,600	-
क) बैंक जमा राशियों और बचत बैंक खातों के लिए			10) अंतरराष्ट्रीय हार्टि एक्सपो फ्लोरिड 2022 हेतु व्यय	-	5,766,567
– रा.बा.बो. निधियां	121,293,474	86,944,853			
– आवेदन निधियां	9,980,263	24,738,462	11) स्वच्छ पौधा कार्यक्रम	22,550,000	-
– एनएचएम निधियां	173,186	123,691			
– एनबीएम निधियां	16,180	28,603	12) क्लस्टर विकास कार्यक्रम	13,692,800	-
– राष्ट्रीय केसर मिशन निधियां	120,608	124,941			
			3. किए गये निवेश एवं जमा राशियां		

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्तियां एवं भुगतान

(राशि रुपयों में)

प्राप्तियां	2023-24 वर्तमान वर्ष	2022-23 पिछला वर्ष	भुगतान	2023-24 वर्तमान वर्ष	2022-23 पिछला वर्ष
ख) ऋण, अग्रिम आदि (दंडात्मक ब्याज)	6,548,510	1,800,221	क) अभिचिह्नित / संचयी निधियों से		
5. अन्य आय (विनिर्दिष्ट करें)			ख) स्वामित्व निधियों से (अन्य निवेश)		
आईओबी से किराया	1,325,678	761,556	4. अचल परिसंपत्तियों एवं प्रगतिधीन कार्य पर पूंजीगत व्यय		
आवेदन प्रपत्र और योजना ब्राउशर की लागत	15,348,003	20,495,534	क) अचल परिसंपत्तियों की खरीद / संवर्धन		
विविध प्राप्तियाँ	668,191	304,369	1. मिशन प्रबंधन व प्रशासनिक व्यय-मुख्यालय के बजट से	2,965,265	3,344,558
जमा की गई जमानत राशि - राबाबो	2,075,000	225,000	2. मिशन प्रबंधन व प्रशासनिक व्यय-केन्द्र के बजट से	820,871	629,952
प्रतिभूति जमा	-	6,345			
6. उधार ली गई राशि	-	-	ख) प्रगतिधीन कार्य पर पूंजीगत व्यय	-	-
			5. अधिशेष धन / ऋण की वापसी		
7. कोई अन्य प्राप्तियां (ब्यौरे दे)			क) भारत सरकार को	-	-
क) अग्रिमों की वसूली (ब्याज सहित)	427,747	167,921	- कृषि एवं किसान कल्याण विभाग		
ख) रा.बा.बो. योजनाओं के तहत ऋण की वसूली	2,231,803	1,199,779	- आंतरिक प्रोद्भवनों से	223,081,040	30,175,793
ग) रा.बा.बो. योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के तहत लाभार्थियों			- सहायता-अनुदान से	252,830	137,555
			- एमओएफपीआई को	-	-

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्तियां एवं भुगतान

(राशि रुपयों में)

प्राप्तियां	2023-24 वर्तमान वर्ष	2022-23 पिछला वर्ष	भुगतान	2023-24 वर्तमान वर्ष	2022-23 पिछला वर्ष
जिन्हें पिछले वर्ष में निधियां जारी की गई थीं			ख) राज्य सरकार को	-	-
से वापस प्राप्त अव्ययित निधियां			ग) निधियों के अन्य प्रदाताओं को	-	-
— रा.बा.बो. योजनाओं के लिए	13,293,784	48,639,795			
— एनएचएम के लिए	-	118,879	6. बैंक द्वारा स्रोत पर काटा गया टीडीएस	132,568	84,142
घ) अन्य से वसूली	66,682	-			
ड.) टीडीएस/जीएसटी की प्राप्ति	265,647	522,484	7. अन्य भुगतान (निर्दिष्ट)		
			स्टाफ को अग्रिम	-	-
8. बैंक द्वारा काटे गए टीडीएस की वापिसी— रा.बा.बो.	6,371,523	5,109,680	वापिस की गई जमानत राशि— राबाबो		350,000
			वापिस की गई जमानत राशि— केसर पार्क	-	-
9. बैंक द्वारा काटे गए टीडीएस की वापिसी	2,220,405	4,635,404	पूर्वदत्त व्यय	-	193,074
(आवेदन शुल्क)			एनसीसीडी, डीडब्लूडी एवं नॉवोड बोर्ड की ओर से व्यय	-	846,715
			प्रतिभूति जमा राशि	1,721,381	-
10. डीडब्लूडी	-	148,443	प्राप्य राशि	-	42,104
			अन्य को भुगतान	-	
11. एनसीसीडी	-	4,527,138			
			8. आवेदन प्रपत्र और योजना ब्राउशर की लागत से भुगतान		
			— संविदागत डाटा एंटी आपरेटरों को भुगतान	14,192,962	15,258,884

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड
31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्तियां एवं भुगतान

(राशि रुपये में)

प्राप्तियां	2023-24 वर्तमान वर्ष	2022-23 पिछला वर्ष	भुगतान	2023-24 वर्तमान वर्ष	2022-23 पिछला वर्ष
			— कोल्ड स्टोरेज संवीक्षा शुल्क	2,345,646	2,025,938
			— विशेषज्ञों का यात्रा व्यय एवं परामर्शी शुल्क	390,868	318,162
			— कार्यालय एवं विज्ञापन व्यय हेतु भुगतान	974,575	1,533,716
			— वेबसाइट व सॉफ्टवेयर की एएमसी	2,474,720	4,080,748
			— बैंक प्रभार	284,102	422,986
			— वेतन एवं भत्ते (30 प्रतिशत)	7,649,771	9,436,062
			— पट्टे की दुकानों के लिए भुगतान	610,573	643,926
			— अचल परिसंपत्तियां	1,765,278	4,361,456
			— कानूनी और व्यावसायिक प्रभार	11,800	70,800
			9. अंत जमाशेष		
			क) हाथ में रोकड़		
			मुख्यालय पर	12,427	

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्तियां एवं भुगतान (राशि रुपये में)

प्राप्तियां	2023-24 वर्तमान वर्ष	2022-23 पिछला वर्ष	भुगतान	2023-24 वर्तमान वर्ष	2022-23 पिछला वर्ष
			राबाबो केन्द्रों पर	42,321	126,061
			ख) बैंक शेष		
			1) चालू खातों में		
			2) जमा खातों में (रा.बा.बो. की आंतरिक प्रोदभूत राशि)	1,389,700,000	1,294,700,000
			3) जमा खातों में (प्रक्रिया शुल्क राशि) / आवेदन प्रपत्र एवं योजना ब्राउशर की लागत	440,400,000	433,400,000
			4) बचत खातों में		
			— रा.बा.बो. केन्द्रों में — अग्रदाय राशि	13,243,803	
			— मुख्यालय में		
			— रा.बा.बो. योजनाओं एवं आंतरिक प्रोदभूतों हेतु	360,983,971	
			— आवेदन प्रपत्र एवं योजना ब्राउशर की लागत के लिए	14,257,450	
			— एनएचएम योजनाओं के लिए	5,019,893	
			— एनबीएम योजनाओं के लिए	13,119	
			— राष्ट्रीय केसर मिशन के लिए	4,044,670	
			— एनएचएम दिल्ली केन्द्र के लिए	5,594,371	
			— एनबीएम दिल्ली केन्द्र के लिए	2,349	321,481,646
योग	5,122,134,391	4,240,755,901	योग	5,122,134,391	4,240,755,901

स्थान: गुरुग्राम

दिनांक: 19.06.2024

हस्ता./—

प्रबंध निदेशक

हस्ता./—

उप प्रबंध निदेशक

हस्ता./—

संयुक्त निदेशक (वित्त एवं लेखा)

प्राप्ति तथा भुगतान लेखा वर्ष 2023-24 के लिए स्थापना व्यय

(राशि रुपये में)

क्र.सं.	विवरण	2023-24	2022-23
1	ईपीएफ बोर्ड अंशदान	12,171,934	12,093,853
2	छुट्टी नकदीकरण	12,731,635	10,046,431
3	छुट्टी यात्रा रियायत दावे	118,756	262,127
4	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	8,673,500	3,689,734
5	वेतन एवं भत्तें	53,153,444	53,966,823
6	कर्मचारी कल्याण	450,497	388,824
7	बोनस व अन्य भत्ता	40,800	16,730
8	बाल शिक्षा भत्ता	1,143,000	692,160
9	परामर्शदाता को भुगतान	1,897,642	1,437,206
10	वर्ष के दौरान प्रदत्त उपदान	19,226,606	11,234,563
	कुल	109,607,814	93,828,451

वर्ष 2023-24 के लिए प्रशासनिक व्यय

(राशि रुपये में)

क्र.सं.	विवरण	2023-24	2022-23
1	विद्युत और जल प्रभार	1,436,204	1,416,290
2	जनरेटर चालन तथा अनुरक्षण	762,823	721,109
3	बीमा	50,780	29,891
4	मरम्मत एवं रखरखाव	1,116,002	1,564,587
5	सुरक्षा प्रभार तथा गृह-व्यवस्था व्यय	8,829,172	6,922,149
6	वाहन का चालन तथा अनुरक्षण	186,421	139,676
7	डाक, दूरभाष एवं संचार प्रभार	474,207	549,295
8	मुद्रण तथा स्टेशनरी	2,131,008	2,183,426
9	वाहन व यात्रा	3,798,768	2,749,680
10	समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं	24,922	19,060
11	कार्यालय व्यय	448,885	488,407
12	बैठक एवं सत्कार पर व्यय	166,801	188,153
13	लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक एवं शुल्क	752,865	1,584,340
14	विधिक एवं व्यावसायिक प्रभार	2,603,560	2,468,020
15	विज्ञापन तथा प्रचार	57,064	274,626
16	फोटोकापी प्रभार	734,080	986,633
17	संपत्ति कर	-	147,015
18	कमी एवं अधिकता	10	-
19	बैंक प्रभार	99	4,341
20	राजभाषा संवर्धन व्यय	155,918	103,180
	कुल	23,729,589	22,539,879

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड
गुरुग्राम
31 मार्च, 2024 को तुलन पत्र के अंश दर्शाती अनुसूचियां

अनुसूची-1

(राशि रुपयों में)

समग्र / पूंजी निधि:	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
वर्ष के प्रारंभ में शेष				
क. प्रक्रियाएं शुल्क और आवेदन प्रपत्र लेखा के अलावा निधियों हेतु	1,939,408,632		1,746,019,540	
जोड़े / (घटाएं) : आय एवं व्यय लेखों से अंतरित निवल आय / (व्यय) का शेष	(55,331,627)		207,819,761	
जोड़े : पुराने चैकों की वापिसी / (निरस्त)				
जोड़े : पूर्व वर्षों का वापिस प्राप्त हुआ अव्ययित / अतिशय अनुदान (केन्द्रों में)				
जोड़े : पूर्व वर्षों का वापिस प्राप्त हुआ अव्ययित / अतिशय अनुदान (मुख्यालय में)	13,293,784		48,639,795	
घटाएं : भारत सरकार को भेजी गई निधियां	199,505,795		14,570,676	
घटाएं : डीए एंड एफडब्लू को देय ब्याज	15,441,937		23,575,245	
घटाएं : प्रक्रिया एवं आवेदन शुल्क से अर्जित ब्याज	32,809,968	1,649,613,088	24,924,544	1,939,408,632
ख. प्रक्रिया एवं आवेदन शुल्क लेखा हेतु	473,428,754		460,874,548	
जोड़ें : रिफंड / टीडीएस			-	
जोड़ें : अन्य वसूली योग्य			-	
जोड़ें : प्रक्रिया एवं आवेदन शुल्क से अर्जित ब्याज	32,809,968		24,924,544	
जोड़े / (घटाएं) : आय एवं व्यय लेखों से अंतरित निवल आय / (व्यय) का शेष	13,626,863	492,611,859	12,370,338	473,428,754
वर्ष के अंत में शेष		2,142,224,947		2,412,837,386

स्थान: गुरुग्राम
दिनांक: 19.06.2024

हस्ता. / —
प्रबंध निदेशक

हस्ता. / —
उप प्रबंध निदेशक

हस्ता. / —
संयुक्त निदेशक (वित्त एवं लेखा)

अनुसूची-2

(राशि रुपयों में)

आरक्षित तथा अधिशेष	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
1. आरक्षित पूंजी :				
पिछले लेखा के अनुसार	-		-	
वर्ष के दौरान जोड़ी गई				
घटाएं : वर्ष के दौरान कटौती		-		-
2. पूर्णमूल्यांकन आरक्षित :				
पिछले लेखा के अनुसार	-		-	
वर्ष के दौरान जोड़ी गई				
घटाएं : वर्ष के दौरान कटौती				-
3. विशेष आरक्षित :				
पिछले लेखा के अनुसार	-		-	
वर्ष के दौरान जोड़ी गई				
घटाएं : वर्ष के दौरान कटौती		-		-
4. सामान्य आरक्षित :				
पिछले लेखा के अनुसार	-		-	
वर्ष के दौरान जोड़ी गई				
घटाएं : वर्ष के दौरान कटौती		-		-
योग		-		-

स्थान: गुरुग्राम

दिनांक: 19.06.2024

हस्ता./—

प्रबंध निदेशक

हस्ता./—

उप प्रबंध निदेशक

हस्ता./—

संयुक्त निदेशक (वित्त एवं लेखा)

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड
गुरुग्राम
31 मार्च, 2024 को तुलन पत्र के अंश दर्शाती अनुसूचियां

अनुसूची-3

(राशि रुपये में)

अभिचिह्नित/संचयी निधियां	निधि-वार ब्यौरा			योग	
	एनएचएम योजना	एनबीएम योजना	राष्ट्रीय केसर मिशन	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
क. निधियों का प्रारंभिक शेष	5,444,026	1,274,967	4,617,095	11,336,088	11,589,439
निधियों का प्रारंभिक शेष – ईएमडी					
ख. निधियों में वृद्धि					
1. अनुदान/दान	37,500,000		-	37,500,000	27,388,849
2. निधियों से आय (बचत खाते पर ब्याज)	179,845	10,057	118,459	308,361	258,768
3. पिछले वर्ष की अव्ययित धनराशि वापिस प्राप्त हुई			-	-	118,879
योग (क+ख)	43,123,871	1,285,024	4,735,554	49,144,449	39,355,935
ग. निधियों के उद्देश्य के निमित्त उपयोग/व्यय					
1. पूंजीगत व्यय :					
— अचल परिसंपत्तियां	171,995	269,602	-	441,597	1,350,825
— परियोजनाओं के लिए दिए गए अनुदान	-	-	-	-	-
	171,995	269,602	-	441,597	1,350,825
2. राजस्व व्यय :					
— वेतन, मजदूरी तथा भत्ते आदि	10,624,148	537,374	-	11,161,522	10,011,804
— बैंक प्रभार	270	-	-	270	595
— अन्य प्रशासनिक खर्च – टीएसजी	21,468,032	433,590	672,600	22,574,222	16,519,068
— डीए एंड एफडब्ल्यू को वापिसी	223,881	28,949	-	252,830	137,555
योग	32,316,331	999,913	672,600	33,988,844	26,669,022
कुल योग	32,488,326	1,269,515	672,600	34,430,441	28,019,847
वर्ष के अंत में शुद्ध शेष (क+ख+ग)	10,635,545	15,509	4,062,954	14,714,008	11,336,088

नोट: उपरोक्त निवल शेष में अर्जित ब्याज शामिल है।

स्थान: गुरुग्राम

हस्ता./—

हस्ता./—

हस्ता./—

दिनांक: 19.06.2024

प्रबंध निदेशक

उप प्रबंध निदेशक

संयुक्त निदेशक (वित्त एवं लेखा)

अनुसूची-4

(राशि रुपयों में)

प्रतिभूत ऋण तथा उधारियां	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
1. केंद्रीय सरकार		-		-
2. राज्य सरकार (निर्दिष्ट करें)		-		-
3. वित्तीय संस्थान				
क. सावधि ऋण		-		-
ख. प्रोदभूत तथा देय ब्याज		-		-
4. बैंक :				
क. सावधि ऋण				
— प्रोदभूत तथा देय ब्याज		-		-
ख. अन्य ऋण (निर्दिष्ट करें)				
— प्रोदभूत तथा देय ब्याज		-		-
5. अन्य संस्थाएं तथा एजेंसियां		-		-
6. डिवेंचर तथा बांड		-		-
7. अन्य (निर्दिष्ट करें)		-		-
योग		-		-

अनुसूची-5

(राशि रुपयों में)

अप्रतिभूत ऋण तथा उधारियां	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
1. केंद्रीय सरकार		-		-
2. राज्य सरकार (निर्दिष्ट करें)		-		-
3. वित्तीय संस्थान				
क. सावधि ऋण		-		-
ख. प्रोदभूत तथा देय ब्याज		-		-
4. बैंक :				
क. सावधि ऋण				
— प्रोदभूत तथा देय ब्याज		-		-
ख. अन्य ऋण (निर्दिष्ट करें)				
— प्रोदभूत तथा देय ब्याज		-		-
5. अन्य संस्थान तथा एजेंसियां		-		-
6. डिवेंचर तथा बांड		-		-
7. अन्य (निर्दिष्ट करें)		-		-
योग		-		-

टिप्पणी : एक वर्ष के भीतर देय राशियां

स्थान: गुरुग्राम

हस्ता./—

हस्ता./—

हस्ता./—

दिनांक: 19.06.2024

प्रबंध निदेशक

उप प्रबंध निदेशक

संयुक्त निदेशक (वित्त एवं लेखा)

अनुसूची-6

(राशि रुपये में)

आस्थगित क्रेडिट देयताएं:	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
क. पूंजीगत उपस्कर तथा अन्य परिसंपत्तियों के रहन द्वारा प्राप्त स्वीकृतियां		-		-
ख. अन्य		-		-
योग		-		-

टिप्पणी : एक वर्ष के भीतर देय राशियां

अनुसूची-7

(राशि रुपये में)

वर्तमान देयताएं तथा प्रावधान:	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
क. वर्तमान देयताएं				
1. स्वीकृतियां		-		-
2. विविध लेनदार :				
क. सामान हेतु	-		-	
ख. अन्य	-	-	-	-
3. अग्रिम प्राप्ति				
4 निम्न पर प्रोदभूत ब्याज किंतु देय नहीं				
क. प्रतिभूत ऋण/उधारियां	-		-	
ख. अप्रतिभूत ऋण/उधारियां	-	-	-	
5. सांविधिक देयताएं :				
क. अतिदेय	-		-	-
ख. अन्य	-	-	-	
6. अन्य वर्तमान देयताएं		38,037,166		47,550,471
योग (क)		38,037,166		47,550,471
ख. प्रावधान				
1. कराधान हेतु				
2. उपदान	78,302,379		89,829,085	
3. अधिवर्षिता/पेंशन				
4. संचित छुट्टी नकदीकरण	52,327,391		60,009,264	
5. व्यापार वारंटी/दावे				
6. अन्य-संदिग्ध ऋण	191,018,000	321,647,770	193,249,803	343,088,152
योग (ख)		321,647,770		343,088,152
योग (क+ख)		359,684,936		390,638,623

स्थान: गुरुग्राम

दिनांक: 19.06.2024

हस्ता./—

प्रबंध निदेशक

हस्ता./—

उप प्रबंध निदेशक

हस्ता./—

संयुक्त निदेशक (वित्त एवं लेखा)

अनुसूची-8

(राशि रुपयों में)

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यहास				निवल ब्लॉक		
	वर्ष के आरंभ में लागत	वर्ष के दौरान वर्धन		कटौतियां / समायोजन	वर्ष के अंत में लागत	वर्ष के प्रारंभ में	वर्ष के दौरान	कटौतियां / समायोजन	कुल वर्ष के अंत तक	वर्तमान वर्ष के अंत में	पिछले वर्ष के अंत में
		30 वर्ष से सितम्बर के पूर्व	30 वर्ष बाद								
क. अचल परिसंपत्तियां											
(1) सहायता अनुदान से भूमि:											
क. पूर्ण स्वामित्व	3,139,088	-	-	3,139,088	-	-	-	-	-	3,139,088	3,139,088
ख. पट्टा धारी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
भवन:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
क. फ्रीहोल्ड भूमि पर	22,871,006	-	-	22,871,006	20,318,446	255,256	-	-	20,573,702	2,297,304	2,552,560
ख. पट्टे वाली भूमि पर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग. स्वामित्व प्लेट / परिक्षेत्र	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ. भूमि पर सुपरढांचे संयंत्र मशीनरी एवं उपकरण	162,742	-	-	162,742	143,945	1,880	-	-	145,825	16,917	18,797
वाहन	822,181	-	-	822,181	720,941	15,186	-	-	736,127	86,054	101,240
फर्नीचर तथा जुड़नार	18,614,594	73,390	370,696	18,812,121	13,453,947	538,238	209,545	209,545	13,782,640	5,029,481	5,160,647
कार्यालय उपस्कर	22,522,321	962,879	923,823	24,112,487	17,431,414	974,449	277,161	277,161	18,128,702	5,983,785	5,090,907
कम्प्यूटर उपस्कर	19,871,955	575,656	888,841	21,229,075	17,544,435	1,338,911	107,057	107,057	18,776,289	2,452,786	2,327,520
पुस्तकालय पुस्तकें	2,495,286	32,993	14,567	2,542,846	2,383,599	60,785	-	-	2,444,384	98,462	111,687
ट्यूबवैल तथा जल आपूर्ति	85,040	-	-	85,040	84,924	17	-	-	84,941	99	116
योग	90,584,213	1,644,918	2,197,927	93,776,586	72,081,651	3,184,722	593,763	593,763	74,672,610	19,103,976	18,502,562

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यदास				निवल ब्लॉक	
	वर्ष के आरंभ में लागत	वर्ष के दौरान	वर्धन	वर्ष के अंत में लागत	वर्ष के प्रारंभ में	वर्ष के दौरान	कटौतियां/समायोजन	कुल वर्ष के अंत तक	वर्तमान वर्ष के अंत में	पिछले वर्ष के अंत में
		30 सितम्बर से पूर्व	30 सितम्बर के बाद							
(2) प्रक्रिया शुल्क और आवेदन प्रपत्र तथा स्कीम ब्राउशर शुल्क राशि से										
भवन:										
क. फ्रीहोल्ड भूमि पर	2,296,404	-	-	2,296,404	1,836,871	45,953	-	1,882,824	413,580	459,533
ख. पट्टे वाली दुकानों पर	2,430,404	-	-	2,430,404	1,582,588	226,084	-	1,808,672	621,732	847,816
फर्नीचर एवं जुड़नार	9,332,946	-	1,102,206	10,435,152	1,340,292	854,376	-	2,194,668	8,240,484	7,992,654
इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स	4,568,835	-	663,072	5,231,907	652,575	424,780	-	1,077,355	4,154,552	3,916,260
साफ्टवेयर नर्सरी पोर्टल	2,950,000	-	-	2,950,000	1,888,000	424,800	-	2,312,800	637,200	1,062,000
नेटवर्किंग उपस्कर	43,424	-	-	43,424	27,792	6,253	-	34,045	9,379	15,632
कार्यालय उपस्कर	1,190,288	-	-	1,190,288	260,804	139,423	-	400,227	790,061	929,484
सोलर पैनल	2,625,322	-	-	2,625,322	2,563,803	24,608	-	2,588,411	36,911	61,519
योग	25,437,623	-	1,765,278	27,202,901	10,152,725	2,146,277	-	12,299,002	14,903,899	15,284,898
वर्तमान वर्ष का योग	116,021,836	1,644,918	3,963,205	120,979,487	82,234,376	5,330,999	593,763	86,971,612	34,007,875	33,787,460
पिछले वर्ष का योग	111,201,860	1,231,341	5,112,620	116,021,836	78,391,050	5,248,401	1,405,075	81,331,877	33,787,460	32,810,810
ख. पूंजीगत कार्य प्रगति पर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
योग	116,021,836	1,644,918	3,963,205	120,979,487	82,234,376	5,330,999	593,763	86,971,612	34,007,875	33,787,460

स्थान: गुरुग्राम
दिनांक: 19.06.2024

हस्ता./-
संयुक्त निदेशक (वित्त एवं लेखा)

हस्ता./-
उप प्रबंध निदेशक

हस्ता./-
प्रबंध निदेशक

अनुसूची-9

(राशि रुपयों में)

अभिचिह्नित/संचयी निधियों से निवेश	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
1. सरकारी प्रतिभूतियां		-		-
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां		-		-
3. शेयर		-		-
4. डिबेंचर तथा बंध-पत्र		-		-
5. सहायक तथा संयुक्त उद्यम		-		-
6. अन्य (विनिर्दिष्ट किया जाए)		-		-
योग		-		-

अनुसूची-10

(राशि रुपयों में)

अन्य निवेश	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
1. सरकारी प्रतिभूतियां		-		-
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां		-		-
3. शेयर		-		-
4. डिबेंचर तथा बंध-पत्र		-		-
5. सहायक तथा संयुक्त उद्यम		-		-
6. अन्य (विनिर्दिष्ट किया जाए)		-		-
योग		-		-

स्थान: गुरुग्राम

दिनांक: 19.06.2024

हस्ता./—

प्रबंध निदेशक

हस्ता./—

उप प्रबंध निदेशक

हस्ता./—

संयुक्त निदेशक (वित्त एवं लेखा)

अनुसूची-11

(राशि रुपये में)

वर्तमान परिसम्पत्तियां, ऋण, अग्रिम	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
क. वर्तमान परिसम्पत्तियां				
1. वस्तु सूचियां :				
क. भंडार एवं कल पुर्जे	427,968		339,453	-
ख. हस्तगत स्टांप	-		-	-
ग. व्यापार में स्टॉक				-
— तैयार सामान	-		-	-
— कार्य प्रगति पर	-		-	-
— कच्चा माल	-	427,968	-	339,453
2. विविध देनदार :				-
क. 6 महीने से अधिक अवधि का बकाया	-		-	-
ख. अन्य		-		-
3. हस्तगत नगदी शेष (चैक/ड्राफ्ट आदि सहित)		54,748		126,061
4. बैंक शेष				-
क. अधिसूचित बैंको में:				-
— चालू खातों में				-
— जमा खातों में				-
प्रक्रिया शुल्क/आवेदन प्रपत्र व स्कीम ब्राउचर की लागत	440,400,000		433,400,000	-
रा.बा.बो. का आंतरिक प्रोद्भवन	1,389,700,000		1,294,700,000	-
— बचत खातों में (मुख्य कार्यालय)	389,915,823		310,745,860	-
— बचत खातों में — अग्रदाय खाता (केन्द्र)	13,243,803		10,735,786	-
— बचत खाते में — सहायिकी खाता (केन्द्र)	-		-	-
— बचत खातों में —आवेदन प्रपत्र एवं स्कीम ब्राउचर की लागत (केन्द्र)	-	2,233,259,627	-	2,049,581,646
ख. गैर अधिसूचित बैंकों में :				-
— चालू खातों में	-		-	-
— जमा खातों में	-		-	-
— बचत खातों में	-		-	-
5. डाक घर बचत खाता		-		-
6. पारगमन अनुदान				500,000,000
योग (क)		2,233,742,343	-	2,550,047,160

अनुसूची-11

(राशि रुपये में)

वर्तमान परिसम्पत्तियां, ऋण, अग्रिम	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
ख. ऋण, अग्रिम तथा अन्य परिसंपत्तियां				
1. ऋण और अग्रिम				
क. स्टाफ	551,486		1,021,337	
ख. निकाय के समान क्रियाकलापों/उद्देश्यों में रत अन्य निकाय	-		-	
ग. अन्य : बोर्ड की योजनाओं के तहत सुलभ ऋण				
— अच्छे माने गए तथा वसूली योग्य				
— संदिग्ध	168,847,878		171,079,681	
		169,399,364		172,101,018
2. नकद अथवा वस्तु में अथवा प्राप्त किए जाने वाले मूल्य हेतु वसूली योग्य अग्रिम तथा अन्य राशियां				
क. पूंजी खाते में				
ख. पूर्व भुगतान	216,281		219,843	
ग. जमा व वसूली योग्य	2,790,710		1,043,821	
		3,006,991		1,263,664
3. अर्जित आय:				
क. निर्दिष्ट/संचयी निधि से निवेशों पर	-		-	
ख. एफडीआर निवेशों पर				
प्रक्रिया शुल्क/आवेदन प्रपत्र व स्कीम ब्राउचर की लागत	24,110,846		1,166,281	
रा.बा.बो. का आंतरिक प्रोद्भवन	27,232,232		21,475,552	
ग. बचत खातों पर				
प्रक्रिया शुल्क/आवेदन प्रपत्र व स्कीम ब्राउचर की लागत	84,168		199,012	
रा.बा.बो. का आंतरिक प्रोद्भवन	2,613,636		3,884,540	
एनएचएम का	21,281		14,621	
एनबीएम का	42		6,164	
राष्ट्रीय केसर मिशन	18,284		20,433	
घ. सुलभ ऋणों पर				
— अच्छे माने गए तथा वसूली योग्य	-		-	
— संदिग्ध	22,170,122		22,170,122	
(अप्राप्त बकाया आय सहित)				
		76,250,610		48,936,726
4. प्राप्य योग्य दावा (ब्याज और किराये पर बैंक द्वारा स्रोत पर कर कटौती)		216,708		8,676,068
योग (ख)		248,873,673		230,977,477
योग (क+ख)		2,482,616,016		2,781,024,637

स्थान: गुरुग्राम

दिनांक: 19.06.2024

हस्ता./—

प्रबंध निदेशक

हस्ता./—

उप प्रबंध निदेशक

हस्ता./—

संयुक्त निदेशक (वित्त एवं लेखा)

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए आय तथा व्यय लेखा के अंश दर्शाती अनुसूचियां

अनुसूची-12

(राशि रुपये में)

बिक्री/सेवाओं से आय	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
1. बिक्री से आय :				
क. तैयार माल की बिक्री	-		-	
ख. कच्चे माल की बिक्री	-		-	
ग. स्क्रेप की बिक्री	-	-	-	-
2. सेवाओं से आय :				
क. प्रक्रिया शुल्क	-		-	
ख. आवेदन प्रपत्र एवं योजना ब्राउचर की लागत	15,348,003	15,348,003	20,495,536	20,495,536
योग		15,348,003		20,495,536

अनुसूची-12क

(राशि रुपये में)

आवेदन निधि और स्कीम ब्राउशर हेतु व्यय	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
1. आवेदन प्रपत्र और योजना ब्राउशर हेतु व्यय		28,974,866		32,865,874
योग		28,974,866		32,865,874

अनुसूची-13

(राशि रुपये में)

अनुदान/सहायिकी (प्राप्त अप्रत्यादेय अनुदान तथा सहायिकी)	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
1. केंद्रीय सरकार				
योजनागत व्यय				
एनएचबी बजट से	2,352,500,000		2,183,000,000	
गैर योजनागत व्यय		2,352,500,000		2,183,000,000
2. राज्य सरकार (सरकारें)		-		-
3. सरकारी एजेंसियां		-		-
4. संस्थान/कल्याणकारी निकाय		-		-
5. अंतरराष्ट्रीय संगठन		-		-
6. अन्य (निर्दिष्ट करें)		-		-
योग		2,352,500,000		2,183,000,000

स्थान: गुरुग्राम

हस्ता./—

हस्ता./—

हस्ता./—

दिनांक: 19.06.2024

प्रबंध निदेशक

उप प्रबंध निदेशक

संयुक्त निदेशक (वित्त एवं लेखा)

अनुसूची-14

(राशि रुपये में)

शुल्क / अभिदान	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
1. प्रवेश शुल्क		-		-
2. वार्षिक शुल्क / अभिदान		-		-
3. संगोष्ठी / कार्यक्रम शुल्क		-		-
4. परामर्श शुल्क		-		-
5. अन्य		-		-
योग		-		-

अनुसूची-15

(राशि रुपये में)

निवेशों से आय (निधियों में अंतरित निर्धारित / संचयी निधियों से निवेश पर आय)	निर्धारित निधि से निवेश		निर्धारित निधि से निवेश	
	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
1. ब्याज				
क. सरकारी प्रतिभूतियों पर	-		-	
ख. अन्य बंध पत्र / डिबेंचर	-		-	
ग. अन्य (बैंको में सावधिक जमा)	-	-	-	-
	-	-	-	-
2. लाभांश				
क. शेयरों पर	-	-	-	-
ख. म्यूचुअल फंड प्रतिभूतियों पर	-	-	-	-
	-	-	-	-
3. किराया	-	-	-	-
4. अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	-	-	-	-
योग	-	-	-	-
निर्धारित / संचयी निधियों में अंतरित	-	-	-	-

स्थान: गुरुग्राम

दिनांक: 19.06.2024

हस्ता. / -

प्रबंध निदेशक

हस्ता. / -

उप प्रबंध निदेशक

हस्ता. / -

संयुक्त निदेशक (वित्त एवं लेखा)

अनुसूची-16

(राशि रुपये में)

रॉयल्टी, प्रकाशनों आदि से आय	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
1. प्रकाशनों से आय		-		-
2. रॉयल्टी से आय		-		-
3. अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		-		-
योग		-		-

अनुसूची-17

(राशि रुपये में)

अर्जित ब्याज	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
1. सावधि जमा पर :				
क. अनुसूचित बैंकों से (बैंक द्वारा काटा गया टीडीएस रु. 84,83,723 /- सहित)	136,942,243		92,159,612	
ख. गैर अनुसूचित बैंको से	-		-	
ग. संस्थानों से	-		-	
घ. अन्य	-	136,942,243	-	92,159,612
2. बचत खातों पर :				
क. अनुसूचित बैंकों से	19,491,502		24,194,518	
ख. गैर अनुसूचित बैंको से	-		-	
ग. डाक घर बचत खाते	-		-	
घ. अन्य - केन्द्रों पर	-	19,491,502		24,194,518
3. ऋणों पर :				
क. कर्मचारी / स्टाफ			47,022	
ख. सुलभ ऋण योजना के तहत लाभार्थियों से वसूली योग्य सेवा शुल्क	-		-	
ग. सुलभ ऋण योजना के तहत लाभार्थियों से प्राप्त किया गया सेवा शुल्क	-		-	
				47,022
4. ऋणी तथा अन्य प्राप्ति योग्य पर ब्याज		2,499,122		2,295,059
योग		158,932,867		118,696,211

स्थान: गुरुग्राम

दिनांक: 19.06.2024

हस्ता. / -

प्रबंध निदेशक

हस्ता. / -

उप प्रबंध निदेशक

हस्ता. / -

संयुक्त निदेशक (वित्त एवं लेखा)

अनुसूची-18

(राशि रुपये में)

अन्य आय	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
1. परिसंपत्तियों की बिक्री/निपटान पर लाभ:				
क. स्वयं की परिसंपत्तियां	-	-	-	-
ख. अनुदानों से अभिग्रहीत, अथवा निःशुल्क प्राप्त की गई परिसंपत्तियां	-	-	-	-
	-	-	-	-
2. प्राप्त किराया	-	1,325,678	-	761,556
3. विविध सेवाओं के लिए शुल्क	-	-	-	-
4. विविध आय	-	43,926	-	207,320
5. प्राप्त हुए सेवा प्रभार/दंडात्मक ब्याज	-	6,548,510	-	1,800,221
6. अन्य प्राप्ति	-	2,231,803	-	1,199,779
योग	-	10,149,917	-	3,968,876

अनुसूची-19

(राशि रुपये में)

तैयार माल के स्टॉक में बढ़ोतरी/(कमी) तथा कार्य प्रगति पर	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
1. अंतिम स्टॉक	-	-	-	-
क. तैयार माल	-	-	-	-
ख. कार्य प्रगति पर	-	-	-	-
	-	-	-	-
2. घटाएं : प्रारंभिक स्टॉक	-	-	-	-
क. तैयार माल	-	-	-	-
ख. कार्य प्रगति पर	-	-	-	-
	-	-	-	-
शुद्ध वृद्धि/(कमी) (1-2)	-	-	-	-

स्थान: गुरुग्राम

दिनांक: 19.06.2024

हस्ता./—

प्रबंध निदेशक

हस्ता./—

उप प्रबंध निदेशक

हस्ता./—

संयुक्त निदेशक (वित्त एवं लेखा)

अनुसूची-20

(राशि रुपये में)

स्थापना व्यय	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
क. वेतन एवं भत्ते	52,628,740	58,687,982
ख. अन्य भत्ते तथा बोनस	9,846,348	5,387,734
ग. भविष्य निधि में अंशदान	13,086,567	12,077,919
घ. स्टॉफ कल्याण पर व्यय	409,473	397,928
ड. कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति पर व्यय तथा सेवांत लाभ	12,394,620	11,896,749
च. परामर्शदाता को भुगतान	1,999,348	1,421,996
योग	90,365,096	89,870,308

अनुसूची-21

(राशि रुपये में)

अन्य प्रशासनिक व्यय	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
क. विद्युत तथा जल प्रभार	1,664,595	1,406,032
ख. जनरेटर चालन तथा रखरखाव	767,314	683,119
ग. बीमा	29,764	24,860
घ. मरम्मत एवं अनुरक्षण	1,080,824	1,423,037
ड. सुरक्षा प्रभार तथा रखरखाव पर व्यय	9,068,620	6,978,831
च. वाहन चालन तथा अनुरक्षण	195,167	232,692
छ. डाक, टेलीफोन और संचार प्रभार	474,389	559,740
ज. मुद्रण तथा स्टेशनरी	2,000,852	2,198,712
झ. यात्रा तथा वाहन व्यय	3,975,777	2,756,650
ञ. समाचार-पत्र एवं पत्रिकाएं	25,140	19,159
ट. कार्यालय व्यय	448,885	482,802
ठ. बैठक/सत्कार संबंधी व्यय	166,801	185,027
ड. लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक/शुल्क	752,865	1,584,340
ढ. विधिक एवं व्यावसायिक प्रभार	2,657,924	2,298,659
ण. विज्ञापन और प्रचार	57,064	274,626
त. फोटोकापी व्यय	704,230	922,368
थ. संपत्ति कर	216,942	147,015
द. टीडीएस पर ब्याज	-	2,361
ध. राजभाषा संवर्धन व्यय	155,918	103,180
न. विविध व्यय	10	-
प. नीलामी पर कमीशन	-	5,605
फ. बैंक प्रभार	100	4,341
ब. छुट्टी नकदीकरण पर ब्याज	-	15,988
भ. छुट्टी वेतन अंशदान	-	18,780
म. पेंशन अंशदान	-	15,934
योग	24,443,179	22,343,858

अनुसूची-22

(राशि रुपयों में)

अनुदानों, सहायिकी आदि पर व्यय	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
क. संस्थानों/संगठनों को दिए गए अनुदान				
ख. संस्थानों/संगठनों को दी गई सहायिकी (उत्तरपूर्वी राज्यों के अलावा हेतु)				
1) व्यावसायिक बागवानी का विकास (सहायिकी)	1,070,898,200		817,041,548	
— सुलभ ऋण योजना के तहत कानूनी मामलों हेतु विविध व्यय	704,000		163,500	
2) कोल्ड स्टोरेज हेतु पूंजीगत निवेश सहायिकी	1,220,971,600		1,026,537,500	
3) बागवानी हेतु प्रौद्योगिकी विकास/संवर्धन	10,432,001		7,339,640	
4) बागवानी फसलों हेतु बाजार सूचना सेवा	-		-	
5) बागवानी संवर्धन सेवाएं	29,105,650		27,175,274	
6) मिशन प्रबंधन व प्रशासनिक व्यय				
क. स्थापना व्यय — केन्द्र	57,358,473		66,210,455	
ख. प्रशासनिक व्यय — केन्द्र	30,619,954		30,148,275	
7) स्वच्छ पौधा कार्यक्रम	22,550,000		-	
8) इंटरनेशनल हार्टि एक्सपो फ्लोरिड 2022— नीदरलैंड्स	-		5,766,567	
9) क्लस्टर विकास कार्यक्रम	13,692,800		-	
व्यय (उत्तर पूर्वी राज्यों सिक्किम सहित हेतु)			-	
1) व्यावसायिक बागवानी का विकास (सहायिकी)	-		-	
2) कोल्ड स्टोरेज हेतु पूंजीगत निवेश सहायिकी	-		-	
3) बागवानी के संवर्धन हेतु प्रौद्योगिकी विकास/हस्तांतरण	442,459	2,456,775,137		1,980,382,759
योग		2,456,775,137		1,980,382,759

टिप्पणी : निकायों के नाम, उनके क्रियाकलापों तथा अनुदान/सहायिकी राशि को प्रकट किया जाए।

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की योजनाओं के प्रचालन दिशानिर्देशों के अनुसार, पात्र संगठन इस प्रकार से हैं :—

जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो, संगठनों/प्रोमोटरों, जैसे उत्पादकों का एसोसिएशन, व्यक्तिगत, कृषक उत्पादकों/उपभोक्ताओं का समूह, कृषक उत्पादक संगठनों (एफपीओ), साझेदारी/स्वामित्व फर्मों, स्वतः सहायता समूहों (एसएचजीओ), गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ), कम्पनियां, निगमों, सहकारिताओं, सहकारिता विपणन फेडरेशन, कृषि उत्पाद विपणन समितियां, विपणन बोर्ड/समितियां, नगर निगमों/कमेटियां, एग्री-इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशनों, एसएयू(ओ) और अन्य संबंधित आर एंड डी संगठनों रा.बा.बो. की सभी योजनाओं के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र है।

प्रत्येक गतिविधि में वितरित की गई सहायिकी को उपरोक्त अनुसूची सं. 22 में दर्शाया गया है। लाभार्थी—वार विवरण अलग पुस्तिका में उपलब्ध है। रा.बा.बो. की योजनाओं के अतिरिक्त, रा.बा.बो. एनएचएम, एनबीएम, और केसर मिशन के विशेष घटकों को भी क्रियान्वित करता है।

स्थान: गुरुग्राम

हस्ता./—

हस्ता./—

हस्ता./—

दिनांक: 19.06.2024

प्रबंध निदेशक

उप प्रबंध निदेशक

संयुक्त निदेशक (वित्त एवं लेखा)

अनुसूची-23

(राशि रुपये में)

ब्याज	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
क. स्थायी ऋणों पर		-		-
ख. अन्य ऋणों पर (बैंक प्रभारों सहित)		-		-
ग. अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		-		-
योग		-		-

स्थान: गुरुग्राम

हस्ता./—

हस्ता./—

हस्ता./—

दिनांक: 19.06.2024

प्रबंध निदेशक

उप प्रबंध निदेशक

संयुक्त निदेशक (वित्त एवं लेखा)

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड 31 मार्च, 2024 को समाप्त अवधि हेतु लेखे का भाग होने वाली अनुसूचियाँ

अनुसूची 24 – महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ

1. लेखाकरण परिपाटी

वित्तीय विवरणों को जब तक अन्यथा घोषित नहीं किया जाए, ऐतिहासिक लागत परिपाटी तथा लेखाकरण की प्रोदभवन प्रणाली के आधार पर तैयार किया गया है। मार्च 2024 के महीने के वेतन एवं भत्तों का प्रावधान खातों में किया गया है।

2. वस्तु-सूचियों का मूल्यांकन

भंडार, कलपुर्जों (मशीनरी कलपुर्जों सहित) तथा स्टेशनरी वस्तुओं को लागत पर मूल्यांकित किया गया है।

3. निवेश

लागू नहीं

4. उत्पाद शुल्क

लागू नहीं

5. अचल परिसंपत्तियाँ

अचल परिसंपत्तियों को आवक माल ढुलाई सहित अधिग्रहण की लागत, शुल्क और करों तथा अधिग्रहण से संबंधित आकस्मिक और प्रत्यक्ष व्ययों की लागत पर दर्शाया गया है। निर्धारित निधियों से खरीदी गई अचल परिसंपत्तियों को निर्धारित निधियों का उपयोग माना जाता है।

6. मूल्यहास

(क) मूल्यहास को आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत निर्धारित दरों पर कम मूल्य लिखे जाने की पद्धति पर उपलब्ध करवाया गया है।

(ख) वर्ष के दौरान अचल परिसंपत्तियों में वर्धन/कटौतियों के संबंध में मूल्यहास आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार उपलब्ध करवाया गया है।

7. विविध व्यय

लागू नहीं

8. बिक्री हेतु लेखाकरण

लागू नहीं

9. सरकारी अनुदान/सहायिकी

(क) कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार से प्राप्त सहायता-अनुदान को प्राप्ति के आधार पर लेखांकित किया गया है।

(ख) विभिन्न योजनाओं, एनएचबी योजनाओं को छोड़कर, के अंतर्गत सरकार से प्राप्त सहायता-अनुदान को निर्धारित निधियों में लेखाकरण किया गया है।

(ग) गैर-मौद्रिक परिसंपत्तियों के साथ-साथ विशिष्ट अचल संपत्तियों से संबंधित अनुदानों की प्रकृति वाला कोई सहायता अनुदान प्राप्त नहीं हुआ है।

10. विदेशी मुद्रा लेन-देन

विदेशी मुद्राओं में लेनदेनों को तत्संबंधी लेन-देनों की तारीख को प्रचलित विनिमय दरों पर दर्ज किया गया है।

11. पट्टा

पट्टा किरायों को पट्टा शर्तों के संदर्भ में खर्च किया गया है।

12. सेवानिवृत्ति हितलाभ

(क) कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति/मृत्यु पर देय उपदान संबंधी देयता को प्रोदभवन मूल्यांकन पर लेखांकित किया गया है।

(ख) कर्मचारियों के लिए संचयित छुट्टी के नकदीकरण लाभ संबंधी प्रावधान को प्रोदभूत किया गया है तथा उसे यह मानकर परिकल्पित किया गया है कि प्रत्येक वर्ष के अंत में कर्मचारी इस लाभ को प्राप्त करने के हकदार होंगे।

13. राजस्व मान्यता

(क) एफडीआर, बचत बैंक खाता पर ब्याज जैसी आय (बैंक से ब्याज प्रमाणपत्र के साथ-साथ आयकर विभाग के 26 एस) को प्रोदभवन आधार पर लेखांकित किया गया है।

(ख) विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत अप्रयुक्त बकाया राशियों को जब और जैसे प्राप्त होने पर लेखांकित किया गया है।

(ग) विभिन्न योजनाओं के तहत सहायता/सहायिकी के लिए जारी राशि को जारी किए जाने के वर्ष के दौरान व्यय के रूप में दर्शाया गया है तथा वर्तमान वर्ष के दौरान वापिस प्राप्त की गई पिछले वर्षों की अप्रयुक्त धनराशि को समग्र/पूँजी निधि में लेखांकित किया गया है।

(घ) एनएचएम, एनबीएम और केसर मिशन से होने वाले व्यय को निर्धारित निधियों में लेखाकरण किया गया है तथा बोर्ड द्वारा कर अनुपालन किया गया है।

स्थान: गुरुग्राम

हस्ता./—

हस्ता./—

हस्ता./—

दिनांक: 19.06.2024

प्रबंध निदेशक

उप प्रबंध निदेशक

संयुक्त निदेशक (वित्त एवं लेखा)

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड 31 मार्च, 2024 को समाप्त अवधि हेतु लेखे का भाग होने वाली अनुसूचियां

अनुसूची 25 – आकस्मिक देयताएं तथा लेखाओं पर टिप्पणियां

1. आकस्मिक देयताएं

- 1.1 निकाय के प्रति दावों जिन्हें ऋणों के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है – रुपये शून्य (पिछले वर्ष रुपये शून्य)
- 1.2 निम्न के मामले में –
 - निकाय की ओर से/द्वारा दी गई बैंक गारंटियां— रुपये शून्य (पिछले वर्ष रुपये शून्य)
 - निकाय की ओर से बैंक द्वारा खोले गए साख-पत्र – रुपये शून्य (पिछले वर्ष रुपये शून्य)
 - बैंकों के साथ छूट दिए गए बिल – रुपये शून्य (पिछले वर्ष रुपये शून्य)
- 1.3 निम्न के संबंध में विवादित मांगे:
 - बिक्री कर रुपये शून्य (पिछले वर्ष रुपये शून्य)
 - नगर निगम कर रुपये शून्य (पिछले वर्ष रुपये शून्य)
 - न्यायालय मामले रुपये 5.00 करोड़ (लगभग) (पिछले वर्ष लगभग रुपये 4.00 करोड़)
- 1.4 आदेशों के गैर-निष्पादन के लिए पक्षों द्वारा किए गए दावे, परंतु जिनका निकाय द्वारा प्रतिवाद किया जा रहा है – रुपये शून्य (पिछले वर्ष रुपये शून्य)

2. पूंजीगत प्रतिबद्धताएं

पूंजीगत लेखे पर निष्पादन हेतु शेष संविदाओं का अनुमानित मूल्य जिनके लिए प्रावधान नहीं किया गया है। (अग्रिमों का निवल) – रुपये शून्य (पिछले वर्ष रुपये शून्य)

3. पट्टा बाध्यताएं

संयंत्र तथा मशीनरी के लिए वित्त पट्टा व्यवस्थाओं के अंतर्गत किरायों के लिए भविष्य की बाध्यताएं – रुपये शून्य (पिछले वर्ष रुपये शून्य)

4. वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण तथा अग्रिम

प्रबंधन के मतानुसार, व्यापार के सामान्य रूप में वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋणों तथा अग्रिमों का वसूली मूल्य, तुलन-पत्र में दर्शाई गई समग्र राशि के समतुल्य है।

5. कराधान

क) आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कोई कर योग्य आय नहीं होने के मद्देनजर, आयकर के लिए कोई प्रावधान आवश्यक नहीं माना गया है। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23सी)(iv) के तहत

निर्धारण वर्ष 2008-09 तक केंद्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एन.एच.बी.) को अधिसूचित किया गया था। एन.एच.बी. ने निर्धारण वर्ष 2009-10 से 2010-11, 2011-12 से 2013-14 और 2014-2015 और आगे के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23सी)(iv) के तहत छूट के नवीकरण के लिए आयकर प्राधिकारियों के पास आवेदन दायर किया, परन्तु आयकर प्राधिकारियों द्वारा इसे खारिज कर दिया गया था। बोर्ड ने आयकर प्राधिकारियों के फैसले के खिलाफ चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की हैं। माननीय उच्च न्यायालय से मामले में निर्णय प्रतीक्षित है। बोर्ड आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12ए के तहत आयकर प्राधिकारियों के पास पंजीकृत है। एन.एच.बी., आयकर विभाग में शून्य आय की अपनी आयकर विवरणी (आईटीआर) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23सी)(iv) के अनुपालन हेतु धर्मार्थ संस्थान द्वारा अपेक्षित लेखापरीक्षा रिपोर्ट के साथ समय से प्रतिवर्ष दाखिल कर रहा है। वित्तीय वर्ष 2023-24 (निर्धारण वर्ष 2024-25 संबंधित) के दौरान इंडियन ओवरसीज बैंक, एनएचबी ब्रांच, गुरुग्राम द्वारा एन.एच.बी. की सावधि जमा के ब्याज/किराये पर टीडीएस राशि रु. 1,32,567/- काटी गई है जो आयकर प्राधिकारियों के पास आयकर विवरणी दाखिल करने के समय रिफंड के रूप में दावायोग्य है। एन.एच.बी. को निर्धारण वर्ष 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 का आयकर प्राधिकारियों से रिफंड प्राप्त हुआ है जो आयकर विभाग द्वारा आय को शून्य मानते हुए वर्ष के दौरान किराया रसीदों और एफडीआर(ओं) के अर्जित ब्याज पर टीडीएस के रूप में काटा गया था।

ख) बोर्ड ने 31 दिसंबर 2021 को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12ए के तहत पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए फॉर्म संख्या 10ए में आवेदन किया है। प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त ने 07.01.2022 को निर्धारण वर्ष 2022-23 से 2026-27 तक 5 (पांच) वर्षों के लिए बोर्ड के पंजीकरण का आदेश दिया है।

6. विदेशी मुद्रा लेन-देन

6.1 सीआईएफ के आधार पर परिगणित आयातों का मूल्य

— तैयार माल की खरीद	शून्य
— कच्चा माल तथा घटक (अंतरण अधीन सहित)	शून्य
— पूंजीगत वस्तुएं	शून्य
— भंडार, कलपुर्जे तथा उपभोज्य	शून्य

6.2 विदेशी मुद्रा में व्यय

क. यात्रा व्यय	शून्य
ख. वित्तीय संस्थानों/बैंकों को विदेशी मुद्रा में प्रेषित धनराशि तथा ब्याज का भुगतान	शून्य
ग. प्रौद्योगिकी जागरुकता हेतु मशीनरी की खरीद संबंधी भुगतान	शून्य

घ. अन्य व्यय:

— बिक्री पर कमीशन	शून्य
— विधिक तथा व्यावसायिक व्यय	शून्य
— विविध व्यय	शून्य

6.3 आय

एफओबी आधार पर निर्यातों का मूल्य	शून्य
----------------------------------	-------

6.4 लेखापरीक्षकों को पारिश्रमिक:

— लेखापरीक्षा शुल्क के रूप में	शून्य
— पॉकेट व्ययों में से	शून्य
— कराधान मामले	शून्य
— अन्य	शून्य

- आवेदन प्रपत्र एवं स्कीम ब्राउशर की लागत के कारण संचयी निधि और आवेदन प्रपत्र एवं स्कीम ब्राउशर की लागत से सृजित स्थाई परिसंपत्तियों पर खर्च किए गए व्यय को बोर्ड के वार्षिक लेखों में अलग से दर्शाया गया है।
- सिविल मुकदमा दाखिल किए जाने के वर्ष से दाखिल सुलभ ऋण मामले में सेवा प्रभार का प्रावधान नहीं किया जाता है। तथापि, मुकदमा किए गए उन मामलों के संबंध में वसूली की सीमा तक सेवा प्रभार लगाया गया है जिसमें संबंधित अवधि के दौरान राशि वसूल की गई है।
- उन सुलभ ऋण मामलों की वसूली के समायोजन संबंधी, रा.बा.बो. की पद्धति के अनुसार, जिनमें वसूली की एकमुश्त राशि जो मूलधन राशि और देय सेवा प्रभारों से कम है, रा.बा.बो. वसूली की राशि को पहले सेवा प्रभारों में और बाकी की राशि को मूलधन राशि में समायोजित करता है। वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान, एन.एच.बी. की पूर्ववर्ती सुलभ ऋण योजना के तहत वसूली केवल रु. 87,80,313/- लाख है जिसमें से रु. 22,31,803/- मूल धनराशि एवं सेवा प्रभार के रूप में और रु. 65,48,510/- दंडात्मक ब्याज के रूप में लेखांकित किया है।
- लाभार्थियों द्वारा देय राशियों के विलंब से किए जाने वाले भुगतानों के संबंध में लेखों में दंडात्मक ब्याज का प्रावधान नहीं किया गया है। इसे प्राप्ति के आधार पर लेखांकित किया जाता है।
- सुलभ ऋणों की वसूली के लिए बोर्ड ने चूककर्ता ऋणियों के खिलाफ सिविल मुकदमों दायर किए हैं। 31.03.2024 तक संदिग्ध ऋणों के लिए 19,10,18,000/- रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है।
- सिविल मुकदमा दाखिल किए गए मामलों में न्यायालय शुल्क, यदि कोई हो, को व्यय लेखा से भुगतान आधार पर घटाया गया है।

13. पिछले वर्ष के तदनुरूपी आंकड़ों को, जहां आवश्यक समझा गया है, पुनः वर्गीकृत/पुनः व्यवस्थित किया गया है।
14. आंकड़ों को निकटतम रूप में पूर्णांकित किया गया है।
15. 31 मार्च, 2024 तक के तुलन-पत्र तथा उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा तथा प्राप्ति एवं भुगतान लेखा के साथ अनुलग्न 1 से 25 तक अनुसूचियां, इसका एक एकीकृत भाग है।

स्थान: गुरुग्राम

दिनांक: 19.06.2024

हस्ता./—

प्रबंध निदेशक

हस्ता./—

उप प्रबंध निदेशक

हस्ता./—

संयुक्त निदेशक (वित्त एवं लेखा)

CONTENTS

PREFACE

1. INTRODUCTION

- 1.1 Vision
- 1.2 Mission
- 1.3 Objectives

2. THE ORGANIZATION

- 2.1 Board of Directors
- 2.2 Managing Committee

3. RESOURCES

- 3.1 Our People
- 3.2 Our Network
- 3.3 Our Infrastructure

4. FUNDING

5. SCHEMES/PROGRAMMES

5.1 Development of Commercial Horticulture through Production and Post - Harvest Management of Horticulture Crops

- 5.1.1 Commercial Horticulture Development in open field conditions on project mode
- 5.1.2 Commercial Horticulture Development in protected cover on project mode
- 5.1.3 Integrated Post Harvest Management projects
- 5.1.4 Achievements

5.2 Capital Investment Subsidy Scheme for Construction/ Expansion/ Modernization of Cold Storage and Storages for Horticulture Produce

- 5.2.1 Cold Storage unit Type-1 – basic type with single temperature zone
- 5.2.2 Cold Storage unit Type- 2 - with multiple temperature zones and basic material handling equipment
- 5.2.3 Cold Storage unit Type- 2 - with add on technology for Controlled Atmosphere
- 5.2.4 Technology induction and modernization of cold chain
- 5.2.5 Achievements

5.3 Technology Development and Transfer for Promotion of Horticulture

5.3.1 Objectives

5.3.2 Components & Pattern of Assistance

5.3.3 Achievements

5.4 Market Information Service for Horticultural Crops

5.5 Horticulture Promotion Services/Expert Services and Strengthening Capabilities of NHB

HIGHLIGHTS: 2023-24

- 1. Promotion of Commercial Horticulture**
 - a) Commercial Horticulture - Open Cultivation
 - b) Commercial Horticulture - Protected Cultivation of flowers and Vegetables
 - c) Support to Post-Harvest Management
 - d) Supplementary Activities
- 2. Creation of Cold Storage Capacity**
- 3. Technology Development and Transfer for Promotion of Horticulture**
 - a) Capacity Building Programmes
 - b) Quality Planting Material
- 4. Celebration of Hindi Pakhwada and Prize Distributions for Hindi Competition**

New initiatives taken by NHB:

- I. Horticulture Cluster Development Programme**
- II. India Cold Chain Conclave (5th April Kullu, Himachal)**
- III. Developing a multi-commodity Kutch cluster under the CDP**
- IV. Mahbubnagar Mango Cluster**
- V. Building Clean Plant Programme (CPP) of India**

ANNEXURES

- I. Objectives of the National Horticulture Board**
- II. List of the Board of Directors of National Horticulture Board as on 31.03.2024**
- III. Staff Position as on 31.03.2024**
- IV. List of Field Offices of National Horticulture Board along with their Complete Address**
- V. Annual Accounts of the Board for the year 2023-24**

PREFACE

It is a matter of pride to place it on record that during 2023-24 horticulture sector in the country has recorded a production of 355.48 MT, which is highest ever in the history of Indian Horticulture. India retains its position as the 2nd largest producer of Fruits and Vegetables globally. This demonstrates willingness and entrepreneurship of Indian farmers to accomplish the task of production of perishable horticulture produce and contribute towards food and nutritional security of the Nation.

NHB has played an important role in achieving this milestone by providing support to the farmers and entrepreneurs for improved quality production, post-harvest management and value addition through its broad based entrepreneur driven innovative schemes. Since its inception in 1984, NHB has contributed immensely to Commercial Horticulture sector with its initial journey of development hi-tech commercial horticulture and cold chain infrastructure by launching of soft loan schemes during 1993 and introduction of credit linked back end subsidy schemes in the year 2000. Since 2014-15 onwards, NHB has been brought under Mission for Integrated Development of Horticulture (MIDH) to accelerate planned development of commercial horticulture and post-harvest management infrastructure in the country.

Some of the highlights of the horticulture development with financial assistance from NHB during the year include establishment of 398 numbers of commercial horticulture projects in an area of 652.16 hectare, 14 post-harvest management and hi-tech commercial units and establishment of 75 cold storage units with a storage capacity of 4.84 lac metric tonnes.

In order to address the challenges and enhance the global competitiveness of the Indian horticulture sector, the Ministry of Agriculture and Farmers' Welfare, Government of India, has launched the Horticulture Cluster Development Programme (CDP). It is a Central Sector Programme, which is being implemented by the National Horticulture Board. The Programme aims to enable holistic growth and development of identified horticulture clusters to make them globally competitive and entrench them into national and global value chains.

Further, Union Cabinet has approved a Clean Plant Programme (CPP) is to be implemented by the Ministry of Agriculture and Farmers with an aim to ensure access to disease free quality horticulture planting material to the farmers. NHB has been designated as the Nodal Agency for implementation of this Programme. NHB has initiated the process to design guidelines, SoPs, Operational manual of the Programme, etc for Plan Implementation.

I must place it on record that the initiatives and achievements of the Board in the field of Horticulture would not have been possible without the visionary guidance of Hon'ble Union Minister for Agriculture and Farmers Welfare & President of the Board Shri Narendra Singh Tomar and all the Members of Board of Directors of NHB. I am especially thankful to Shri Manoj Ahuja, Secretary DA&FW & Chairman of Managing Committee and its members for their regular guidance and support. I also appreciate the excellent support rendered by the team of officers and staff of NHB has in achieving the objectives of the Board.



(PRIYA RANJAN)
Managing Director

1. INTRODUCTION

National Horticulture Board (NHB) was set up by Government of India in April 1984 as an Autonomous organization under the administrative control of Ministry of Agriculture and Farmers Welfare and registered as a society under Societies Registration Act with its headquarters at Gurugram. Presently, NHB has 29 field offices located all over the country. The broad aims and objectives of the Board are to develop production clusters/hubs for integrated hi-tech commercial horticulture, development of Post-harvest and cold chain infrastructure, ensuring availability of quality planting material and to promote adoption of new technologies/tools/techniques for Hi-tech commercial horticulture etc.

1.1 Vision

- Recognizing the fact that the Commercial Horticulture provides not only food and nutritional security but also paves the way for crop diversification for better economic gain and risk mitigation for the farmers: the need for promoting this sector by concerted efforts for private investment through commercial horticulture projects has been visualized.
- This sector includes area expansion under commercial horticulture projects in the Country; creation of post harvest management related infrastructure combined with public and private sector initiatives of technology development and transfer, product promotion, marketing & export.
- With this vision, National Horticulture Board is striving to accelerate the process of the development of commercial horticulture in potential clusters by organizing the producer farmers for better utilization of resources, transfer of technology and gaining benefit of scaling up.

1.2 Mission

- To promote commercial horticulture through development of production hubs and ensuring availability of quality planting material.
- To promote investment in Post-Harvest Management and Cold Chain infrastructure.
- To promote development and transfer of technology for quality production.
- Product promotion, market development and export promotion through synergy amongst producers, farmers, extension workers, research organizations, private stake holders and credit institutions.

1.3 Objectives

The main objectives of the NHB are to improve integrated development of Horticulture industry and to help in coordinating, sustaining the production and processing of fruits and vegetables. Detailed objectives of the Board are given at **Annexure-I**.

2. THE ORGANIZATION

2.1 Board of Directors

The overall management of all the activities of NHB is supervised by "Board of Directors", which is headed by the Hon'ble Union Minister for Agriculture and Farmers Welfare as its President and Hon'ble Union Minister of State for Agriculture and Farmers Welfare as its Vice-President. The composition of the Board of Directors is as under:

Sr. No.	Designation of Member	Status
1.	Union Minister for Agriculture and Farmers Welfare	President (Ex-Officio)
2.	Union Minister of State for Agriculture and Farmers Welfare	Vice-President (Ex-Officio)
3.	Union Secretary, Department of Agriculture & Farmers Welfare	Member (Ex-Officio)
4.	Director General, Indian Council of Agriculture Research	Member (Ex-Officio)
5.	Additional Secretary, Department of Agriculture & Farmers Welfare	Member (Ex-Officio)
6.	Additional Secretary & Financial Advisor, Department of Agriculture & Farmers Welfare	Member (Ex-Officio)
7.	Joint Secretary & Mission Director (MIDH) Department of Agriculture & Farmers Welfare	Member (Ex-Officio)
8.	Horticulture Commissioner, Department of Agriculture & Farmers Welfare	Member (Ex-Officio)
9.	Advisor (Agriculture), Niti Aayog	Member (Ex-Officio)
10.	Chairman, Agricultural & Processed Food Products Export Development Authority (APEDA)	Member (Ex-Officio)
11.	A representative of Ministry of Food Processing Industry (MoFPI) or any other Ministry who may be invited especially with the consent of the President	Member (Ex-Officio)
12.	11 Representatives of Horticulture industry representing the interests of Co-operative Societies, leading horticulturists and leading exporters of horticulture produce. (To be nominated by the Central Govt.)	Non Officials Members
13.	Managing Director, National Horticulture Board	Member Secretary (Ex-Officio)

A list of Members of the Board of Directors of National Horticulture Board as on 31.03.2024 is given in **Annexure-II**.

2.2 Managing Committee

The Union Secretary (Agriculture & Farmers Welfare) heads the Managing Committee of the NHB as its Chairman. It has been assigned the role of General Supervision, Direction and Control of the affairs and functions of the Board. The composition of the Managing Committee is as under:

Sr. No.	Designation of Member	Status
1.	Union Secretary, Department of Agriculture & Farmers Welfare	Chairman (Ex-Officio)
2.	Additional Secretary, Department of Agriculture & Farmers Welfare	Member (Ex-Officio)
3.	Additional Secretary & Financial Advisor, Department of Agriculture & Farmers Welfare	Member (Ex-Officio)
4.	Joint Secretary & Mission Director (MIDH) Department of Agriculture & Farmers Welfare	Member (Ex-Officio)
5.	Horticulture Commissioner, Department of Agriculture & Farmers Welfare	Member (Ex-Officio)
6.	Chairman, Agricultural & Processed Food Products Export Development Authority (APEDA)	Member (Ex-Officio)
7.	General Manager, National Bank for Agriculture and Rural Development	Member (Ex-Officio)
8.	A representative of Farmers (To be nominated by the Central Govt.)	Member
9.	Managing Director, National Horticulture Board	Member Secretary (Ex-Officio)

3. RESOURCES

3.1 Our People

Managing Director is the Principal Executive of the Board who is assisted by technical and administrative divisions. The details of sanctioned and filled up posts are given at **Annexure-III**.

3.2 Our Network

The Head Office of the Board is situated at Gurugram, Haryana. Besides, there are 29 field offices located in different parts of the country. List of our field offices are given at **Annexure-IV**.

3.3 Our Infrastructure

1. A sprawling well maintained green campus of 5.4 acres.
2. Fully computerized work environment at Head Office and in field offices.

3. Well-equipped Library having wide range of horticultural publications.
4. Committee Halls and Canteen Facilities at Head Office.

4. FUNDING

The activities of the Board are funded by the Government of India by way of grants-in-aid. The details of the funds received and expenditure incurred under various Schemes during the year 2023-24 are given here under -

(Amount in Rs. Lakh)

Sr. No.	Name of Scheme	Grant Received	Unspent Balance as on 01.04.2023	Total fund available	Expenditure incurred
1.	NHB	23525.00	6244.86	29769.86	25987.54
2.	NHM (TSG)	375.00	54.44	429.44	322.64
3.	NBM (TSG)	-	12.75	12.75	12.41

*** An amount of Rs 2230.81 lakh was refunded to DA&FW during the year 2023-24 (on account of unspent balance prior to 2022-23, call back subsidy and interest earned)**

5. SCHEMES/PROGRAMMES

Since its inception, NHB has taken up various innovative programmes/schemes to promote large-scale adoption of modern package of practices and processing/ value addition in horticultural crops. The present compendium of schemes is set of intervention to achieve high quality commercial production, create post-harvest infrastructure and cold chain facilities, and promote Transfer of Technology for Production and Post-Harvest Management. Highlights of the schemes and achievements during the year 2023-24 are given hereunder:-

5.1 Development of Commercial Horticulture through Production and Post-Harvest Management of Horticulture Crops

Under this scheme, projects for establishment of commercial production units in open fields as well as under protected conditions, post-harvest management and primary processing units are eligible for financial assistance.

Description of Components and Pattern of Assistance

Sr. No.	Particulars	Description	Pattern of Assistance
5.1.1	Commercial Horticulture Development in open field conditions on project mode	National Horticulture Board considers integrated commercial horticulture development projects in open field conditions on project mode, including components viz planting material, plantation, irrigation, fertilization, mechanization, precision farming, GAP etc. for projects covering area over 2.00 ha. (5 Acres). Integrated production unit on Mushroom and tissue culture are also eligible for assistance under this component. The components like farm machinery and PHM infrastructure, irrigation and micro irrigation etc. are also eligible under the scheme for assistance in existing/new orchards/projects to increase productivity.	Credit linked back-ended subsidy @ 40% of project cost limited to Rs 30.00 lakh per project in general areas and @ 50% of project cost limited to Rs. 37.50 lakh in NE Region, Hilly States and Scheduled areas.
5.1.2	Commercial Horticulture Development in protected cover on project mode	Commercial Horticulture Development projects under protected cover on project mode including components viz. planting material, plantation, irrigation, fertilization, mechanization, etc. for projects having area over 2500 sq. meter are being considered. Activities like construction of green houses, shade net house, plastic mulching, and plastic tunnel, anti-bird / hail nets etc. are eligible for assistance. However, for availing subsidy, all material/technology should conform to prescribed standards.	Credit linked back-ended subsidy @ 50% of the total project cost limited to Rs. 56.00 lakh per project as per admissible cost norms. (Board is permitted to take up projects under protected cultivation in an area of 1000 Sq. Mt. and above in NE States).
5.1.3	Integrated Post Harvest Management projects	i) Integrated Post Harvest Management projects relating to Pack House, Ripening Chamber, Reefer Van, Retail Outlets, Pre-cooling unit, etc. are assisted under this component. NHB also accepts standalone projects of PHM in component mode.	Credit linked back-ended subsidy @ 35% of the total project cost limited to Rs. 50.75 lakh per project in General area and @ 50 % of project, cost limited to Rs. 72.50 lakh per project in NE Region Hilly States and Scheduled areas, ensuring backward and forward linkage.

Sr. No.	Particulars	Description	Pattern of Assistance
		ii) Primary processing units of fruits, vegetables, flowers, cashew and aromatic plants only.	Credit linked back-ended subsidy @ 35% of cost limited to Rs.8.75 lakh per project in General areas and @ 50% of project cost limited to Rs. 12.50 lakh per project in NE Region Hilly States and Scheduled areas, ensuring backward and forward linkage.

5.1.4 Achievements

Under the schemes, the Board has sanctioned 419 projects during the financial year and released subsidy of Rs. 10715.89 lakhs. The projects includes Hi-Tech Horticultural Crops, Tissue Culture Units, Floriculture Units, Mushroom Cultivation, Establishment of Pack House and Grading Centers, Ripening Chambers, Reefer van, Pre-cooling units, Cold Room, Primary Processing units etc.

OPEN FIELD CULTIVATION



NHB Assisted Project of Grapes Cultivation in Maharashtra



NHB Assisted Project of Mushroom Cultivation in Uttarakhand

PROTECTED CULTIVATIO



NHB Assisted Project of Gerbera Cultivation in Maharashtra



NHB Assisted Project of Capsicum Cultivation in Maharashtra

OPEN FIELD CULTIVATION



NHB Assisted Project of Orchid Cultivation in Karnataka



NHB Assisted Project of Rose Cultivation in Madhya Pradesh

5.2 Capital Investment Subsidy Scheme for Construction/Expansion/Modernization of Cold Storages and Storages for Horticulture Products

Credit linked projects relating to Cold Storages including Controlled Atmosphere (CA) and their modernization are eligible for assistance under this component.

Description of components and Pattern of Assistance

Sr. No.	Particulars	Items	Pattern of Assistance
5.2.1	Cold Storage unit Type 1 – basic mezzanine structure with large chamber (>250 MT) type with single temperature zone	NHB take up projects with capacity above 5000 MT up to 10000 MT as per following rates:- • @Rs. 8000/MT for capacity up to 5000 MT • @Rs. 7600/MT for capacity between 5001 to 6500 MT • @Rs. 7200/MT for capacity between 6501 to 8000 MT • @Rs. 6800/MT for capacity between 8001 to 10000 MT	Credit linked back-ended subsidy @35% of the cost of project (50% in NE Region Hilly States and Scheduled Areas) for capacity above 5000 MT. For calculation of capacity 3.4 cubic meters (cum.), (120 cubic feet {cft}, of chamber volume shall be considered equivalent to 1 MT storage capacity. (Board is permitted to take up cold storage projects in NE Region Area for capacity of 1000 MT or above). However, for availing subsidy, all material/technology should conform to proscribed standards.
5.2.2	Cold Storage unit Type 2 – PEB type for multiple temperature and product use, more than 6 chambers of <250 MT and basic material handling equipment	NHB take up projects with capacity above 5000 MT up to 10000 MT as per following rates:- • @Rs. 10000/MT for capacity up to 5000 MT • @Rs. 9500/MT for capacity between 5001 to 6500 MT • @Rs. 9000/MT for capacity between 6501 to 8000 MT • @Rs. 8500/MT for capacity between 8001 to 10000 MT	
5.2.3	Cold Storage unit Type 2 with add on technology for Controlled Atmosphere	NHB take up projects with capacity above 5000 MT up to 10000 MT as per Type 2 rates given above:- Additional Rs. 10,000/MT for add on components of controlled atmosphere technology as per component wise cost.	

5.2.4	Technology induction and modernization of cold-chain	• @Rs. 5000/MT for capacity between 5001 to 10000 MT • Components of modernization include PLC equipment, packaging line, dock levelers, • advance graders, alternate technologies, stacking system, modernization of insulation and refrigeration etc.	
-------	--	---	--

5.2.5 Achievements

Under the scheme, the Board has sanctioned 75 projects of Cold Storages/CA Storages during the financial year under report and released subsidy of Rs. 12209.72 lakh for creation of capacity of 483898.54 MT.

COLD STORAGE



NHB assisted Cold Storage project at Telangana



NHB assisted Cold Storage project at Telangana

5.3 Technology Development and Transfer for Promotion of Horticulture

5.3.1 Objectives

Projects for popularization of identified new technologies/tools/techniques for commercialization/adoption shall be undertaken through following sub-components:

5.3.2 Components & Pattern of Assistance

Sr. No.	Components	Pattern of Assistance
i	Setting up of block/mother plant and root stock nursery (Area above 4 ha)	Project based - 100% and only through Govt. agency/ Public Sector @ Rs.100.00 Lakh/ha. for effective nursery area including virus indexing, tissue culture lab etc.
ii	Acquisition of technologies including import of planting material from other countries for evaluation and mass multiplication in order to increase production & productivity of horticulture crops	Project based - 100% and only through Govt. agency/PSUs @ Rs.50.00 lakh/project.
iii	Import/procurement of Machines and Tools for horticulture for demonstration purpose	Rs. 50.00 lakh/machine. 100% of total cost and only through Govt. agency/ Public Sector. Proposals of Growers Associations promoted by NHB and Co- operative Societies and Farmers Producers Organization may also be considered on merit as per direction of Board of Directors.
iv	Development & Transfer of Technology: - (i) Pilot project for introduction of new farm input and appropriate technologies etc. for promoting high quality commercial production or increase in productivity. (ii) Development and introduction of new protocol relating to PHM, Cold Chain, Primary processing, Bio-technology and introduction of new tools/ equipment/ machineries for PHM, storage including cold chain system and handling. (iii) R &D projects for solving specific problems related to production, PHM, packaging, storage, handling and transport.	Up to Rs.25.00 lakh/project as 100% of total cost and only through Govt. agency/ PSU.
V	Long Distance Transport Solution component to facilitate long distance transportation and bulk movement of horticulture products through rail etc.	Project based Rs. 2000.00 lakh

vi	Product Promotion and Market Development Services- Horti-fairs	100% of cost by Central Nodal Agency @ Rs. 25.00 lakh
vii	Exposure visit of farmers (Outside State)	Project based as per actual, 100% of the cost
viii	Visit Abroad for Government Officers	Rs. 6.00 lakh per participant, 100% of air / rail travel and course fee
ix	Organization/participation in seminars/workshops/exhibitions etc. for development of horticulture	(i) The financial assistance is limited up to Rs.10.00 lakh for International event (3-5 days), Rs.5.00 Lakh for National event, Rs.3.00 lakh for State Level event and Rs.0.50 lakh for District Level event. (ii) In case of short duration (1-2 days) seminars, financial assistance would be limited to: - Rs.1.00 lakh per event for State Level event, - Rs. 2.00 lakh for National level event and - Rs 3.00 lakh for International event (for organizations/participation of international event within India).
x	Accreditation and Rating of Fruit & Vegetables Nurseries	Rs 1.00 lakh/nursery by Central Nodal Agency (NHB)

5.3.3 Achievements

Under this scheme, NHB has assisted 30 projects/events for Introduction of New Technology, Visit of Progressive Farmers, Horti. Sangam, Organization/Participation in Seminars/ Symposia/ Exhibitions, Technology Awareness, Mother Plant Nurseries, etc. and released financial assistance amounting to Rs.108.69 lakhs.



NHB, Dehradun participated in awareness program for farmers at GPPUA&T Pantnagar on dated 30.11.2023



NHB, Dehradun participated in Horti expo held at rajabhawan Dehradun from 1st to 3rd March 2024.

ACCREDITATION AND RATING OF FRUIT & VEGETABLE NURSERIES



Fruit Plant Nursery in District Navsari (Gujarat)



Vegetable Nursery in District Banaskantha (Gujarat)

ACCREDITATION AND RATING OF FRUIT & VEGETABLE NURSERIES



Apple Nursery in Uttarkashi Distt in Uttarakhand

5.4 Market Information Service Scheme for Horticulture Crops

This scheme deals with work of computerization, development of technology package, data feeding, information dissemination through publicity, printed literature local advertisements etc. Scheme provides for engagement of outsourced staff such as Senior Programmer, Programmer, Data Entry Operators and Horticulture Assistants as per need at approved rates under TSG component of MIDH. An amount of Rs. 903.24 lakh has been incurred under the scheme including Mission Management & Administrative Expenses for NHB Centers.

5.5 Horticulture Promotion Services/Expert Services and Strengthening Capability of NHB

Under this component, specialized studies and surveys are carried, and study/ survey reports are published for use by targeted beneficiaries. In addition, technical laboratories may be set up or cause to be set up and provide technical services including advisory and consultancy services.

This component is executed by NHB with its own manpower and also with services of outsourced experts and under this scheme, 100% financial assistance is provided through Nodal Organizations viz. NHB itself, State Governments/UTs and Organizations under it, Central Government Organizations/Agencies and other Organizations such as Quality Council of India/ NHRDF, etc.

An amount of Rs 324.55 lakh has been incurred under Horticulture Promotion Service scheme and Rs.1363.03 lakh incurred under Mission Management & Administrative Expenses for Head Office.

HIGHLIGHTS: 2023-24

1. Promotion of Commercial Horticulture

- a) **Commercial Horticulture- Open Cultivation:** 103 commercial horticulture projects of various fruits, spices and aromatic plants in open cultivation conditions in project mode by providing subsidy of Rs. 788.855 lakh involving an area of 1158.87 acres.
- b) **Commercial Horticulture- Protected Cultivation of flowers and Vegetables:** 295 projects of flowers and vegetables under protected conditions by providing subsidy of Rs. 6762.323 lakh involving area of 452.63 acres.
- c) Support to Post-Harvest Management:
 - (i) 14 projects for creation of Grading packing units, Pack house, Cold Room etc. with an amount of Rs. 210.741 lakh.
 - (ii) 01 project for creation of primary processing unit with an amount of Rs. 8.75 lakh.
- d) **Supplementary activities:** 08 projects of Mushroom Projects etc. involving a subsidy amount of Rs 377.955 lakh

2. Creation of Cold Storage Capacity

- a) NHB has assisted 75 Cold Storages/CA Stores involving a subsidy amount of Rs. 102.02 Crore for creation of 483898.54 MT capacity.

3. Technology Development & Transfer for Promotion of Horticulture

- a) **Capacity building Programmes:** Organized/supported 30 programmes of various activities viz. Participation in Seminars/Symposia/Exhibitions, Technology Awareness, Mother Plant Nurseries.
- b) **Quality Planting Material:** System of Accreditation and Rating of fruit and vegetable nursery has been started since 2008-09. During the year 2023-24, Board has accredited 433 nurseries.

4. Celebration of Hindi Pakhwada and Prize Distributions for Hindi Competition



New initiatives taken by NHB:

I. Horticulture Cluster Development Programme

Horticulture Cluster Development Programme (CDP) aims to enable holistic growth and development of identified horticulture clusters to make them globally competitive and entrench them into national and global value chains. This programme is designed to leverage the geographical specialization of horticulture clusters and promote integrated and market-led development of pre-production, production, post-harvest, logistics, marketing and branding activities.

National Horticulture Board (NHB) being Nodal Agency for implementation of the Programme has appointed M/s Grant Thornton Bharat LLP as Programme Management Unit to drive the programme and support in its implementation. Based on field visits and extensive feedback received from various stakeholders of the value chain, Operational Guideline for Horticulture Cluster Development Programme has been prepared and finalized. Further, it has been decided to implement the Pilot Phase of programme initially with shortlisted 12 clusters and the programme will be scaled up to cover all the 55 clusters based on the learnings from the pilot phase.

The main objectives of the programme are as follows:

- Address concerns of the horticulture value chain, from pre-production, production, post-harvest management and value addition to logistics, marketing, and branding, in an integrated manner to accelerate competitiveness in the domestic and export markets.
- Reduce harvest and post-harvest losses by developing/expanding/upgrading infrastructure for post-harvest handling of produce, value addition and market linkages.
- Facilitate the introduction of innovative technologies and practices to enhance the global competitiveness of focus cluster crops.
- Facilitate the dovetailing of resources, including the convergence of various government schemes, to entrench stakeholders in the global value chains.
- Build stakeholder capacity and enhance farmers' income through cluster-specific interventions, including brand promotion.

The clusters of the pilot phase include Shopian (Jammu & Kashmir) and Kinnaur (Himachal Pradesh) for Apple, Lucknow (Uttar Pradesh), Kutch (Gujarat) and Mahbubnagar



(Telangana) for Mango, Ananthapur (Andhra Pradesh) and Theni (Tamil Nadu) for Banana, Nashik (Maharashtra) for Grapes, Sepahijala (Tripura) for Pineapple, Solapur (Maharashtra) and Chitradurga (Karnataka) for Pomegranate and West Jaintia Hills (Meghalaya) for Turmeric. Clusters namely, Lucknow & Kutch for Mango and Sepahijala for Pineapple have been replaced with Pollachi (Tamil Nadu) and Alleppey (Kerala) for Coconut and East Medinipur for Floriculture clusters.

As per the implementation framework stipulated in guideline, Cluster Development Agency (CDA) has been appointed for each identified cluster for undertaking the detailed analysis on gaps and determining the scope for innovative interventions in the clusters. Based on the Cluster Gap

Assessment Reports (CGARs) submitted by all CDAs, Request for Proposals (RFPs) were floated/ published by the CDA for selection of Implementing Agencies (IAs) for implementation of different verticals under CDP and one to one meeting with potential IAs were conducted.

In response to the Request for Proposals (RFPs) was published for the selection of Implementing Agencies in all the Clusters, Implementing Agencies have been finalized for the implementation of projects in five (5) Clusters i.e., M/s Prasad Seeds Private Limited for Mahabubnagar (Mango), M/s FIL Industries Private Limited for Shopian (Apple), M/s Sahyadri Farms Post Harvest Care Limited for Nashik (Grape), M/s Meghalaya Basin Management Agency for West Jaintia Hills (Turmeric) and M/s Associated Industrial Corporation for Chitradurga (Pomegranate). Remaining seven (7) clusters are in progress.

A total investment of approximately Rs. 700 Crore has been approved for these 5 projects, which includes private contribution of approximately Rs.440 Cr and financial assistance of approximately Rs. 260 Crore for their implementation. Till date, expenditure of approximately INR 40 Crore has also been incurred by the Implementing Agencies in clusters.





As the implementation has already been commenced in 5 clusters, CDP-SURAKSHA (Cluster Development Programme - System for Unified Resource Allocation Knowledge and Secure Horticulture Assistance) Portal is being developed by M/s Grant Thornton being PMU to monitor, documentation, management, and fund disbursement processes within the Horticulture Cluster Development Programme. Portal shall facilitate streamlined collaboration, enhanced operations, and informed decision-making among stakeholders. Additionally, the integration of GIS and geo-tagging capabilities shall provide a comprehensive understanding of the horticulture clusters, aiding in identifying growth areas and assessing resource utilization.

II. INDIA COLD CHAIN CONCLAVE (5TH APRIL KULLU, HIMACHAL)

To address the importance and requirements of holistic cold chain system in Himachal, NCCD alongwith ISHRAE organised one-day conclave in Kullu, Himachal Pradesh. This one-day event witnessed sector experts, govt. bodies, farmers, etc. sharing thoughts in common platform. With the primary objective to support the development of a strong and effective cold chain infrastructure in the region-involving establishment of cold storage facilities, well-connected transportation networks, and other essential components of the cold chain supply system, the one-day event was organized in Smile Resort in Kullu-Himachal Pradesh.



This session featuring Dr. Vijay Kumar Doharey, DMD-NHB and Mr. Asheesh Fotedar, COO-NCCD shared their views on various Govt. initiatives in the development and strengthening of cold chain infrastructure in the country. This session also addressed the various queries raised by farmers regarding the availing the subsidies while setting up cold

stores. Sh. Sanjay Gupta, DDH Mandi emphasized the efforts of the Himachal Pradesh Government, specifically mentioning the HPHDP and HP Shiva initiatives. He discussed the plan to plant 50 lakh plantations of seven identified crops across 4000 acres over five years as part of HP Shiva, aimed at boosting productivity in Himachal Pradesh.



Dr. Vijay Kumar Doharey (Dy. Managing Director NHB) discussed about the major NHB Initiative Cluster Development Program. He shared a very informative presentation on the project led by NHB which was highly appreciated.

III. Developing a multi-commodity Kutch cluster under the CDP.

On 18/07/2024, a meeting under the Chairmanship of the MD, GAIC, Gandhinagar, was held to explore the possibility of developing a multi-commodity Kutch cluster under the CDP. Designated officials and representatives from CDA, NHB, the PMU team, FPOs, Gujarat State Cooperative Marketing Federation Ltd (Guj Co Masol), private players, etc., also actively participated in the meeting.

The NHB team also interacted with different stakeholders and discussed the challenges and opportunities of both the Kutch and Mahua clusters.

The PMU team presented an overview of the program along with the current scenario of Kutch Mango and other potential commodities such as dates and pomegranates. Additionally, there was a discussion about the Mahua White Onion cluster.



Detailed deliberations were held, and it was observed from the inputs and suggestions received from stakeholders that Kutch should be considered a multi-commodity cluster. Additionally, Mahua is a potential cluster that may be visited, and a meeting with farmers may be held for finalizing the clusters.

After the meeting, the NHB and PMU teams visited the facility (sorting, grading line, cold

storage, and ripening chambers) for multi-commodity use created by GAIC in Naroda. This facility has been leased out to Prime Fresh Limited.

Conclusion: The Kutch cluster may be considered a multi-commodity cluster for mangoes, dates, and pomegranates. A visit to the Mahua cluster needs to be undertaken, which may be conducted in the last week of July.

IV. Mahbubnagar Mango Cluster

On 5th Sept, a review meeting was held under the Chairpersonship of Smt. SK Yasmeen Basha, IAS, Director of Horticulture & Sericulture, Govt. of Telangana in O/o TSHDCL, Hyderabad.

Concerned officials/ representatives from CDA, NHB (from State), IA, PMU, APEDA, NABCONS, District Hort Officers and Farmers were participated physically.



PMU has commenced the meeting with an overview, objective & overall status of the Programme and procedures followed till the selection of IA. Further, the presentation given by the IA on progress made in the cluster.

Further, detailed deliberations were held on the farm level interventions. Concerns raised by the farmers were addressed during the meeting. IA has been advised to conduct Awareness Programmes at block level so that the farmers/ beneficiaries would know about the Programme and benefits. Also, IA has been advised to do –

Identification and registration of farmers, Capacity building, INM & IPM with fruit care related activities.

V. Building Clean Plant Programme (CPP) of India

1. Background and need for CPP

The presence of viruses and virus-like pathogens in fruit plants has dire consequences, impacting not only the yield but also the quality, taste, appearance, and nutritional value of produce. These detrimental effects translate into significant economic losses for growers and contribute to price volatility in the market, as well as dissatisfaction among consumers

due to subpar fruit quality.

India's current planting material production system for fruit crops relies mainly on the Indian Council of Agricultural Research (ICAR)'s crop-specific institutes/National Research Centers (NRCs) and State Agricultural Universities (SAUs). These institutions are engaged in R&D for varietal development, testing, and supplying mother material to nurseries. However, despite these R&D efforts, there is a notable lag in ensuring disease and virus-free commercial-scale production and supply. The challenges include a lack of clean mother blocks and nursery accountability, insufficient testing facilities, absence of a legal framework for certification and traceability, and lack of awareness among the farming community.

Clean Plant Programme is needed in India to meet critical demand of high-quality planting material to prevent economic losses, mitigate yield losses, protect quality and market competitiveness, facilitate expansion into new areas, and to also promote sustainable cultivation practices. The primary mission of CPP is to produce, maintain, and distribute pathogen-tested propagative material of identified crops.

2. Approach to CPP

The proposed Approach for the Clean Plant Programme in is as under :

- Government institutions will exercise control over Nucleus/Mother Plant Material (G1) through the proposed Clean Plant Centres (CPCs) within the ICAR system.
- Large-scale nurseries will receive support for developing and establishing appropriate infrastructure to multiply planting material from CPCs (G2 and G4).
- A national certification system will be introduced.
- A legal framework for CPCs and the Central Certification System will be provisioned under the existing Seed Act.

3. Outputs under the Clean Plant Programme

There are following three Outputs under the Clean Plant Programme:

Output 1. Institutional and regulatory frameworks, and knowledge network for clean plant program established and operationalized

Output 2. Clean Plant Centers (CPCs) established and operationalized. Proposed CPCs and targeted crops include:-

Sr.	ICAR institute	Location of CPCs	Proposed target crops	Back-up G1 block
1	National Research Center for Grapes (NRCG)	Pune, Maharashtra	Grapes	(in IIHR)
2	Indian Institute of Horticultural Research (IIHR)	Bangalore, Karnataka	Mango, Guava, Dragon Fruit, Avocado	Grapes, Citrus (Backup for CISH)

3	Central Citrus Research Institute (CCRI)	Nagpur, Maharashtra	Citrus	(In IIHR)
4	Central Institute for Temperate Horticulture (CITH)	Mukteshwar, Uttarakhand	Apple, almond, walnut, berries, other temperate fruits	(In J&K)
5	National Research Center on Pomegranate (NRCP)	Solapur, Maharashtra	Pomegranate	-
6	Central Institute for Subtropical Horticulture (CISH)	Lucknow, Uttar Pradesh	Mango, Guava, Litchi	Avocado (Backup for IIHR)
7.	Central Institute of Arid Horticulture (CIAH)	Bikaner, Rajasthan	Citrus	CCRI Nagpur/ IIHR
8.	ICAR – East India Hort. Centre	West Bengal/ Jharkhand)	Tropical and Sub-Tropical Crops	CISH, Lucknow
Without ADB loan support from the Budget Allocation of MIDH				
9.	Central Institute for Temperate Horticulture (CITH)	Jammu and Kashmir	Apple, almond, walnut, berries, other temperate fruits	(In Mukteshwar)

Output 3. Certified clean planting materials produced by accredited nurseries.

4. Expected Outcomes from CPP :-

- The propagation of virus-free planting material for commercially important fruit crops will be regulated under a robust legal framework. This framework will ensure complete certification and traceability of all planting materials, guaranteeing high standards of quality and reliability.
- Large and medium-sized nurseries will be developed to produce and distribute true-to-type, virus-free planting materials to the farming community.
- Within the first six years, a comprehensive framework for producing clean planting material will be established. By the end of this period, it is anticipated that 30% of the farmers' planting material requirements will be met by the virus-free materials produced through this system. Over the next ten years, the programme aims to fulfill 80-90% of the planting material requirements for the identified commercially important crops. Currently, the targeted area for identified fruit crops under this programme covers approximately 4.5 million hectares. In the initial phase, the programme aims to target 30% of this area, benefiting around 1.5 million farming families. As the programme reaches full implementation, it is projected that about 5 million farming families will benefit from the improved planting material production system.

Annexure-I

Objectives of the National Horticulture Board

- i) Development of hi-tech commercial horticulture in identified belts and make such areas vibrant with horticultural activity, which in turn will act as hubs for development of horticulture
- ii) Development of modern post-harvest management infrastructure as an integral part of area expansion projects or as common facility for cluster of projects
- iii) Development of integrated, energy efficient cold chain infrastructure for fresh horticulture produce,
- iv) Popularization of identified new technologies / tools / techniques for commercialization / adoption, after carrying out technology and need assessment
- v) Assistance in securing availability of quality planting material by promoting setting up of scion and root stock banks / mother plant nurseries and carrying out accreditation / rating of horticulture nurseries and need based imports of planting material.
- vi) Promotion and market development of fresh horticulture produce.
- vii) Promotion of field trials of newly developed/imported planting materials and other farm inputs; production technology; PHM protocols, INM and IPM protocols and promotion of applied R&D programmes for commercialization of proven technology.
- viii) Promotion of Farm Mechanization in Horticulture through demonstration and its uses at farmers field level to reduce labour cost and increase the productivity of Horticulture crops.
- ix) Promotion of applied R & D for standardizing PHM protocols, prescribing critical storage conditions for fresh horticulture produce, bench marking of technical standards for cold chain infrastructure etc.,
- x) Transfer of technology to producers/farmers and service providers such as gardeners, nurserymen, farm level skilled workers, operators in cold storages, work force carrying out post-harvest management including processing of fresh horticulture produce and to the master trainers.
- xi) Promotion of consumption of horticulture produce and products.
- xii) Promoting long distance transport solution for bulk movement of horticulture produce through rail etc.,
- xiii) Carrying out studies and surveys to identify constraints and develop short and long-term strategies for systematic development of horticulture and providing technical services including advisory and consultancy services.

Annexure-II

List of the Board of Directors of National Horticulture Board (as on 31.03.2024)

Sr. No.	Name, Designation, Telephone No. and E-mail ID of Official Member	Status
1	Hon'ble Union Minister for Agriculture & Farmers Welfare, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Govt. of India Krishi Bhawan, New Delhi Ph:011-23383370/23782691/ 23384129 Email: agrimin.india@gmail.com	Ex-officio President
2	Hon'ble Minister of State for Agriculture & Farmers Welfare, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Govt. of India Krishi Bhawan, New Delhi Ph: 011-23782343/23782565 E-mail: mosafwooffice@gmail.com	Ex-officio Vice-President
3	Secretary Department of Agriculture, & Farmers Welfare, Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, Govt. of India, Krishi Bhavan, New Delhi Ph: 011-23382651/ 23388444 Email: secy-agri@gov.in	Ex-officio Member
4	Secretary Ministry of Food Processing Industry (MoFPI), Panchsheel Bhawan, August Kranti Marg, New Delhi – 110 049 Ph: 011-26493225, 26493012(F), 24106327(R) Email: secy.mofpi@nic.in	Ex-officio Member
5	Department of Agriculture Research and Education (DARE) cum Director General (DG), Indian Council of Agriculture Research, Krishi Bhawan, New Delhi Ph:011-23382629-476/ 25841976/23386711/ 25843190 (R) Email: dg.icar@nic.in	Ex-officio Member
6	Addl. Secretary & Financial Advisor, Department of Agriculture, & Farmers Welfare, Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, Govt. of India, Krishi Bhawan, New Delhi Ph: 011-23381363/23382532 Email: asfa-agri@nic.in	Ex-officio Member

7	Additional Secretary (Hort.), Department of Agriculture & Farmers Welfare, Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, Govt. of India, Krishi Bhavan, New Delhi, Ph: 011-23381503, Email: ascc-agri@nic.in	Ex-officio Member
8	Joint Secretary & Mission Director, Mission for Intergraded Development of Horticulture (MIDH) Department of Agriculture, & Farmers Welfare, Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, Govt. of India, Krishi Bhavan, New Delhi Ph: 011-23382444/ 23073779, Email: jsmidh-agri@gov.in	Ex-officio Member
9	Horticulture Commissioner, Department of Agriculture, & Farmers Welfare, Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, Govt. of India, Krishi Bhavan, New Delhi Ph: 011-23381012/23383712 Email: hort.comm-agri@gov.in	Ex-officio Member
10	Adviser (Agriculture) Nitti Aayog, Parliament Street, New Delhi 011- 23096630/011-23096613 (PS-Advisor) 2598, Mob: 9868060359, Email: adviser.agri-pc@nic.in	Ex-officio Member
11	Chairman, Agricultural & Processed Food Products Export Development Authority (APEDA), Siri Institutional Area, 3 rd Floor , NCUI Building, August Kranti Marg, New Delhi Ph: 011-26513167/26526187/41486020 Email: chairman@apeda.gov.in	Ex-officio Member
12	Shri Rajib Bordoloi H.No.-47, Ananda Nagar Six Mile, Khanapara, Guwahati-781022 Mob: 9706042456/9706063243 Email: rajib.bordoloi29@gmail.com	Non-Official Member
13	Shri Mrigendra Kumar Vill-Manora, Post-Obra, Dist-Aurangabad Bihar-824124 Mob: 9934635843/8709828047 Email: mrigendamanora@gmail.com	Non-Official Member

14	Shri Bhimsen Mahadevappa Kokare K.C. Nagar, DCC Bank, Solapur Road Vijayapura, Karnataka -586103 Mob: 9448143656 Email: kokarebm@gmail.com	Non-Official Member
15	Shri Dharuman A, 3/111, Ebbanadu, Ebbanad Post, The Nilgiris, Ooty, Tamilnadu-643206 Mob: 9443522730 Email: adharuman@gmail.com	Non-Official Member
16	Shri M.K. Akilan, Camalagam, 12, 3 rd Cross Balaji Nagar, Oulgaret, Puducherry-605005 Mob: 9843112121/8072256505 Email: akilan.kannan@gmail.com	Non-Official Member
17	Shri Vanipally Srinivas Reddy 6-3-1360, Ngo's Colony, Vanasthalipuram, IB Nagar, Hyd, Telangana- 500070 Mob: 9676000776 Email: srinivasvanipally@gamil.com	Non-Official Member
18	Shri Singam Somashekar Reddy H.No- 2-1-1 A, Gokulapadu Village Kallur Mandal, Kurnool District Andhra Pradesh-518467 Mob: 9866839242 singam.somashekarreddy@gmail.com	Non-Official Member
19	Shri Ananda Aa Shri At- Uppalli, Post-Madasur Lingadahalli, Sagara Taluk, Shimoga District- Karnataka- 577434, Mob: 09448204831/08183-296500 Email: anand_kpp@rediffmail.com	Non-Official Member
20	Shri Shikhar Malani S/o Shri Sanjeev Malani, Ramnagar Jhanda Chowk, Bankhedi, Dist- Narmadapuram, Madhya Pradesh-461990 Mob: 9425409118 Email: ecshikhar@gmail.com	Non-Official Member

21	Shri Sandeep Yashwant Rane 1/203, Pandurang Krupa Nath Pal Nagar A/p- Tal- Kankavli, Dist-Sindhudurg, Maharashtra-416602 Mob: 9420306306/9890874779 Email: sandeepbane4104@gmail.com	Non-Official Member
22	Shri Birendra Juyal Vill+Post- Karakot, Dist-Pauri Garhwal Uttarakhand- 246159 Mob: 9811025779 Email: birendrajuyal60@gmail.com	Non-Official Member
23	Shri Priya Ranjan Managing Director, National Horticulture Board Ministry of Agriculture and Farmers Welfare Government of India 85, Institutional Area, Sector - 18 Gurugram - 122015 (Haryana) Telephone 0124-2342992, 2347441, 2342989-90 Email: md@nhb.gov.in	Ex-officio Member Secretary

Annexure-III

The Managing Director is the Principal Executive of the National Horticulture Board. Sh. Priya Ranjan was the Managing Director of the Board during 01.04.2023 to 31.03.2024. The Managing Director is assisted by Technical and Administrative Divisions. The total regular sanctioned posts in the Board are 155.

Details of Sanctioned, Filled and vacant posts as on 31.03.2024

S. No.	Name of the post	As per 7 th CPC Pay Level & Pay Matrix		Present Position				
		Pay Level (As per 7 th CPC)	Pay Matrix	No. of posts sanctioned	Filled	Vacant	Post vacant for more than 5 years	Total Vacancy

Group “A”

1.	Managing Director	14	144200-218200	1	-	1	-	1*
2.	Deputy Managing Director	13-A	131100-216600	1	1	-	-	
3.	Director (Personnel)	12	78800-209200	1	-	-	1**	1
4.	Joint Director	11	67700-208700	5	2	3	-	3
5.	Joint Director (F&A)	11	67700-208700	1	-	1	-	1
6.	Deputy Director	10	56100-177500	30	19	11	-	11
7.	Deputy Director (IS)	10	56100-177500	1	1	-	-	
				40	23	16	1	17

Group “B”

1.	Accounts Officer	7	44900-142400	1	1	-	-	
2.	O.L. Officer	7	44900-142400	1	1	-	-	
3.	Sr. Administrative Officer	7	44900-142400	3	2	1	-	1
4.	Technical Officer (Computer)	7	44900-142400	2	2	-	-	
5.	Jr. Translation Officer	6	35400-112400	1	-	1	-	1

6.	Sr. Horticulture Officer (after merger of SHO-18 & HO -17)	6	35400-112400	35	1	25	9**	34
7.	Administrative Officer	6	35400-112400	1	-	0	1**	1
8.	Sr. Accountant	6	35400-112400	2	2	-	-	
9.	Jr. Accountant	6	35400-112400	2	2	-	-	
				48	11	27	10	37

Group "C"

1.	Personal Executive	4	25500-81100	5	1	2	2**	4
2.	Computer Executive	4	25500-81100	7	4	3	-	3
3.	LDC	2	19900-63200	5	3	1	1**	2
4.	Hindi Typist	2	19900-63200	1	1	-	-	
5.	Driver	2	19900-63200	3	-	2	1**	3
6.	Electrician	2	19900-63200	1	1	-	-	
7.	Messenger/MTS	1	18000-56900	40	28	9	3**	12
8.	Mali	1	18000-56900	5	3	2	-	2
				67	41	19	7	26

Summary

Sr. no.	Category	No. of posts sanctioned	Filled	Vacant	Post vacant for more than 5 years	Total Vacancy
	Group "A"	40	23	16	1	17
	Group "B"	48	11	27	10	37
	Group "C"	67	41	19	7	26
	Total	155	75	62	18	80

*JS (MIDH), Ministry of Agriculture & Farmers Welfare is presently given the additional charge of MD, NHB

** NHB has already submitted a proposal with Ministry of DA&FW for revival of posts lying vacant for more than 5 years. The proposal is presently under active consideration of DA&FW.

Annexure-IV

List of Field Offices of National Horticulture Board along with their Complete Address

Sr. No.	State	Name & Address of the Centers
1	Andhra Pradesh	National Horticulture Board Indira Gandhi Municipal Stadium Complex, 1st Floor, Gate No 03, Labbipet Baudar Road , Vijayawada-520010 (AP) Tele/fax: 0866-2473351 Email: ap.nhb@gov.in, avanishk.sharma79@nhb.gov.in
2	Assam	National Horticulture Board Chhibber House, 4th Floor, Dispur P.O., Guwahati-781 005 Tele/Fax :0361-2343719, 2340695 E-mail : assam.nhb@gov.in, navnitab.mahanta69@nhb.gov.in
3	Bihar	National Horticulture Board Verma Centre, Room No 501, 502, 5th Floor, Boring Canal Road, Patna-800 001, Tele/Fax :0612-2541218, 2541128 E-mail : bihar.nhb@gov.in, ss.purti82@nhb.gov.in
4	Chandigarh	National Horticulture Board S.C.O. 85, 2nd Floor, Sector - 40-C Chandigarh-160 047 Tele/Fax :0172-2625249, 2625269 E-mail : chd.nhb@gov.in, sk.dubey76@nhb.gov.in
5	Chhattisgarh	National Horticulture Board H. No. 42, First Floor, Jal Vihar Colony, Near Rotary Club of India, Telibandha Raipur-492001 Tele/Fax :0771-2423992 E-mail : cg.nhb@gov.in, ss.purti82@nhb.gov.in
6	Delhi	National Horticulture Board 19-22, (Garage) Krishi Bhawan New Delhi-110001 Tele/Fax 011-23097015, 23073019 E-mail : delhi.nhb@gov.in, pawan.kr2047@nhb.gov.in
7	Gujarat	National Horticulture Board 416 Devnandan, Opp. Sanyas Ashram, Ellis Bridge, Ashram Road, Ahmedabad-380006 (Gujarat) Tele/Fax :079-29705413, 26585413 E-mail : gj.nhb@gov.in, ravindras.rana64@nhb.gov.in
8	Himachal Pradesh	National Horticulture Board HPMC, 2nd Floor, Nigam Vihar, Shimla-171 002, Tele/Fax: 0177-2622908/2623801 E-mail : hp.nhb@gov.in, sk.dubey76@nhb.gov.in
9	Jammu & Kashmir (Srinagar)	National Horticulture Board Horticulture Complex Rajabagh Srinagar-190008 Tele Fax 0191-2474349/2474112 E-mail : jk.nhb@gov.in, sansar.ahamed69@nhb.gov.in
10	Jammu & Kashmir (Jammu)	National Horticulture Board Hall No 307, A-2, 3rd Floor South Block, Bahu Plaza Rail Head Complex, Jammu-180 004 Tele/Fax : 0191-2474349, 2474112 E-mail: jk.nhb@gov.in, sansar.ahamed69@nhb.gov.in

11	Jharkhand	National Horticulture Board Laxmi Niwas, Krishi Bhawan, Kankey Road, Ranchi-834 008 Tele/Fax : 0651-2230132,2233832 E-mail : jh.nhb@gov.in, ss.purti82@nhb.gov.in
12	Karnataka	National Horticulture Board No.14/43, 2nd Floor, 1 & 2 Stage Industrial Suburb, Tumkur Road, Yeshwantpur, Bangalore-560 022 Tele/Fax 080- 23371935, 23374149 E-mail : ktk.nhb@gov.in, b.raja77@nhb.gov.in
13	Kerala	National Horticulture Board No. UR-10, Uppalam Road, Statue, Thiruvananthapuram-695001 Tele/ Fax : 0471-2470505, 2470506 E-mail : kerala.nhb@gov.in, b.raja77@nhb.gov.in
14	Madhya Pradesh (Bhopal)	National Horticulture Board R-24, 2nd Floor, Near Hindustan Times MP Nagar, Zone-1, Bhopal – 462011 Tele/Fax :0755 –2761741 Email: mp.nhb@gov.in, anilkumar.2025@nhb.gov.in
15	Madhya Pradesh (Gwalior)	National Horticulture Board Agriculture Campus, Opposite Mela Ground, Race Course Road, Gwalior-474002 Ph. 0751-2930606 Email : gwlr.nhb@gmail.com, anilkumar.2025@nhb.gov.in
16	Maharashtra (Navi Mumbai)	National Horticulture Board Room No. 317, 4th Floor Central Facility Building, APMC Fruit Market Complex, Sector-19, Turbhe Vashi, Navi Mumbai- 400703 Tele/Fax 022-27830107 E-mail : mh.pune.nhb@gov.in, pawan.kr2047@nhb.gov.in
17	Maharashtra (Nagpur)	National Horticulture Board 401, 4th Floor, Lotus Plaza, Near Lakshmi Bhavan, Old Post Office Road. Gokulpeth, Nagpur-440 010 Tele/Fax: 0712-2525030, 2523110 E-mail : mh.ngp.nhb@gov.in, satishk.sharma66@nhb.gov.in
18	Maharashtra (Nashik)	National Horticulture Board S. C. Panwar Market Yard, Commercial Complex No. 1, Peth Road Panchwati, Nashik-422003 Tele/Fax : 0253-2974558, 2533715 E-mail : mh.nsk.nhb@gov.in, satishk.sharma66@nhb.gov.in
19	Maharashtra (Pune)	National Horticulture Board MCAER Building 132/B, Bhambhurda Bhosale Nagar, Pune-411 007 Tele/Fax : 020-25528582/83 E-mail : mh.pune.nhb@gov.in, pawan.kr2047@nhb.gov.in
20	Odisha	National Horticulture Board N-1/7, I.R.C. Village, Nayapalli, Opp. CRPF Gate Bhubaneshwar- 751015 Tele/Fax :0674-2558134,2559620 Email : odisha.nhb@gov.in, navnitab.mahanta69@nhb.gov.in
21	Rajasthan	National Horticulture Board Second Floor, Modak Priyay, Plot No. 16 & 17, Near New, Atish Market, Shipra Path, Mansarovar, Jaipur 302 020 Tele/Fax :0141-2399405, 2390818 E-mail : rj.nhb@gov.in, ravindras.rana64@nhb.gov.in

22	Sikkim	National Horticulture Board Chang Choop Building, Near Nayuma Television, Tibet Road, Gangtok-737 101 Tele/Fax :03592-208453,220975 E-mail : sikkim.nhb@gov.in, navnitab.mahanta69@nhb.gov.in
23	Tamilnadu	National Horticulture Board Module No.37, 2nd Floor, SIDCO Readymade Garment Complex, Industrial Estate Guindy, Chen- nai-600 032 Tele/Fax : 044-22501151/22500965 E-mail : tn.nhb@gov.in, b.raja77@nhb.gov.in
24	Telengana	National Horticulture Board No.2, 5-9-195, William Niwas, Chirag Ali Lane, ABIDS, Hyderabad-500 001 Tele/Fax : 040-23200806, 23201140 E-mail : ts.nhb@gov.in, avanishk.sharma79@nhb.gov.in
25	Uttar Pradesh (Lucknow)	National Horticulture Board C/o, Director of Horticulture 2, Sapru Marg Udyan Bhawan Lucknow-226001 Tele/Fax 0522-2623374/2202420,4072096 E-mail: up.lko.nhb@gov.in, ishwarn.sahai67@nhb.gov.in
26	Uttar Pradesh (Varanasi)	National Horticulture Board 2nd floor, C.T.O Building Taar Ghar (BSNL) Cantt, Nadesar, Varanasi - 221002. Phone 0542-2508756 E-mail : up.var.nhb@gov.in, ishwarn.sahai67@nhb.gov.in
27	Uttar Pradesh (Baraut)	National Horticulture Board C/o Regional Institute of Rural Development, Delhi-Saharanpur Road, Baraut- 250611 E-mail : up.var.nhb@gov.in, ishwarn.sahai67@nhb.gov.in
28	Uttarakhand	National Horticulture Board Naveen Sabzi Mandi Ashthal, Krishi Utpadan Mandi Samiti, Niranjanpur, Dehradun- 248171 Tele/Fax 0135-2761922, 2762767, 2725517 E-mail : uk.nhb@gov.in, Meenakshi.tiwari82@nhb.gov.in
29	West Bengal	National Horticulture Board Mayukh Bhawan, 2nd Floor, Salt Lake, Sector-II Kolkata -700091 Tele/Fax: 033-29861049, 23211259 E-mail : wb.nhb@gov.in, navnitab.mahanta69@nhb.gov.in

ANNUAL ACCOUNTS OF THE NATIONAL HORTICULTURE BOARD FOR THE YEAR 2023-24



भारतीय लेखापरीक्षा तथा लेखा विभाग
कार्यालय प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय), चण्डीगढ़

Indian Audit & Accounts Department
Office of The Principal Director of Audit (Central),
Chandigarh



सं०/No: पी. डी. ए. (सी)/के. व्यय/SAR NHB-2023-24/ 528

दि०/Dated: 07-10-2024.

मेना मे

सचिव,
कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
(Ministry of Agriculture and Farmers Welfare),
भारत सरकार,
कृषि भवन,
नई दिल्ली - 110001

विषय: National Horticulture Board, Gurugram के वर्ष 2023-24 के लेखाओं पर पृथक
लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

महोदय/महोदया,

कृपया National Horticulture Board, Gurugram के वर्ष 2023-24 के लेखाओं पर पृथक
लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (Separate Audit Report) संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु
संलग्न पाएं। संसद में प्रस्तुत होने तक प्रतिवेदन को गोपनीय रखा जाए।

संसद में प्रस्तुत करने के उपरांत प्रतिवेदन की पांच प्रतियाँ इस कार्यालय को भी भेज दी
जाएँ।

कृपया इस पत्र की पावती भेजें।

संलग्न: उपरोक्त अनुसार

भवदीय,

- हस्ता-

प्रधान निदेशक

✓ उपरोक्त की प्रतिलिपी वर्ष 2023-24 की पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्रति सहित आवश्यक
कार्यवाही हेतु Managing Director, National Horticulture Board, 85, Institutional Area,
Sector 18, Gurugram - 122015 (Haryana) को प्रेषित की जाती है।


भवदीय,
उप निदेशक (केन्द्रीय व्यय)

Separate Audit Report of the Comptroller and Auditor General of India on the Accounts of the National Horticulture Board, Gurugram (Haryana) for the year ended 31 March 2024

We have audited the Balance Sheet of the National Horticulture Board, Gurugram as at 31 March 2024, Income & Expenditure Account and Receipts & Payments Account for the year ended on that date under Section 20(1) of the Comptroller & Auditor General's (Duties, Powers & Conditions of Service) Act, 1971. The audit has been entrusted from 2022-23 to 2026-27. National Horticulture Board has 29 operational accounting branch units, out of which 10 branch units were audited during the year 2023-24. These financial statements are the responsibility of the Board's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

2. This Separate Audit Report contains the comments of the Comptroller & Auditor General of India (CAG) on the accounting treatment only with regard to classification, conformity with the best accounting practices, accounting standards and disclosure norms, etc. Audit observations on financial transactions with regard to compliance with the Law, Rules & Regulations (Propriety and Regularity) and efficiency-cum-performance aspects, etc., if any, are reported through Inspection Reports/CAG's Audit Reports separately.

3. We have conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examining, on a test basis, evidences supporting the amounts and disclosure in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

4. Based on our audit, we report that:

- i) We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;
- ii) The Balance Sheet, Income & Expenditure Account and Receipts & Payments Account dealt with by this report have been drawn up in the format approved by the Ministry of Finance, Government of India.
- iii) In our opinion, proper books of accounts and other relevant records have been maintained by National Horticulture Board, Gurugram in so far as it appears from our examination of such books.

iv) We further report that:

A. Grants in Aid

The position of Grant-in-Aid for the year 2023-24 is as under:

(Amount: ₹ in lakh)

Name of Grant	NHB	NHM	NBM	NMS	Total
Opening Balance as on 1.04.2023	6244.86	54.44	12.75	46.17	6358.22
Unspent balance received	287.36	1.80	0.10	1.18	290.44
Grants received during 2023-24	23525.00	375.00	-	-	23900.00
Total Grant available	30057.22	431.24	12.85	47.35	30548.66
Less: Expenditure incurred/utilized	25987.54	322.64	12.41	6.73	26329.32
Less: Funds refunded to the Government	2230.81	2.24	0.29	-	2233.34
Closing balance as on 31.03.2024	1838.87	106.36	0.15	40.62	1986.00

B. Management letter

Deficiencies which have not been included in the Audit report have been brought to the notice of the Board's management through a management letter issued separately for remedial/corrective action.

- v) Subject to our observations in the preceding paragraphs, we report that the Balance Sheet, Income & Expenditure Account and Receipts & Payments Account dealt with by this report are in agreement with the books of accounts.
- vi) In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said financial statements read together with the Accounting Policies and Notes on Accounts, and subject to the significant matters stated above and other matters mentioned in Annexure to this Audit Report give a true and fair view in conformity with accounting principles generally accepted in India:
 - a. In so far as it relates to the Balance Sheet, of the state of affairs of National Horticulture Board, Gurugram as at 31 March 2024; and

- b. In so far as it relates to Income & Expenditure Account, of the deficit for the year ended on that date.

For and on behalf of the C & AG of India



Principal Director of Audit
(Central), Chandigarh

Place: Chandigarh

Date: 07-10-24

Annexure to Separate Audit Report

1. Adequacy of Internal Audit System

Internal Audit wing was not established, however, internal audit is being conducted by a firm of Chartered Accountants.

2. Adequacy of Internal Control System

The internal control is considered to be inadequate in view of the following:

- i. The Board has not prepared its accounting manual.
- ii. As per Rule 7 of Rules and Regulation of National Horticulture Board, the Board of Directors shall meet at least once in every year which shall be called the Annual General Meeting of the Board of Directors. Rule 10 further provides that the Managing Committee shall meet at least once in every three months and otherwise at such times and at such places as may be determined by the Chairman or the Managing Committee. However, no meeting of Governing Body/Board of Director was held and only one meeting of Managing Committee was held during the year 2023-24 which is in contravention of Rules and Regulations of the Board.
- iii. Follow up report against each point of the Internal Audit Report had not been submitted by the Gwalior Centre.

3. Physical verification of Fixed Assets other than Library Books

Physical verification of Fixed Assets was conducted for the year 2023-24 except in case of Gwalior Centre.

4. Physical Verification of Library Books

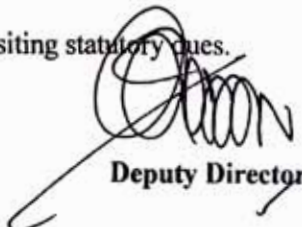
The physical verification of Library Books was conducted.

5. Physical Verification of Inventory

Physical verification of inventory was conducted for the year 2023-24 except in case of Gwalior Centre.

6. Regularity in payment of Statutory Dues

As per books of accounts, the Board was regular in depositing statutory dues.



Deputy Director

NATIONAL HORTICULTURE BOARD GURUGRAM

BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2024

(Amount in ₹)

PARTICULARS	SCH No.	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
CORPUS/ CAPITAL FUND AND LIABILITIES			
CORPUS / CAPITAL FUND	1	2,142,224,947	2,412,837,386
RESERVES AND SURPLUS	2	-	-
EARMARKED/ ENDOWMENT FUNDS	3	14,714,008	11,336,088
SECURED LOANS AND BORROWINGS	4	-	-
UNSECURED LOANS AND BORROWINGS	5	-	-
DEFERRED CREDIT LIABILITIES	6	-	-
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS	7	359,684,936	390,638,623
TOTAL		2,516,623,891	2,814,812,097
ASSETS			
FIXED ASSETS	8	34,007,875	33,787,460
INVESTMENTS- FROM EARMARKED/ ENDOWMENT FUNDS	9	-	-
INVESTMENTS - OTHERS	10	-	-
CURRENT ASSETS, LOANS & ADVANCES	11	2,482,616,016	2,781,024,637
MISCELLANEOUS EXPENDITURE (To the extent not written off or adjusted)		-	-
TOTAL		2,516,623,891	2,814,812,097
SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES	24		
CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS	25		

Place : GURUGRAM

Date : 19.06.2024

Sd/-

Managing Director

Sd/-

Deputy Managing Director

Sd/-

Joint Director
(F&A)

NATIONAL HORTICULTURE BOARD GURUGRAM

INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2024

(Amount in ₹)

PARTICULARS	SCH No.	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
INCOME			
Income from Sale & Services	12	15,348,003	20,495,536
Grants/ Subsidies	13	2,352,500,000	2,183,000,000
Fees/ Subscriptions	14	-	-
Income from Investments (Income on Invest. From earmarked/ endow. Funds transferred to funds)	15	-	-
Income from Royalty, Publication etc.	16	-	-
Interest Earned	17	158,932,867	118,696,211
Other Income	18	10,149,917	3,968,876
Increase/ (Decrease) in stock of finished goods and WIP	19	-	-
TOTAL (A)		2,536,930,787	2,326,160,623
EXPENDITURE			
Establishment expenses	20	90,365,096	89,870,308
Other Administrative Expenses etc.	21	24,443,179	22,343,858
Expenditure on Grants, Subsidies etc.	22	2,456,775,137	1,980,382,759
Interest	23	-	-
Expenditure for Application Fund & Scheme Brochure	12A	28,974,866	32,865,874
Depreciation (Net total at the year end - corresponding to Sch 8)	8	5,330,999	5,248,401
TOTAL (B)		2,605,889,277	2,130,711,200
Balance being excess of Income over Expenditure (A - B)			
- For the Funds other than Cost of application & Processing Fee		(55,331,627)	207,819,761
- Cost of application & processing Fee		(13,626,863)	(12,370,338)
Transfer to Provision for Doubtful Debts(Reverse)			
BALANCE BEING SURPLUS/ (DEFICIT) CARRIED TO CORPUS/CAPITAL FUND FOR OTHER THAN APPLICATION FORM AND SCHEME BROCHURE AMOUNT		(55,331,627)	207,819,761
BALANCE BEING SURPLUS/ (DEFICIT) CARRIED TO CORPUS/CAPITAL FUND FOR APPLICATION & PROCESSING FEE		(13,626,863)	(12,370,338)
SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES	24		
CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS	25		

Place : GURUGRAM

Date : 19.06.2024

Sd/-

Managing Director

Sd/-

Deputy Managing Director

Sd/-

Joint Director
(F&A)

NATIONAL HORTICULTURE BOARD

RECEIPTS AND PAYMENT ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31.3.2024

(Amount in ₹)

RECEIPTS		2023-24	2022-23	PAYMENTS		2023-24	2022-23
		Current Year	Previous Year			Current Year	Previous Year
I. <u>Opening Balances</u>				I. <u>Expenses (from the Budget of Mission Management & Administrative Expenses)</u>			
a) Cash in hand		126,061	75,829	a) Establishment Expenses - HO		109,607,814	93,828,451
b) Bank Balances				b) Administrative Expenses - HO		23,729,589	22,539,879
i) in current accounts		-	-				
ii) in deposit accounts		1,294,700,000	1,233,800,000	II. <u>Payments made against funds for Various Schemes</u>			
iii) in saving accounts		321,481,646	567,968,125		NHB Schemes		
iv) in deposit accounts (processing fee / Cost of Application form & scheme broucher A/c)		433,400,000	427,900,000	i) Development of Commercial Horticulture through Production and Post - Harvest Management			
				-Subsidy	1,070,898,200		817,041,548
II. <u>Grants Received</u>				- Legal & Professional Charges	691,000		174,000
a) From Government of India				Total	1,071,589,200	1,071,589,200	
i) For NHB schemes		2,852,500,000	1,783,000,000	ii) Capital Investment Subsidy for Constrn/Modernization/ Expansion of Cold Storage and Storages for Hort. Produce	1,220,971,600	1,220,971,600	1,026,537,500
- From NHB Budget				iii) Technology Development and Trfr for Promotion of Horticulture	10,868,887	10,868,887	7,333,644
ii) For NHM schemes :				iv) Market Information Services for Horticulture Crops	-	-	168,700

NATIONAL HORTICULTURE BOARD

RECEIPTS AND PAYMENT ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31.3.2024

(Amount in ₹)

RECEIPTS	2023-24		2022-23		PAYMENTS	2023-24		2022-23	
	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year		Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year
- For TSG component	37,500,000	26,000,000			v) Horticulture Promotion Services/Expert Services	32,454,861	26,062,877		
iii) For NBM schemes					vi) Mission Management & Administrative Expenses				
	-	1,388,849			a) Establishment Expenses - Centres	58,706,269	60,254,176		
					b) Administrative Expenses - Centres	30,797,135	29,501,989		
b) From State Government	-	-			Total	89,503,404	89,503,404		
III. Income on Investments from					vii) National Bamboo Mission (Support Services)	1,240,566	1,381,354		
a) Earmarked/Endow. Funds	-	-			viii) National Horticulture Mission (TSG)	32,264,445	26,500,938		
					ix) National Mission on Saffron	6,72,600	-		
b) Own Funds (other Investment)	-	-			x) Expenses For International Hort. Expo Floriade 2022	-	5,766,567		
					xi) Clean Plant Programme	22,550,000	-		
					xii) Cluster Development Programme	13,692,800	-		
IV. Interest Received									
a) On Bank deposits & Saving Bank Accounts for									
-NHB Funds	121,293,474	86,944,853			III. Investments & Deposits made				
-Application Funds	9,980,263	24,738,462			a) Out of Earmarked/Endowment funds				

NATIONAL HORTICULTURE BOARD

RECEIPTS AND PAYMENT ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31.3.2024

(Amount in ₹)

RECEIPTS	2023-24	2022-23	PAYMENTS	2023-24	2022-23
	Current Year	Previous Year		Current Year	Previous Year
-NHM Funds	173,186	123,691	b) Out of Own funds (Investments-Others)		
-NBM Funds	16,180	28,603			
-National Mission on Saffron Funds	120,608	124,941	IV. Expenditure on Fixed Assets & Capital Work-in-Progress		
			a) Purchase/Additions to Fixed Assets		
b) Loans, Advances etc. (Penal Intt)	6,548,510	1,800,221	i) From the Budget of Mission Management & Administrative Expenses - HO	2,965,265	3,344,558
			ii) From the Budget of Mission Management & Administrative Expenses - Centre	820,871	629,952
V. Other Income (Specify)					
Rent from IOB	1,325,678	761,556	b) Expenditure on Capital Work- in-Progress	-	-
Cost of Application form & scheme brochure	15,348,003	20,495,534			
Misc. Receipts	668,191	304,369	V. Refund of Surplus money/ Loan		
Earnest Money Deposit - NHB	2,075,000	225,000	a) To the Government of India	-	-
Security Deposit	-	6,345	- Department of Agricultural & Coop		
			- from Internal Accruals	223,081,040	30,175,793

NATIONAL HORTICULTURE BOARD

RECEIPTS AND PAYMENT ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31.3.2024

(Amount in ₹.)

RECEIPTS	2023-24	2022-23	PAYMENTS	2023-24	2022-23
	Current Year	Previous Year		Current Year	Previous Year
			- from Grant in Aid	252,830	137,555
VI. Amount Borrowed	-	-	- to MoFPI	-	-
			b) To the State Government	-	
VII. Any other receipts (give details)			c) To the other providers of funds	-	
a) Recovery of advances (Incl. Intt.)	427,747	167,921			
b) Recovery of Loan under NHB Scheme	2,231,803	1,199,779	VI. TDS DEDUCTED AT SOURCE BY BANK	132,568	84,142
c) Unspent funds received back from beneficiaries under various schemes to whom funds were released in previous years under NHB Schemes			VII. Other Payments (Specify)		
			Advance to Staff	-	-
			Earnest money refunded - NHB	-	350,000
- For NHB Schemes	13,293,784	48,639,795	Earnest money refunded - Saffron Park	-	-
- For NHM	-	118,879	Prepaid Expenses	-	193,074
d) Recovery from Others	66,682		Expenditure on behalf of NCCD, DWD & NOVOD Board		846,715
e) Receipt of TDS/GST	265,647	522,484	Security Deposit	1,721,381	-
			Amount Receivable	-	42,104
VIII. REFUND OF TDS DEDUCTED BY BANK - NHB	6,371,523	5,109,680	Payment to others	-	-

NATIONAL HORTICULTURE BOARD

RECEIPTS AND PAYMENT ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31.3.2024

(Amount in ₹)

RECEIPTS	2023-24	2022-23	PAYMENTS	2023-24	2022-23
	Current Year	Previous Year		Current Year	Previous Year
IX. REFUND OF TDS DEDUCTED BY BANK (Application Fee)	2,220,405	4,635,404	VIII. Payments from Cost of Application Form & Scheme brochure		
			- Payment to Contractual Data Entry Operators	14,192,962	15,258,884
			- Scrutiny fees cold storage	2,345,646	2,025,938
X. DWD	-	148,443	- Travelling Expenses & consultancy fees of Experts	390,868	318,162
			- Payment for Office & Advertisement Expenses	974,575	1,533,716
			- AMC Website & software	2,474,720	4,080,748
			- Bank Charges	284,102	422,986
XI. NCCD		4,527,138	- Pay and Allowances (30%)	7,649,771	9,436,062
			- Payment for Leasehold shops	610,573	643,926
			- Fixed Assets	1,765,278	4,361,456
			- Legal & Professional Charges	11,800	70,800
			IX. Closing Balances		
			a) Cash in Hand		
			At Head Office	12,427	

NATIONAL HORTICULTURE BOARD

RECEIPTS AND PAYMENT ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31.3.2024

(Amount in ₹)

RECEIPTS	2023-24 Current Year	2022-23 Previous Year	PAYMENTS	2023-24 Current Year	2022-23 Previous Year
			a) At NHB Centres	42,321	54,748
			b) Bank Balances		
			i) In current accounts		
			ii) In deposit accounts (NHB's internal accrual amount)		
			iii) in deposit accounts (processing fee Amount)/Cost of Application form & Scheme broucher		
			iv) in Saving accounts		
			- At NHB Centres - Imprest amount	13,243,803	
			- At Head Office		
			- For NHB Schemes & internal accruals	360,983,971	
			- For Cost of Application form & Scheme brochure	14,257,450	
			- For NHM Schemes	5,019,893	
			- For NBM Schemes	13,119	
			- For National Mission on Saffron	4,044,670	
			- For NHM Delhi centre	5,594,371	
			- For NBM Delhi centre	2,349	
			Total	5,122,134,391	4,240,755,901
Total	5,122,134,391	4,240,755,901		5,122,134,391	4,240,755,901

Place : GURUGRAM

Date : 19.06.2024

Sd/-
Managing Director

Sd/-
Deputy Managing Director

Sd/-
Joint Director (F&A)

Receipt & Payment Account Establishment Expenses for the year 2023-24

(Amount in ₹)

Sr. No.	Particulars	2023-24	2022-23
1	EPF Board' contribution	12,171,934	12,093,853
2	Leave Encashment	12,731,635	10,046,431
3	LTC Claim	118,756	262,127
4	Medical Reimbursement	8,673,500	3,689,734
5	Pay & Allowance	53,153,444	53,966,823
6	Staff Welfare	450,497	388,824
7	Bonus & other allowance	40,800	16,730
8	Children Education Allowance	1,143,000	692,160
9	Payment to consultant	1,897,642	1,437,206
10	Gratuity Paid During The Year	19,226,606	11,234,563
	TOTAL	109,607,814	93,828,451

Administrative Expenses for the year 2023-24

(Amount in ₹)

Sr. No.	Particulars	2023-24	2022-23
1	Electricity & Water Charges	1,436,204	1,416,290
2	Generator Running & Maintenance	762,823	721,109
3	Insurance	50,780	29,891
4	Repair & Maintenance	1,116,002	1,564,587
5	Security Charges & House Keeping Exp.	8,829,172	6,922,149
6	Vehicle Running & Maintenance	186,421	139,676
7	Postage, Telephone & Communication Charges	474,207	549,295
8	Printing & Stationary	2,131,008	2,183,426
9	Conveyance & Travelling	3,798,768	2,749,680
10	Newspaper & Periodicals	24,922	19,060
11	Office Expenses	448,885	488,407
12	Expenses on Meeting & Entertainment	166,801	188,153
13	Auditor Remuneration & Fees	752,865	1,584,340
14	Legal & Professional Charges	2,603,560	2,468,020
15	Advertisement & Publicity	57,064	274,626
16	Photocopy Charges	734,080	986,633
17	Property Tax	-	147,015
18	Short & Expenses	10	-
19	Bank Charges	99	4,341
20	Rajbhasha Promotion Expense	155,918	103,180
	TOTAL	23,729,589	22,539,879

**NATIONAL HORTICULTURE BOARD
GURUGRAM
SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET
AS AT MARCH 31, 2024**

SECHDULE-1

(Amount in ₹)

CORPUS/ CAPITAL FUND:	CURRENT YEAR		PREVIOUS YEAR	
Balance as at the beginning of the year				
a. For the Funds other than Processing Fee and Application form account	1,939,408,632		1,746,019,540	
Add/ (Deduct): Balance of net income/ (expenditure) transferred from the Income and Expenditure Account	(55,331,627)		207,819,761	
Add: Reversal/(cancel) of Stale Cheques				
Add: Unspent/excess grant of prior years received back (at centre)				
Add: Unspent/excess grant of prior years received back(at Head Office)	13,293,784		48,639,795	
Less: Funds Remitted to Government of India	199,505,795		14,570,676	
Less: Interest Payable to DA & FW	15,441,937		23,575,245	
Less: Interest earned on Processing & Application fee	32,809,968	1,649,613,088	24,924,544	1,939,408,632
b. For Processing & Application Fee Account	473,428,754		460,874,548	
Add : Income tax refund/TDS			-	
Add : Other Recoverable			-	
Add : Interest earned on Processing & Application fee	32,809,968		24,924,544	
Add/ (Deduct): Balance of net income/ (expenditure) transferred from the Income and Expenditure Account	13,626,863	492,611,859	12,370,338	473,428,754
BALANCE AT THE YEAR END		2,142,224,947		2,412,837,386

Place : GURUGRAM

Date : 19.06.2024

Sd/-

Managing Director

Sd/-

Deputy Managing Director

Sd/-

Joint Director
(F&A)

SCHEDULE -2

(Amount in ₹)

RESERVES AND SURPLUS :	CURRENT YEAR		PREVIOUS YEAR	
1. Capital Reserve :				
As per last Account	-		-	
Additions during the year				
Less: Deductions during the year		-		-
2. Revaluation Reserve :				
As per last Account	-		-	
Additions during the year				
Less: Deductions during the year				-
3. Special Reserves :				
As per last Account	-		-	
Additions during the year				
Less: Deductions during the year		-		-
4. General Reserve :				
As per last Account	-		-	
Additions during the year				
Less: Deductions during the year		-		-
TOTAL		-		-

Place : GURUGRAM

Date : 19.06.2024

Sd/-

Managing Director

Sd/-

Deputy Managing Director

Sd/-

Joint Director
(F&A)

**NATIONAL HORTICULTURE BOARD
GURUGRAM
SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET
AS AT MARCH 31, 2024**

SCHEDULE -3

(Amount in ₹)

EARMARKED/ ENDOWMENT FUNDS	FUND-WISE BREAK-UP			TOTAL	
	NHM Scheme	NBM Scheme	National Mission on Saffron	Current Year	Previous Year
a. Opening balance of the funds	5,444,026	1,274,967	4,617,095	11,336,088	11,589,439
Opening balance of the funds-EMD					
b. Additions to the Funds					
i. Grants/ Donations	37,500,000			37,500,000	27,388,849
ii. Income from funds (Interest on Saving a/c)	179,845	10,057	118,459	308,361	258,768
iii. Unspent funds of previous year received back					118,879
TOTAL (a + b)	43,123,871	1,285,024	4,735,554	49,144,449	39,355,935
c. Utilization/Expenditure towards objectives of funds					
i. Capital Expenditure:					
- Fixed Assets	171,995	269,602	-	441,597	1,350,825
- Grants released for projects	-	-	-	-	-
	171,995	269,602	-	441,597	1,350,825
ii. Revenue Expenditure:					
- Salaries, Wages and allowances etc.	10,624,148	537,374	-	11,161,522	10,011,804
- Bank Charges	270	-	-	270	595
- Other Administrative expenses - TSG	21,468,032	433,590	672,600	22,574,222	16,519,068
- Refund to DA & FW	223,881	28,949	-	252,830	137,555
Total	32,316,331	999,913	672,600	33,988,844	26,669,022
Grant Total	32,488,326	1,269,515	672,600	34,430,441	28,019,847
NET BALANCE AS AT THE YEAR END (a+b-c)	10,635,545	15,509	4,062,954	14,714,008	11,336,088

Note: Above net balances includes accrued interest.

Place : GURUGRAM

Sd/-

Sd/-

Sd/-

Date : 19.06.2024

Managing Director

Deputy Managing Director

Joint Director
(F&A)

SCHEDULE - 4

(Amount in ₹)

SECURED LOANS AND BORROWINGS:	CURRENT YEAR		PREVIOUS YEAR	
1. Central Government		-		-
2. State Government (Specify)		-		-
3. Financial Institutions				
a. Term Loans		-		-
b. Interest accrued and due		-		-
4. Banks:				
a. Term loans				
- Interest accrued and due		-		-
b. Other loans (specify)				
- Interest accrued and due		-		-
5. Other Institutions and Agencies		-		-
6. Debentures and Bonds		-		-
7. Others (Specify)		-		-
TOTAL		-		-

SCHEDULE - 5

(Amount in ₹)

UNSECURED LOANS AND BORROWINGS:	CURRENT YEAR		PREVIOUS YEAR	
1. Central Government		-		-
2. State Government (Specify)		-		-
3. Financial Institutions				
a. Term Loans		-		-
b. Interest accrued and due		-		-
4. Banks:				
a. Term loans				
- Interest accrued and due		-		-
b. Other loans (specify)				
- Interest accrued and due		-		-
5. Other Institutions and Agencies		-		-
6. Debentures and Bonds		-		-
7. Others (Specify)		-		-
TOTAL		-		-

Note: Amounts due within one year

Place : GURUGRAM

Date : 19.06.2024

Sd/-

Managing Director

Sd/-

Deputy Managing Director

Sd/-

Joint Director
(F&A)

SCHEDULE - 6

(Amount in ₹)

DEFERRED CREDIT LIABILITIES:	CURRENT YEAR		PREVIOUS YEAR	
a. Acceptances secured by hypothecation of capital equipment and other assets		-		-
b. Others		-		-
TOTAL		-		-

Note: Amounts due within one year

SCHEDULE -7

(Amount in ₹)

CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS:	CURRENT YEAR		PREVIOUS YEAR	
A. CURRENT LIABILITIES				
1. Acceptances		-		-
2. Sundry Creditors:				
a. For Goods	-		-	
b. Others	-	-	-	-
3. Advances Received				
4. Interest accrued but not due on:				
a. Secured loans/ borrowings	-		-	
b. Unsecured loans/ borrowings	-	-	-	
5. Statutory Liabilities:				
a. Overdue	-		-	-
b. Others	-	-	-	
6. Other current liabilities		38,037,166		47,550,471
TOTAL (A)		38,037,166		47,550,471
B. PROVISIONS				
1. For Taxation				
2. Gratuity	78,302,379		89,829,085	
3. Superannuation/ Pension				
4. Accumulated leave Encashment	52,327,391		60,009,264	
5. Trade Warranties/ Claims				
6. Others - Doubtful Debts	191,018,000	321,647,770	193,249,803	343,088,152
TOTAL (B)		321,647,770		343,088,152
TOTAL (A+B)		359,684,936		390,638,623

Place : GURUGRAM

Date : 19.06.2024

Sd/-

Managing Director

Sd/-

Deputy Managing Director

Sd/-

Joint Director
(F&A)

**NATIONAL HORTICULTURE BOARD
GURUGRAM**

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2024

SCHEDULE - 8

(Amount in ₹)

DESCRIPTION	GROSS BLOCK				DEPRECIATION			NET BLOCK			
	Cost As at beginning of the Year	Additions during the year		Deductions/ Adjustment	Cost As at the end of the Year	As at beginning of the Year	During the year	Deductions/ Adjustment	Total up to the year End	Current year end	Previous year end
		Before 30th sep.	After 30th sep.								
A. FIXED ASSETS											
(I) FROM GRANT-IN-AID											
LAND:											
a. Freehold	3,139,088	-	-	-	3,139,088	-	-	-	-	3,139,088	3,139,088
b. Leasehold	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BUILDINGS:											
a. On freehold land	22,871,066	-	-	-	22,871,066	20,318,446	255,256	-	20,573,702	2,297,304	2,552,560
b. On leasehold land	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c. Ownership Flats/ premises	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d. Superstructures on land	162,742	-	-	-	162,742	143,945	1,880	-	145,825	16,917	18,797
PLANT											
MACHINERY & EQUIPMENTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VEHICLES	822,181	-	-	-	822,181	720,941	15,186	-	736,127	86,054	101,240
FURNITURE & FIXTURES	18,614,594	73,390	370,696	246,559	18,812,121,	13,453,947	538,238	209,545	13,782,640	5,029,481	5,160,647
OFFICE EQUIPMENT	22,522,321	962,879	923,823	296,536	24,112,487	17,431,414	974,449	277,161	18,128,702	5,983,785	5,090,907
COMPUTER PERIPHERALS	19,871,955	575,656	888,841	107,377	21,229,075	17,544,435	1,338,911	107,057	18,776,289	2,452,786	2,327,520
LIBRARY BOOKS	2,495,286	32,993	14,567	-	2,542,846	2,383,599	60,785	-	2,444,384	98,462	111,687



राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड
NATIONAL
HORTICULTURE BOARD

DESCRIPTION	GROSS BLOCK				DEPRECIATION			NET BLOCK			
	Cost As at beginning of the Year	Additions during the year		Deductions/ Adjustment	Cost As at the end of the Year	As at beginning of the Year	During the year	Deductions/ Adjustment	Total up to the year End	Current year end	Previous year end
		Before 30th sep.	After 30th sep.								
TUBEWELLS & WATER SUPPLY	85,040	-	-	85,040	84,924	17	-	-	84,941	99	116
TOTAL	90,584,213	1,644,918	2,197,927	93,776,586	72,081,651	3,184,722	593,763	-	74,672,610	19,103,976	18,502,562
(II) FROM PROCESSING FEE AND APPLICATION FORM & SCHEME BROCHURE FEE AMOUNT											
BUILDINGS:											
a. On freehold land	2,296,404	-	-	2,296,404	1,836,871	45,953	-	-	1,882,824	413,580	459,533
b. On Leasehold Shops	2,430,404	-	-	2,430,404	1,582,588	226,084	-	-	1,808,672	621,732	847,816
FURNITURE & FIXTURES	9,332,946	-	1,102,206	10,435,152	1,340,292	854,376	-	-	2,194,668	8,240,484	7,992,654
ELECTRICAL FITTINGS	4,568,835	-	663,072	5,231,907	652,575	424,780	-	-	1,077,355	4,154,552	3,916,260
SOFTWARE NURSERY PORTAL	2,950,000	-	-	2,950,000	1,888,000	424,800	-	-	2,312,800	637,200	1,062,000
NETWORKING EQUIPMENT	43,424	-	-	43,424	27,792	6,253	-	-	34,045	9,379	15,632
OFFICE EQUIPMENT	1,190,288	-	-	1,190,288	260,804	139,423	-	-	400,227	790,061	929,484
SOLAR PANNEL	2,625,322	-	-	2,625,322	2,563,803	24,608	-	-	2,588,411	36,911	61,519
TOTAL	25,437,623	-	1,765,278	27,202,901	10,152,725	2,146,277	-	-	12,299,002	14,903,899	15,284,898
TOTAL OF CURRENT YEAR	116,021,836	1,644,918	3,963,205	120,979,487	82,234,376	5,330,999	593,763	-	86,971,612	34,007,875	33,787,460
TOTAL OF PREVIOUS YEAR	111,201,860	1,231,341	5,112,620	116,021,836	78,391,050	5,248,401	1,405,075	-	81,331,877	33,787,460	32,810,810
B. CAPITAL WORK IN PROGRESS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	116,021,836	1,644,918	3,963,205	120,979,487	82,234,376	5,330,999	593,763	-	86,971,612	34,007,875	33,787,460

Place : GURUGRAM

Date : 19.06.2024

**Sd/-
Managing Director**

Sd/-
Deputy Managing Director

Sd/-
Joint Director (F&A)

SCHEDULE -9

(Amount in ₹)

INVESTMENTS FROM EARMARKED/ ENDOWMENT FUNDS	CURRENT YEAR		PREVIOUS YEAR	
1. Government Securities		-		-
2. Other approved securities		-		-
3. Shares		-		-
4. Debentures and Bonds		-		-
5. Subsidiaries and Joint Ventures		-		-
6. Others (to be specified)		-		-
TOTAL		-		-

SCHEDULE -10

(Amount in ₹)

INVESTMENTS OTHERS	CURRENT YEAR		PREVIOUS YEAR	
1. Government Securities		-		-
2. Other approved securities		-		-
3. Shares		-		-
4. Debentures and Bonds		-		-
5. Subsidiaries and Joint Ventures		-		-
6. Others (to be specified)		-		-
TOTAL		-		-

Place : GURUGRAM

Date : 19.06.2024

Sd/-

Managing Director

Sd/-

Deputy Managing Director

Sd/-

Joint Director
(F&A)

SCHEDULE -11

(Amount in ₹)

CURRENT ASSETS, LOANS, ADVANCES	CURRENT YEAR		PREVIOUS YEAR	
A. CURRENT ASSETS				
1. Inventories:				
a. Stores and Spares	427,968		339,453	-
b. Stamps in hand	-		-	-
c. Stock in trade				-
- Finished goods	-		-	-
- Work in progress	-		-	-
- Raw Materials	-	427,968	-	339,453
2. Sundry Debtors:				-
a. Outstanding for a period exceeding six months	-		-	-
b. Others		-		-
3. Cash balances in hand (including cheques/ drafts etc)		54,748		126,061
4. Bank balances				-
a. With Scheduled banks:				-
- On Current Accounts				-
- On Deposit Accounts				-
Processing fee /Cost of Application form & Scheme brochure	440,400,000		433,400,000	-
NHB's internal accrual	1,389,700,000		1,294,700,000	-
In Saving accounts (Head Office)	389,915,823		310,745,860	-
- In Saving accounts -Imprest A/c (Centres)	13,243,803		10,735,786	-
- In Saving accounts-Subsidy A/c (Centres)	-		-	-
- In Saving accounts-Cost of application form & scheme broucher (centres)	-	2,233,259,627	-	2,049,581,646
b. With non-Scheduled banks:				-
- On current accounts	-		-	-
- On Deposit Accounts	-		-	-
- On Saving accounts	-		-	-
5. Post Office Savings Accounts		-		-
6. Grants in Transit				500,000,000
TOTAL (A)		2,233,742,343	-	2,550,047,160

SCHEDULE -11

(Amount in ₹)

CURRENT ASSETS, LOANS, ADVANCES	CURRENT YEAR		PREVIOUS YEAR	
B. LOANS, ADVANCES AND OTHER ASSETS				
1. Loans and Advances				
a. Staff	551,486		1,021,337	
b. Other Entities engaged in activities/ objectives similar to that of the Entity	-		-	
c. Others : Soft Loan under schemes of the Board				
- Considered good and recoverable				
- Doubtful	168,847,878		171,079,681	
		169,399,364		172,101,018
2. Advances and other amounts recoverables in cash or in kind or for value to be received:				
a. On capital account				
b. Prepayment	216,281		219,843	
c. Deposits & Recoverable's	2,790,710		1,043,821	
		3,006,991		1,263,664
3. Income Accrued:				
a. On investments from Earmarked/ Endowment Fund	-		-	
b. On investments - FDR's				
Processing fee /Cost of Application form & Scheme broucher	24,110,846		1,166,281	
NHB's internal accrual	27,232,232		21,475,552	
c. On Saving accounts				
Processing fee /Cost of Application form & Scheme broucher	84,168		199,012	
NHB's internal accrual	2,613,636		3,884,540	
NHM's	21,281		14,621	
NBM's	42		6,164	
National Saffron Mission	18,284		20,433	
d. On Soft loans				
- Considered good and recoverable	-		-	
- Doubtful	22,170,122		22,170,122	
(includes income due unrealised)				
		76,250,610		48,936,726
4. Claim Receivable (Tax Deducted at Source By Bank on Interest & Rent)		216,708		8,676,068
TOTAL (B)		248,873,673		230,977,477
TOTAL (A+B)		2,482,616,016		2,781,024,637

Place : GURUGRAM
Date : 19.06.2024

Sd/-
Managing Director

Sd/-
Deputy Managing Director

Sd/-
Joint Director
(F&A)

SCHEDULES FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2024

SCHEDULE -12

(Amount in ₹)

INCOME FROM SALES/ SERVICES	CURRENT YEAR		PREVIOUS YEAR	
1. Income from sales:				
a. Sale of Finished Goods	-		-	
b. Sale of Raw Materials	-		-	
c. Sale of Scrap	-	-	-	-
2. Income from Services:				
a. Processing charges	-		-	
b. Cost of Application Form & Scheme Broucher	15,348,003	15,348,003	20,495,536	20,495,536
TOTAL		15,348,003		20,495,536

SCHEDULE -12A

(Amount in ₹)

Expenditure for Application Fund & Scheme Brochure	CURRENT YEAR		PREVIOUS YEAR	
1. Expenses for Application Form & Scheme Brochure		28,974,866		32,865,874
TOTAL		28,974,866		32,865,874

SCHEDULE -13

(Amount in ₹)

GRANTS/ SUBSIDIES (Irrevocable grants and subsidies received)	CURRENT YEAR		PREVIOUS YEAR	
1. Central Government				
Planned expenditure				
From NHB Budget	2,352,500,000		2,183,000,000	
Non planned expenditure		2,352,500,000		2,183,000,000
2. State Government (s)		-		-
3. Government Agencies		-		-
4. Institutions/ Welfare Bodies		-		-
5. International Organizations		-		-
6. Others (Specify)		-		-
TOTAL		2,352,500,000		2,183,000,000

Place : GURUGRAM

Date : 19.06.2024

Sd/-

Managing Director

Sd/-

Deputy Managing Director

Sd/-

Joint Director
(F&A)

SCHEDULE -14

(Amount in ₹)

FEES/ SUBSCRIPTIONS	CURRENT YEAR		PREVIOUS YEAR	
1. Entrance Fees		-		-
2. Annual Fees/ Subscriptions		-		-
3. Seminar/ Program Fees		-		-
4. Consultancy Fees		-		-
5. Others		-		-
TOTAL		-		-

SCHEDULE -15

(Amount in ₹)

INCOME FROM INVESTMENTS (Income on Invest. From Earmarked/ Endowment Funds transferred to funds)	Invest from Earmarked fund		Invest from Earmarked fund	
	Current Year	Previous year	Current Year	Previous year
1. Interest				
a. On Govt Securities	-		-	
b. Other Bonds/ Debentures	-		-	
c. Others (FDs with banks)	-	-	-	-
	-	-	-	-
2. Dividends				
a. On Shares	-	-	-	-
b. On Mutual Fund Securities	-	-	-	-
	-	-	-	-
3. Rents	-	-	-	-
4. Others (Specify)	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-
TRANSFERRED TO EARMARKED/ ENDOWMENT FUNDS	-	-	-	-

Place : GURUGRAM

Date : 19.06.2024

Sd/-

Managing Director

Sd/-

Deputy Managing Director

Sd/-

Joint Director
(F&A)

SCHEDULE -16

(Amount in ₹)

INCOME FROM ROYALTY, PUBLICATIONS ETC.	CURRENT YEAR		PREVIOUS YEAR	
1. Income from publications		-		-
2. Income from Royalty		-		-
3. Others (Specify)		-		-
TOTAL		-		-

SCHEDULE -17

(Amount in ₹)

INTEREST EARNED	CURRENT YEAR		PREVIOUS YEAR	
1. On Term Deposits:				
a. With Scheduled Banks (including TDS deducted by Bank Rs 84,83,723/-)	136,942,243		92,159,612	
b. With Non-Scheduled Banks	-		-	
c. With institutions	-		-	
d. Others	-	136,942,243	-	92,159,612
2. On Savings Accounts:				
a. With Scheduled Banks	19,491,502		24,194,518	
b. With Non-Scheduled Banks	-		-	
c. Post Office Savings Accounts	-		-	
d. Others - at Centres	-	19,491,502	-	24,194,518
3. On Loans:				
a. Employees/ Staff			47,022	
b. Service charges recoverable from Beneficiaries under Soft Loan Scheme	-		-	
c. Service Charges Received from Beneficiaries under Soft Loan Scheme	-		-	
				47,022
4. Interest on Debtors and Other Receivables		2,499,122		2,295,059
TOTAL		158,932,867		118,696,211

Place : GURUGRAM

Date : 19.06.2024

Sd/-

Managing Director

Sd/-

Deputy Managing Director

Sd/-

Joint Director
(F&A)

SCHEDULE -18

(Amount in ₹)

OTHER INCOME	CURRENT YEAR		PREVIOUS YEAR	
1. Profit on sale/ disposal of assets:				
a. Owned assets	-		-	
b. Assets acquired out of grants, or received free of cost	-	-	-	-
2. Rent received		1,325,678		761,556
3. Fees for Miscellaneous Services		-		-
4. Miscellaneous Income		43,926		207,320
5. Service charges/Penal Interest received		6,548,510		1,800,221
6. Other Receipt		2,231,803		1,199,779
TOTAL		10,149,917		3,968,876

SCHEDULE -19

(Amount in ₹)

INCREASE/ (DECREASE) IN STOCK OF FINISHED GOODS & WORK IN PROGRESS	CURRENT YEAR		PREVIOUS YEAR	
1. Closing stock				
a. Finished Goods				
b. Work in Progress	-	-	-	-
2. Less: Opening Stock				
a. Finished Goods				
b. Work in Progress	-	-	-	-
NET INCREASE/ (DECREASE) [1-2]				

Place : GURUGRAM
Date : 19.06.2024

Sd/-
Managing Director

Sd/-
Deputy Managing Director

Sd/-
Joint Director
(F&A)

SCHEDULE -20

(Amount in ₹)

ESTABLISHMENT EXPENSES	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
a. Pay and Allowances	52,628,740	58,687,982
b. Other Allowances and Bonus	9,846,348	5,387,734
c. Contribution to Provident Fund	13,086,567	12,077,919
d. Staff Welfare Expenses	409,473	397,928
e. Expenses on employees retirement & terminal benefits	12,394,620	11,896,749
f. Payment To Consultant	1,999,348	1,421,996
TOTAL	90,365,096	89,870,308

SCHEDULE -21

(Amount in ₹)

OTHER ADMINISTRATIVE EXPENSES	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
a. Electricity and water charges	1,664,595	1,406,032
b. Generator running & maintenance	767,314	683,119
c. Insurance	29,764	24,860
d. Repair and maintenance	1,080,824	1,423,037
e. Security charges and house keeping expenses	9,068,620	6,978,831
f. Vehicles Running and Maintenance	195,167	232,692
g. Postage, Telephone and communication charges	474,389	559,740
h. Printing and stationery	2,000,852	2,198,712
l. Travelling and Conveyance expenses	3,975,777	2,756,650
j. Newspaper & periodicals	25,140	19,159
k. Office expenses	448,885	482,802
l. Expenses on meeting\entertainment	166,801	185,027
m. Auditors remunerations/ fees	752,865	1,584,340
n. Legal & Professional Charges	2,657,924	2,298,659
o. Advertisement and publicity	57,064	274,626
p. Photocopy exp.	704,230	922,368
q. Property Tax	216,942	147,015
r. Interest On TDS	-	2,361
s. Rajbhasha Promotion Expense	155,918	103,180
t. Misc. Expenses	10	-
u. Commission on Auction	-	5,605
v. Bank Charges	100	4,341
w. Interest on Leave Encashment	-	15,988
x. Leave salary Contribution	-	18,780
y. Pension Contribution	-	15,934
TOTAL	24,443,179	22,343,858

Place : GURUGRAM

Sd/-

Sd/-

Sd/-

Date : 19.06.2024

Managing Director

Deputy Managing Director

Joint Director
(F&A)

SCHEDULE -22

(Amount in ₹)

EXPENDITURE ON GRANTS, SUBSIDIES ETC.	CURRENT YEAR		PREVIOUS YEAR	
a. Grants given to Institutions/ Organizations				
b. Subsidies given to Institutions/ Organizations (For Other than NE states)				
i) Development of Commercial Horticulture (Subsidy)	1,070,898,200		817,041,548	
- Legal charges for court cases under soft loan scheme	704,000		163,500	
ii) Capital Investment Subsidy for Cold Storages	1,220,971,600		1,026,537,500	
iii) Technology Development/ Promotion for Horticulture	10,432,001		7,339,640	
iv) Market Information Service for Horticulture Crops	-		-	
v) Horticulture Promotion Services	29,105,650		27,175,274	
vi) Mission Management & Administrative Expenses				
a. Establishment Expenses - Centre	57,358,473		66,210,455	
b. Administrative Expenses - Centre	30,619,954		30,148,275	
vii) Clean Plant Programme	22,550,000		-	
viii) International Hort Expo Floriade 2022- Netherlands	-		5,766,567	
ix) Cluster Development Programme	13,692,800		-	
Expenses (For NE States including Sikkim)			-	
i) Development of Commercial Horticulture (Subsidy)	-		-	
ii) Capital Investment Subsidy for Cold Storages	-		-	
iii) Technology Development & Transfer for Promotion of Horticulture	442,459	2,456,775,137		1,980,382,759
TOTAL		2,456,775,137		1,980,382,759

Note: Name of entities, their Activities along with the amount of Grant/ Subsidies are to be disclosed.

As per Operational Guidelines of Schemes of National Horticulture Board, the eligible organizations are as under:-

Unless otherwise specified, organizations/promoters, such as Association of Growers, Individuals, group of farmer growers/consumers, farmers Producer Organizations (FPOs,) Partnership/Proprietary Firms, Self Help groups (SHGs), NGOs, Companies, Corporations, Cooperatives, Co-operative Marketing federations, agricultural Produce Marketing Committees, Marketing Boards/Committee, Municipal Corporations/ Committees, Agro-Industries corporations, SAU's and other concerned R&D organizations are eligible to get assistance under all the NHB schemes.

The subsidy disbursed against each activity has been shown in the Schedule no. 22 above. Beneficiary wise details are available as separate booklet. In addition to NHB Schemes, the NHB implements the certain components of NHM, NBM and Saffron Mission.

Place : GURUGRAM

Sd/-

Sd/-

Sd/-

Date : 19.06.2024

Managing Director

Deputy Managing Director

Joint Director
(F&A)

SCHEDULE -23

(Amount in ₹)

INTEREST	CURRENT YEAR		PREVIOUS YEAR	
a. On fixed loans		-		-
b. On other loans (including Bank charges)		-		-
c. Other (Specify)		-		-
TOTAL		-		-

Place : GURUGRAM

Date : 19.06.2024

Sd/-

Managing Director

Sd/-

Deputy Managing Director

Sd/-

Joint Director
(F&A)

NATIONAL HORTICULTURE BOARD SCHEDULES FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE PERIOD ENDED 31.03.2024

SCHEDULE 24 - SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. ACCOUNTING CONVENTION

The financial statements are prepared on the basis of historical cost convention, unless otherwise stated and on the accrual method of accounting. Provision for Pay and allowances for the month of March 2024 has been made in the books of accounts.

2. VALUATION OF INVENTORIES

Stores, Spares (including machinery spares) and stationery items are valued at cost.

3. INVESTMENT

Not applicable.

4. EXCISE DUTY

NotApplicable.

5. FIXEDASSETS

The Fixed Assets are stated at cost of acquisition inclusive of inward freight, duties and taxes and incidental and direct expenses related to acquisition. The fixed assets purchased from earmarked funds are treated as utilization of earmarked funds.

6. DEPRECIATION

- a) Depreciation has been provided on Written Down Value method at the rates prescribed under Income Tax Act, 1961.
- b) In respect of additions to/deductions from fixed assets during the year, depreciation has been provided as per provision of the Income Tax Act, 1961.

7 MISCELLANEOUS EXPENDITURE

Not applicable.

8. ACCOUNTING FOR SALES

Not applicable

9. GOVERNMENT GRANTS/SUBSIDIES

- a) Grant-in-aid received from the Department of Agriculture & Farmers Welfare, Govt. of India is accounted for on realization basis.
- b) Grants-in-aid received from the Government under various Schemes, other than

NHB Schemes, have been accounted in Earmarked Funds.

- c) There is no Grant-in-aid received in the nature of non-monetary assets as well as Grants related to specific fixed assets.

10 FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS

Transactions in Foreign Currencies are recorded at exchange rates prevailing on the date of respective transactions.

11. LEASE

Lease rentals are expensed with reference to lease terms.

12. RETIREMENT BENEFITS

- a) Liability towards Gratuity payable on death / retirement of employees is accounted for on the actuarial valuation.
- b) Provision for accumulated leave encashment benefit to the employees is accrued and computed on the assumption that employees are entitled to receive the benefit as at each year end.

13. REVENUE RECOGNITION

- a) Income such as interest on FDR's and Saving Bank Account are accounted for on accrual basis (interest certificate from the bank as well as 26 AS of the Income Tax Department).
- b) Unutilized balances under various schemes are accounted for as and when received.
- c) Amount released for assistance/subsidy under various schemes are shown as expenditure in the year of release and unutilized amount for previous years received back during the current year are accounted in Corpus/Capital Fund.
- d) The expenditure from NHM, NBM and Saffron Mission have been accounted in earmarked funds and tax compliance have been made by the Board.

Place : GURUGRAM

Date : 19.06.2024

Sd/-

Managing Director

Sd/-

Deputy Managing Director

Sd/-

Joint Director
(F&A)

NATIONAL HORTICULTURE BOARD SCHEDULES FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE PERIOD ENDED 31.03.2024

SCHEDULE 25 - CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS

1. CONTINGENT LIABILITIES

1.1 Claims against the Entity not acknowledged as debts - Rs. NIL (Previous year NIL)

1.2 In respect of:

- Bank guarantees given by/on behalf of the Entity -Rs. NIL (Previous year Rs. NIL)
- Letters of Credit opened by Bank on behalf of the Entity -Rs. NIL (Previous year Rs. NIL)
- Bills discounted with banks Rs NIL (Previous year Rs NIL)

1.3 Disputed demands in respect of:

- Sales-tax Rs. NIL (Previous year Rs. NIL)
- Municipal Taxes NIL (Previous year Rs. NIL)
- Court Cases Rs. 5.00 crore (approx.) (Previous year Rs. 4.00 crore)

1.4 In respect of claims from parties for non-execution of orders, but contested by the Entity - Rs NIL (Previous Year NIL)

2. CAPITAL COMMITMENTS

Estimated value of contracts remaining to be executed on capital account and not provided for (net of advances) Rs. NIL (Previous Year NIL)

3. LEASE OBLIGATIONS

Future obligations for rentals under finance lease arrangements for plant and machinery amount to Rs NIL (Previous year Rs. NIL).

4. CURRENT ASSETS, LOANS AND ADVANCES

In the opinion of the Management, the current assets, loans and advances have a value of realization in the ordinary course of business, equal to the aggregate amount shown in the Balance Sheet.

5. TAXATION

- a) In view of there being no taxable income under Income Tax Act 1961, no provision for Income Tax has been considered necessary. National Horticulture Board (NHB) had been notified by Central Government under Section 10(23C)

(iv) of the Income Tax Act, 1961, up to the Assessment Year 2008-09. The NHB filed application with the Income Tax Authorities for renewal of exemption u/s 10(23C) (iv) of the Income Tax Act 1961 for Assessment Year 2009-10 to 2010-11, 2011-12 to 2013-14 & 2014-15 and onwards but the same were rejected by the Income Tax Authorities. The Board has filed writ petitions in the High Court of Punjab & Haryana at Chandigarh against the decision of Income Tax Authorities. The decision in the matter is awaited from the Hon'ble High Court. The Board is registered with Income Tax Authorities u/s 12 AA of the Income Tax Act, 1961. The NHB is filing its Income Tax Returns (ITRs) of Nil income with the Income Tax Department timely every year along with audit report required by the Charitable Institutions for the compliance of conditions u/s 10 (23C) (IV) of the Income Tax act, 1961. **The TDS amounting to Rs. 1,32,567/- is deducted by the Indian Overseas Bank, NHB Branch, Gurugram on Interest on fixed deposits/ rent of NHB during the financial year 2023-24 (relevant to Asstt. Year 2024-25) which is claimable as refund at the time of filing of Income Tax Return with the Income Tax Authorities. The NHB has received refund from Income Tax Authorities for Asstt. years 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 and 2022-23 on account of TDS deducted on interest earned on FDRs and rent receipts during the year by treated income as NIL by the IT Department.**

- b) The Board has made an application in Form No. 10 A for renewal of registration u/s 12AA of the Income Tax Act, 1961 on 31st December 2021. The Principal Commissioner of Income Tax / Commissioner of Income Tax has ordered the registration of the Board on 07.01.2022 for 5 (five) years from Asstt. Year 2022-23 to 2026-27.

6. FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS

6.1 Values of Imports Calculated on C.I.F. Basis:

- Purchase of finished Goods	NIL
- Raw Materials & Components (Including in transit)	NIL
- Capital Goods	NIL
- Stores, Spares and Consumables	NIL

6.2 Expenditure in foreign currency

a) Travelling Expenses	NIL
b) Remittances and Interest payment to Financial Institutions/banks in Foreign Currency	NIL
c) Payment made towards purchase of Machinery for Technology Awareness	NIL

d) Other expenditure:

- Commission on Sales	NIL
- Legal and Professional Expenses	NIL
- Miscellaneous Expenses	NIL

6.3 Earnings:

Value of Exports on FOB basis	NIL
-------------------------------	-----

6.4 Remuneration to auditors:

- As Audit Fees	NIL
- Out of Pocket Expenses	NIL
- Taxation Matters	NIL
- Others	NIL

7. **The Funds accumulated on account of cost of application form & scheme brochure and expenditure incurred as well as Fixed assets created out of the cost of application form & scheme brochure amount has been shown separately in the annual accounts of the Board.**
8. **The service charges are not provided for in the suit filed soft loan cases from the year in which civil suits have been filed. However, service charges to the extent of recovery have been provided in suit filed cases where amount has been recovered during relevant period.**
9. **As per practice in NHB regarding adjustment of recovery of those soft loan cases in which lump sum amount of recovery is less than Principal amount and service charges due, the NHB adjust the amount of recovery first in service charges and the remaining amount in Principal amount. During the current financial year recovery under erstwhile soft loan scheme of NHB is Rs. 87,80,313/- lakh only out of which Rs. 22,31,803/- accounted for as principal amount & Service Charges and Rs. 65,48,510/- accounted for as penal interest**
10. **Provision for Penal Interest in respect of late payments of dues by the beneficiaries has not been made in the accounts. It is accounted for on receipt basis.**
11. **The Board has filed civil suits against defaulter loanies for recovery of soft loans. The provision for doubtful debts amounting to Rs.19,10,18,000/- has been made up to 31.3.2024.**
12. **Court fees, if any, in respect of cases where civil suit has been filed, has been debited to expenditure account on payment basis.**

13. Corresponding figures for the previous year have been regrouped/rearranged, wherever considered necessary.
14. Figures have been rounded off to the nearest rupee.
15. Schedules 1 to 25 are annexed to and from an integral part of the Balance Sheet as at 31.03.2024 and the Income and Expenditure Account and Receipts and Payments Account for the year ended on that date.

Place : GURUGRAM

Date : 19.06.2024

Sd/-

Managing Director

Sd/-

Deputy Managing Director

Sd/-

Joint Director
(F&A)

Promoting Horticulture Entrepreneurship, Technology and Innovation in Indian Horticulture through NHB Schemes

*M*ANDATE OF NHB



◆ HI-TECH COMMERCIAL
HORTICULTURE IN
OPEN & PROTECTED
COVER



◆ TRANSFER OF
TECHNOLOGY



◆ POLY HOUSE
CULTIVATION



◆ PRIMARY
PROCESSING



◆ COLD STORAGE /
CONTROLLED
ATMOSPHERE
STORAGE



◆ PROMOTION OF
MECHANISATION IN
HORTICULTURE



◆ REFFER TRUCKS



◆ PACK HOUSE

ENSURING AVAILABILITY OF QUALITY PLANTING MATERIAL
THROUGH NURSERY ACCREDITATION PROGRAMME



राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड
National Horticulture Board

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार
Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, Govt. of India

प्लॉट नंबर 85, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर-18, गुरुग्राम-122015 (हरियाणा)
Plot No. 85, Institutional Area, Sector-18, Gurugram-122015 (Haryana)
दूरभाष/Tel.: 0124-2342992, 2342991